सत्यमेव जयते
Ministry of Rural Development
Government of India

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

आजीविका कौशल

सीखें व कमाएं

दिशा–निर्देश

सितम्बर, 2013

विषय-सूची

संक्षिप्त शब्दावली 5
प्राक्कथन 7

1. तर्काधार और दृष्टिकोण 11
1.1 आजीविका कौशल क्या है? 11
1.2 कौशल विकास और रोजगार क्या है? 11
1.3 आजीविका कौशल का दृष्टिकोण 12
1.3.1 प्रशिक्षण के स्थान पर करियर को आगे बढ़ाने पर जोर 12
1.3.2 विकास के ला प्राप्त करने में गरीबों और उपेक्षितों की सहायता करना 12
1.3.3 अपरिहार्य होने पर प्रवास की पीड़ा को कम करना 13
1.3.4 भागीदारी के विकास का सक्रिय ृष्टिकोण 13
1.3.5 इनपुट और आउटपुट की निगरानी 13
1.3.6 परियोजनाओं से बैच तक 13
1.3.7 मुख्य भागीदार के रूप में राज्य सरकार की एकल राज्य परियोजना (एसएसपी) से वार्षिक कार्य योजना (एएपी) तक 13
1.3.8 कोई बहुराज्य परियोजना नहीं 14
1.3.9 पूर्वोत्तर को प्राथमिकता 14
1.3.10 परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ावा 15
1.3.11 राज्य की सहमति और अंशदान की अनिवार्यता 15
1.4 आजीविका कौशल के विशेष घटक 15
1.4.1 वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए रोशनी नामक विशेष योजना 15
1.4.2 जम्मू और कश्मीर के लिए हिमायत नामक विशेष योजना 15
1.4.3 एएपी दर्जा पाने में राज्यों की सहायता 15
1.4.4. संसाधन राज्य 16
2. ग्राम पंचायतों और स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) की भूमिका 18
2.1 ग्राम पंचायतों की भूमिका 18
2.2 स्व–सहायता समूहों की भूमिका 18
3. पात्रता, घटक और लागत मानदंड 20
3.1 पात्रता 20
3.1.1 ग्रामीण युवक जो गरीब हैं 20
3.1.2 विशेष समूह 20
3.2 घटक और लागत मानदंड 21
3.2.1 एसआरएलएम द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप और उनके लिए लागत मानदंड 21
3.2.1.1 कौशल में कमी का आकलन (एसजीए) 21
3.2.1.2 जॉब मेला 21
3.2.1.3 सूचनाए शिक्षा और संचार 21
3.2.1.4 माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर्स (एमएससी) 22
3.2.1.5 भूतपूर्व छात्र सहायता 22
3.2.1.6 क्षमता निर्माण 22
3.2.1.7 निगरानी एवं मूल्यांकन 23
3.2.1.8 स्टाफ – ब्लॉक स्तर और उससे नीचे के स्तर पर 25
3.2.1.9 प्रशासनिक लागत 25
3.2.2 पीआईए द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप और उनके लिए लागत मानदंड 26
3.2.2.1 अवप्रेरण, काउंसलिंग और चयन 26
3.2.2.1.1 अवप्रेरण 26
3.2.2.1.2 काउंसलिंग 27
3.2.2.1.3 चयन 27
3.2.2.2 प्रशिक्षण 27
3.2.2.2.1 आधारूत सुविधा 27
3.2.2.2.2 प्रशिक्षक 28
3.2.2.2.3 विषयवस्तु 29
3.2.2.2.4 प्रशिक्षण प्रणालियां 29

3.2.2.2.5 फिनिशिंग एंड वर्क रेडीनैस मॉड्यूल 29
3.2.2.2.6 मूल्यांकन और प्रमाणन 30
3.2.2.3 प्लेसमेंट 30
3.2.2.4 ऊपर वर्णित पीआईए की गतिविधियों के लिए मूल्य मानक 31
3.2.2.5 टेबलेट कम्प्यूटर्स 33
3.2.2.6 कैश वाउचर स्कीम 33
3.2.2.7 रोजगार के बाद सहायता (पीपीएस) 33
3.2.2.8 रोजगार जारी रखने में सहायता 33
3.2.2.9 करियर उन्नति के लिए सहायता 34
3.2.2.10 आवासीय प्रशिक्षण/परिवहन और भोजन के लिए बढ़ी हुई सहायता 34
3.2.2.11 तत्काल आदान–प्रदान के लिए (लाइव) दूरवर्ती प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहन 34
3.2.2.12 विदेशों में रोजगार में लगे प्रशिक्षुओं के लिए काउंसलिंग 34
4. एएपीए एसएसपी और एमएसपी 36
4.1.1 एएपी 36
4.1.2 गैर–एएपी 37
4.1.3 बहुराज्य परियोजनाएं 37
4.2 आजीविका कौशल के संचालन के लिए एसआरएलएम द्वारा किए जाने वाले उपाय 38
4.3 ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित चरण 42
4.4 राष्ट्रीय स्तर पर सहायता सुविधाएं 44
4.4.1 राष्ट्रीय सलाहकार समूह 44
4.4.2 अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) 44
4.5 आजीविका कौशल संसाधनों की पहुंच और व्यवस्था करने के लिए पीआईए द्वारा 5 चरणों को लागू किया जाना चाहिए 45
4.6 राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) 48
4.7 पीआईए – श्रेणियां एवं मानदंड 48
4.8 आजीविका कौशलों में विभिन्न प्रक्रियाओं एवं कार्यों के लिए प्रोटोकॉल का विकास 50
4.9 परिवर्धित आजीविका कौशल दिशानिर्देशों की अनुप्रयोज्यता की तिथि 51
4.10 तालमेल 51
4.11 परियोजना की पूर्णता 52
5. वित्तीय प्रबंधन 54
5.1 राज्यों के लिए आवंटन 54
5.2 पूर्वोत्तर राज्यों को आवंटन 54
5.3 हिमायत के लिए आवंटन 54
5.4 रोशनी के लिए आवंटन 55
5.5 लागत और निधि रिलीज करने के मानदंड 55
5.6 फंड रिलीज – केंद्र से एएपी राज्यों को और एएपी राज्यों में पीआईए को 55
5.7 फंड रिलीज – केंद्र से गैर–एएपी राज्यों को और गैर–एएपी राज्यों में पीआईए को 55
5.8 लेखांकन प्रणाली 55
5.9 पीआईए को भुगतान 55
5.10 निधि रिलीज करने की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया 57
5.11 ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसकी टीएसए और एसआरएलएम द्वारा सेवा स्तर का आश्वासन 57
5.12 प्रापण प्रक्रिया 57
5.13 दिशा–निर्देशों का लागू होना 57
6. निगरानी और मूल्यांकन 59
6.1 निगरानी 59
6.2 एएपी की आवधिक निगरानी 59
6.3 टीएसए की भूमिका 59
6.4 एएपी और एसएसपी के अंतर्गत निधि की रिलीज के आधार पर पीआईए की समवर्ती निगरानी 59
6.5 समवर्ती निगरानी परिणाम 60
7. एमआईएस 63
7.1 इंटरनेट आधारित वर्कफ्लो संचालित राष्ट्रीय और राज्य मंच (आपसी बातचीत के लिए) 63
7.2 पीआईए के अपने मंच जो राज्य स्तर के मंचों से बातचीत करते हैं या पीआईए राज्य अथवा राष्ट्रीय मंचों का उपयोग कर सकते हैं 63
7.3 परियोजना प्रस्तावों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण 64
8. प्रत्येक अध्याय में जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, उन प्रश्नों की सूची 65

संक्षिप्त शब्दावली

एएपी	वार्षिक कार्य योजना (वर्ष के कार्यक्रम में गैर–एएपी राज्यों के लिए इसके समान)
एपीएल	गरीबी रेखा से ऊपर
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
सीबीओ	समुदाय आधारित संगठन
सीओओ	मुख्य प्रचालन अधिकारी
सीपीएसएमएस	केंद्रीय प्लान योजना निगरानी प्रणाली
सीआरपी	सामुदायिक संसाधन व्यक्ति
सीएसओ	सामुदायिक सामाजिक संगठन
डीओएनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास
डीआरडीए	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी
डीएसएस	निर्णय लेने में मददगार प्रणाली
ईसी	अधिकार प्राप्त समिति
ईआरपी	उद्यमिता संसाधन आयोजना
एफएमएस	वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत
आईएवाई	इंदिरा आवास योजना
आईसीटी	सूचना संचार प्रौद्योगिकी
आईईसी	सूचना शिक्षा एवं संचार
आईएफडी	समेकित वित्त प्रभाग
आईआरडीपी	समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
एलडब्ल्यूई	वामपंथी उग्रवाद
एलक्यूएएस	थोक गुणवत्ता आश्वासन नमूनाकरण
एमईएस	मॉड्यूलर नियोजन योग्य कौशल
एमजीएनआरईजीए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसपी	बहु–राज्य परियोजना
एनएबीएआरडी	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

एनएबीसीओएनएस	नाबार्ड परामर्शी सेवाएं
एनएजी	राष्ट्रीय सलाहकार समूह
एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनआईआरडी	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान
एनआईओएस	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान
एनएमएमयू	राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई
एनआरएचएम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनएसडीसी	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
एनएसडीए	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी
एनएसएपी	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
ओजेटी	जॉब पर दिया जाने वाला प्रशिक्षण
पीएसी	परियोजना अनुमोदन समिति
पीआईए	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी
पीआईपी	निर्धनों का भागीदारीपूर्ण निर्धारण
पीआरआई	पंचायती राज संस्थान
पीडब्ल्यूडी	विकलांग व्यक्ति
एसआरएलएम	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
एससी/एसटी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
एसजीएसवाई	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
एसएचजी	स्व–सहायता समूह
एसपीआईपी	राज्य परिप्रेक्ष्य एवं कार्यान्वयन योजना
एसएसपी	एकल राज्य परियोजना
टीएसए	तकनीकी सहायता एजेंसी
यूसी	उपयोग प्रमाणपत्र
वाईपी	वर्ष कार्यक्रम (यह गैर–एएपी राज्यों के लिए एएपी के समान है)

प्राक्कथन

आजीविका कौशल भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की कौशल व रोजगार पहल है। यह पहल ग्रामीण गरीबों को आमदनी के विभिन्न स्रोत उपलब्ध कराने की जरूरत और ग्रामीण युवाओं की व्यावसायिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से शुरू की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य गरीब ग्रामीण युवाओं को औपचारिक क्षेत्र से सम्बन्धित कौशलों का प्रशिक्षण और इन क्षेत्रों में रोजगार दिलाना है। आजीविका कौशल का प्रेरणास्रोत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) का 'विशेष परियोजना' घटक है।

गरीबी उपशमन के कार्य में मदद करने के अतिरिक्त यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों की बड़ी आबादी के जीवन में बेहतरी लाने की उम्मीद और आकांक्षा है। मौजूदा संदर्भ में जहां हमारे देश की 430 मिलियन आबादी की आयु 15 से 34 वर्ष के बीच है और यह आबादी कुल जनसंख्या का 35 प्रतिशत है (जनगणना, 2011), यह कार्यक्रम और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इस आयु वर्ग की आबादी बढ़कर वर्ष 2021 तक 464 मिलियन हो जाने का अनुमान है। यदि युवाओं की क्षमता का विकास भी किया जाए तो यह आबादी भारत के लिए "जनसांख्यिकीय लाभ" का रूप ले सकती है।

भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2008 में इस मुद्दे को उठाया था, जब उन्होंने कहा था, "आज हम इस अर्थ में लाभ की स्थिति में हैं कि विश्व भर में सबसे अधिक युवा आबादी हमारे देश में है। यदि हम युवाओं को शिक्षित और रोजगार के योग्य बनाने के कार्य में पर्याप्त निवेश करें तो यह युवा शक्ति वैश्विक कामगार आबादी में 25 प्रतिशत योगदान करके भारत को उभरती विश्व व्यवस्था को नया आकार देने के योग्य बना सकती है। आज हमारी युवा आबादी को विश्व भर में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त जन संसाधन का सबसे बड़ा स्रोत बनाना ही वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर शुरू करना होगा।"

तथापि, शैक्षणिक उपलब्धि और कौशल प्रशिक्षण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह कार्य एक बड़ी चुनौती है। यदि इन युवाओं को शिक्षित और रोजगार के योग्य बनाने के कार्य में पर्याप्त निवेश करके इस चुनौती को पार कर लिया जाए तो यह युवा शक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था में रूपांतरकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। इस सांवना को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2022 तक 500 मिलियन कुशल और प्रामाणिक तकनीकीविद तैयार करने की क्षमता भारत में है। आशा है कि भारत में वर्ष 2020 तक 56 मिलियन अतिरिक्त युवा कामगार होंगे जबकि विश्व भर में 47 मिलियन कामगारों की कमी होगी। इसके अतिरिक्त तेजी से बदलते औद्योगिक परिवेश में यह माना जाता है कि कौशल विकास कोई गतिहीन प्रक्रिया नहीं है और यदि कामगारों को प्रासंगिक एवं रोजगार के योग्य बनाए रखना हो तो व्यक्तिगत कौशलों को निरंतर अद्यतन बनाए रखना जरूरी है।

भारत सरकार ने सर्वोच्च स्तर पर कौशल उपायों के कार्यान्वयन के लिए नियंत्रक संरचना स्थापित करके वर्ष 2008 में समन्वित कौशल विकास कार्रवाई के उपाय शुरू किए। सरकार ने कौशल विकास की चुनौतियों के समाधान के लिए अनुकूल परिवेश और व्यवस्था उपलब्ध कराने की नीति भी तैयार की। कौशल विकास की तीन स्तरों वाली नियंत्रक संरचना स्थापित की गई। इस संरचना के तीन स्तर इस प्रकार हैं:

- नीतिगत निर्देश देने वाले शीर्षस्थ निकाय के रूप में प्रधानमंत्री कौशल विकास परिषद (पीएमएनसीएसडी)
- कौशल विकास के कार्य में लगे विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के प्रयासों में समन्वयन और तालमेल स्थापित करने के लिए योजना आयोग में राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड (एनएसडीसीबी)
- कौशल विकास के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)

वर्ष 2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास नीति अधिसूचित की गई, जिसमें रोजगार सम्बन्धी परिणामों पर जोर देते हुए नीतिगत तालमेल, समावेश, गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया। इसके बाद जून, 2013 में भारत सरकार ने पीएमएमसीएसडीए एनएसडीसीबी और प्रधानमंत्री के कौशल विकास सलाहकार के कार्यालय का विलय करके राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) नामक स्वायत्त निकाय का गठन किया।

एनएसडीए का कार्यालय वित्त मंत्रालय में है। यह एजेंसी भारत सरकार और निजी क्षेत्र के कौशल विकास प्रयासों में समन्वय और तालमेल स्थापित करके:

- 12वीं योजना और उसके बाद कौशल विकास के लक्ष्यों की पूर्ति करेगा;
- राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) शुरू और नियंत्रित करेगा;
- क्षेत्र–विशिष्ट कौशल विकास परिषदों के लिए नोडल एजेंसी होगा और सामाजिक, क्षेत्रीय, महिला–पुरुष आधारित और आर्थिक असंतुलन को दूर करने के प्रयास करेगा।

एनएसडीए यह सुनिश्चित करने की जरूरत को पूरा करने पर ध्यान देगा कि कौशल विकास की गुणवत्ता और मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित क्षेत्र विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप हों।

ये उपाय ही वर्ष 2022 तक 500 मिलियन कुशल कामगार तैयार करने के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होंगे। यह आकांक्षा मौजूदा संसाधनों से पूरी नहीं की जा सकती और इसीलिए अधिकांश प्रयास संसाधनों को बढ़ाने और क्षमता विकास पर ही केंद्रित होंगे। ऐसे कौशल विकास कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने पर पर्याप्त ध्यान देना होगा, जो सर्वसमावेशी हो और महिला–पुरुष आधारित, ग्रामीण/शहरी, संगठित/असंगठित रोजगार, पारंपरिक/समसामयिक कार्यस्थल इत्यादि जैसे सामाजिक फर्क को दूर करे। ऐसे कार्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है जो यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षित कामगारों की आपूर्ति रोजगार की मांग में बदलाव के अनुरूप अपने–आप समायोजित होती रहे। अंततः इस प्रणाली में निजी और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और परिणामों, उपभोक्ता की पसंद और प्रतियोगिता पर जोर दिया जाना चाहिए।

कौशल विकास पहल शुरू करने के लिए परिकल्पित कार्यनीति की तीन विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- कौशल प्राप्ति की प्रक्रिया बैंकों की ऋण योजनाओं के योग्य होने के साथ–साथ इसमें गरीबों को शामिल किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया मांग आधारित होनी चाहिए। इसमें वंचित वर्गों के प्रत्याशियों को मिलने वाली राज्य सहायता अवश्य शामिल की जानी चाहिए। संस्थागत/बैंक वित्त से सार्वजनिक निवेश की पूर्ति के प्रयास किए जाने चाहिए।
- कौशल बदले जा सकते हों, शिक्षा की डिप्लोमा और डिग्री जैसी श्रेणियों की कठोर सीमा–रेखाओं ने शिक्षा प्रणाली को पहले ही अपरिवर्तनीय बना दिया है। इसे ऐसी और अधिक मुक्त/लचीली प्रणाली में बदला जाना चाहिए, जो सक्षम व्यक्तियों को ज्ञान और कौशल प्राप्त करने और परीक्षा एवं प्रमाणन के जरिए उच्चतर डिप्लोमा एवं डिग्री प्राप्त करने की अनुमति देती हो।
- समग्र कौशल विकास प्रणाली में विभिन्न स्टेक–होल्डरों की भागीदारी होनी चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्वरोजगार और परिसंपत्ति निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम वर्ष 1980 में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) से शुरू हुए। 9वीं योजना अवधि के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डाकरा), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत टूल–किटों की आपूर्ति (सिट्रा), ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेन), गंगा कल्याण योजना (जीकेवाई) और मिलियन वेल्स स्कीम (एमडब्ल्यूएस) का विलय करके स्वरोजगार कार्यक्रमों में आमूल–चूल बदलाव करते हुए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) नामक सर्वांगीण ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई। वर्ष 2004 में यह योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)–विशेष परियोजनाएं बन गई। एसजीएसवाई की विशेष परियोजनाओं में विशिष्ट संख्या में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को नियमित मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने वाले कौशल और रोजगार दिलाकर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए समयबद्ध प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास सेवा प्रदान की जाती थी। मई, 2013 तक लगग 8.60 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 6.80 लाख युवाओं को रोजगार दिलाया गया है। नई कौशल व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की समीक्षा की गई और इसे आजीविका कौशल के रूप में आजीविका के तहत शामिल किया गया।

12वीं योजना के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय को 50 लाख ग्रामीण बीपीएल युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य दिया गया है। तदनुसार, इस कार्यनीति की समीक्षा करके यह निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के स्थान पर आजीविका कौशलों के कार्यान्वयन की राज्य सरकारों की क्षमताओं को और विकसित करने तथा कौशल सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए केंद्रीय स्तरों पर समन्वय व्यवस्था विकसित करने में मदद करने जैसे उपाय किए जाएं। पिछले 9 महीनों के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय में आजीविका कौशल के प्रचालन दिशा–निर्देशों में संशोधन की विस्तृत

प्रक्रिया चलाई गई है, ताकि उनके द्वारा 12वीं योजना में 50 लाख लोगों को कौशल सिखाने की चुनौती पूरी की जा सके। सभी स्टेक–होल्डरों, विशेषकर राज्य सरकारों, आजीविका कौशल कार्यान्वयनकर्ता भागीदारों, नियोक्ताओं और ग्रामीण गरीब युवाओं के परामर्श से ये संशोधन किए गए। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के सहयोग से शुरू की गई हिमायत से प्राप्त अनुवों से भी इन संशोधनों में मदद मिली। पिछले तीन दशकों के दौरान कौशल विकास कार्यक्रमों से प्राप्त अनुभवों से भी इस प्रक्रिया में मदद मिली है।

ये दिशा–निर्देश इन्हीं प्रयासों का परिणाम हैं।

1. तर्काधार और दृष्टिकोण

1.1 आजीविका कौशल क्या है?

1.1.1 आजीविका कौशल का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास करना और उन्हें न्यूनतम मजदूरी या इससे अधिक नियमित[1] मासिक मजदूरी वाले रोजगार दिलाना है। यह भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ऐसे कार्यक्रमों का समूह है,जिनका उद्देश्य ग्रामीण आजीविकाओं को बढ़ावा देना है। यह गरीबी उपशमन के आजीविका नामक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का घटक है।

1.1.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय बहुद्देश्यीय कार्यनीति अपनाकर ग्रामीण गरीबी उपशमन के लक्ष्य को पाने का प्रयास कर रहा है। इस कार्यनीति में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – पीएमजीएसवाई), ग्रामीण आवास (इंदिरा आवास योजना–आईएवाई), रोजगार गारंटी (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मनरेगा योजना), आजीविका संवर्द्धन (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन–आजीविका) और सामाजिक पेंशन (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम–एनएसएपी) सम्बन्धी कार्यक्रम शामिल हैं। आय के विभिन्न स्रोत उपलब्ध कराने और अनिश्चितता कम करने की आजीविका कौशल की क्षमता ही इसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाती है।

1.1.3 अर्थव्यवस्था में आवश्यक कौशलों की निरंतरता होती है और इन्हें सीखने के विभिन्न तरीके होते हैं। भारत में उच्च स्तरों के कौशलों पर तो कुछ ध्यान दिया गया है लेकिन यह बात उन कौशलों के लिए नहीं कही जा सकती है, जिनके लिए औपचारिक शिक्षा की पूर्वापेक्षा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि गरीबों पर दोहरी मार पड़ती है – पहले तो गरीबी के कारण और दूसरे औपचारिक शिक्षा उपलब्ध न होने के कारण। आजीविका कौशल में गरीबों को आवश्यक ज्ञान, कौशल और हुनर सीख कर इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया गया है, ताकि वे नियमित मासिक मजदूरी वाले पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त कर सकें।

1.2 कौशल विकास और रोजगार क्या है?

1.2.1 आजीविका कौशल के तहत कौशल विकास और रोजगार के 8 भिन्न चरण इस प्रकार हैं:

- समुदाय को अवसरों के बारे में जागरूक बनाना
- गरीब ग्रामीण युवाओं का निर्धारण करना[2]
- इच्छुक ग्रामीण युवाओं को प्रेरित करना
- युवाओं और उनके माता–पिता को परामर्श देना
- अभिरूचि के अनुसार चयन
- रोजगार के लिए योग्यता बढ़ाने वाला ज्ञान, उद्योग सम्बन्धी कौशल और दृष्टिकोण की जानकारी प्रदान करना
- ऐसे रोजगार प्रदान करना, जिनकी स्वतंत्र जांच कराई जा सकती हो और जिनसे न्यूनतम से अधिक मजदूरी प्राप्त हो
- इस प्रकार रोजगार पाने वाले व्यक्ति के रोजगार को स्थायी बनाने में उसकी सहायता करना।

1.2.2 आजीविका कौशल में 7 प्रकार के कार्यक्रमों के लिए सहायता दी जाती है। इन सी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए)[3] की मदद से किया जाता है और प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखने का रिकार्ड रखा जाता है।[4] इन कार्यक्रमों के लाभार्थी इस प्रकार हैं:

---

[1] संगठन के मानव संसाधन (एचआर) विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची नियमित मजदूरी रोजगार का साक्ष्य है। यदि संगठन में एचआर विभाग न हो तो दी गई मजदूरी दर्शाने वाला नियोक्ता का प्रमाणपत्र, जिस पर कर्मचारी ने प्रतिहस्ताक्षर किए हों, के साथ–साथ रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट या धनराशि के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा मजदूरी का भुगतान दर्शाने वाला बैंक विवरण नियमित मजदूरी रोजगार का साक्ष्य होगा।

[2] जहां एसआरएलएम टीम ने गरीबों का भागीदारीपूर्ण निर्धारण कर लिया है, वहां उनके द्वारा तैयार की गई श्रेणीबद्ध सूची का इस्तेमाल किया जाएगा। अन्य मामलों में बीपीएल/सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) की अद्यतन सूची का इस्तेमाल किया जाएगा।

[3] पीआईए को प्रशिक्षण पाने वाले कम–से–कम 75 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को नियमित मासिक मजदूरी वाले रोजगार दिलाने होते हैं। यह अनिवार्य प्रावधान है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए भी अलग लक्ष्य हैं। विभिन्न श्रेणियों के लक्ष्य में 5 प्रतिशत तक की कमी पर विचार किया जाएगा लेकिन पीआईए को प्रति प्रशिक्षु की दर से देय राशि में कटौती प्रत्येक श्रेणी में कमी के अनुसार की जाएगी।

[4] आजीविका कौशल के तहत सी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कैलेंडर वर्ष के 365 दिन जारी रखे जाने का रिकार्ड रखा जाता है।

- कौशल, सॉफ्ट स्किल्स[5], अंग्रेजी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के विषय में त्रैमासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद रोजगार पाने वाले व्यक्ति।
- कौशल, सॉफ्ट स्किल्स, अंग्रेजी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के विषय में 6 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद रोजगार पाने वाले व्यक्ति।
- कौशल, सॉफ्ट स्किल्स, अंग्रेजी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के विषय में 9 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद रोजगार पाने वाले व्यक्ति।
- 9 महीने और 3 महीने के दो भागों वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद रोजगार पाने वाले व्यक्ति। 9 महीने की अवधि में लाभार्थी को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) की अर्हता (8वीं या 10वीं कक्षा) प्राप्त कराई जाती है। 3 महीने की अवधि में मानक आजीविका कौशल, सॉफ्ट स्किल्स, अंग्रेजी ओर सूचना प्रौद्योगिकी के विषय में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- अधिकतम 12 महीने के कस्टमाइज प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद विदेश में रोजगार पाने वाले व्यक्ति।
- सेवाकालीन प्रशिक्षण (ओजेटी) के प्रावधान सहित 3, 6, 9 या 12 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद रोजगार पानेवाले व्यक्ति।[6]

1.2.3 कौशल सम्बन्धी इनपुट प्रदान किए बिना लोगों को रोजगार दिलाने में सहायक रोजगार मेलों के आयोजन के लिए आजीविका कौशल के तहत सहायता दी जाती है।

1.3 आजीविका कौशल का दृष्टिकोण

आजीविका कौशल में अनेक विशेषताएं हैं, जो आगे दर्शाई गई हैं। इनमें से कुछ विशेषताएं भारत सरकार के अन्य विभागों के कौशल विकास प्रयासों से भिन्न हैं।

1.3.1 प्रशिक्षण के स्थान पर करियर को आगे बढ़ाने पर जोर

कौशल क्षेत्र में परंपरागत रूप से कौशल विकास पर ही जोर दिया जाता रहा है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत विशेष कौशल विकास परियोजनाओं से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रोजगार पर जोर देने की शुरूआत की। साक्ष्य के रूप में वेतन पर्ची सहित निरंतर तीन महीने के काम के रूप में रोजगार को परिभाषित करके इस संकल्पना को और स्पष्ट किया गया है। इन दिशा–निर्देशों में इसे और विस्तारित/स्पष्ट किया गया जो कि इस प्रकार है:

- संगठन के मानव संसाधन विाग द्वारा जारी वेतन पर्ची नियमित मजदूरी रोजगार का साक्ष्य होगी। यदि संगठन में मानव संसाधन विभाग न हो तो दी गई मजदूरी दर्शाने वाला नियोक्ता का प्रमाणपत्र, जिस पर कर्मचारी ने प्रतिहस्ताक्षर किए हों, के साथ–साथ रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट या धनराशि के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा मजदूरी का भुगतान दर्शाने वाला बैंक विवरण नियमित मजदूरी रोजगार का साक्ष्य होगा।
- रोजगार दिलाने के बाद एक वर्ष की अवधि तक प्रत्याशी का रिकॉर्ड रखने, उसे परामर्श देने और सेवाएं प्रदान करने की शुरूआत।
- रोजगार जारी रखने अर्थात 365 दिनों से अधिक अवधि तक अधिकतम 60 दिनों के विराम सहित निरंतर कार्य करने का लक्ष्य।[7]

आगे चलकर हम और अधिक कौशल उन्नयन के माध्यम से करियर को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन प्रदान करने पर जोर देना चाहेंगे।

1.3.2 विकास के ला प्राप्त करने में गरीबों और उपेक्षितों की सहायता करना

आजीविका कौशल का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के योग्य कौशल उपलब्ध कराना है, ताकि वे नियमित मासिक मजदूरी वाले रोजगार प्राप्त कर सकें। आजीविका कौशल परियोजनाएं निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सामाजिक संगठनों (सीएसओ) (इन्हें परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी भी कहा गया है) के सहयोग से चलाई जाती हैं। ग्रामीण गरीबों की सहायता करने के आजीविका कौशल के उद्देश्य की पूर्ति निम्नलिखित के द्वारा की जाती है:

- यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रशिक्षु गरीब ग्रामीण परिवारों से हों।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षु कौशल विकास और रोजगार दिलाने जैसी सेवाएं निःशुल्क प्राप्त कर सकें।
- बेहतर आपसी सहयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत में सभी पात्र लाार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया अपनाना।
- प्रशिक्षण के दौरान परिवहन/आवास और भोजन के

[5] सॉफ्ट स्किल्स में पढ़ना, लिखना, बोलना, टीम में काम करना, सीखना, कार्य सम्बन्धी नैतिकता, बुनियादी वित्तीय जानकारी, समय प्रबंधन इत्यादि शामिल हैं।

[6] सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए अनुमेय दिनों की अधिकतम सीमा 3 महीने के पाठ्यक्रम हेतु 30 दिन, 6 महीने के पाठ्यक्रम हेतु 60 दिन और 1 वर्ष के पाठ्यक्रम हेतु 90 दिन है।

[7] आजीविका कौशल के तहत परियोजना कार्यान्?वयनकर्ता एजेंसियों को यह सुनिश्?चित करने के लिए प्रोत्?साहित किया जा रहा है कि उनके लाार्थी रोजगार जारी रखें तथा इस लक्ष्?य की प्राप्?ति को व्?यवहार्य बनाने के लिए इन एजेंसियों को अतिरिक्?त संसाधन दिए जा रहे हैं।

लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

- रोजगार दिलाने के बाद 6 महीने तक सहायता प्रदान करना।
- रोजगार दिलाने के एक वर्ष बाद तक परामर्श, सहायता और रिकॉर्ड रखने जैसी सेवाएं प्रदान करना।
- ऐसे अनेक व्यवसायों का प्रशिक्षण प्रदान करना, जिनके लिए औपचारिक शिक्षा आवश्यक नहीं है।
- ग्राम पंचायत और स्वयं–सहायता समूहों के सहयोग से निष्पादन को प्रमाणित करना।
- राज्य सरकारों द्वारा पुरस्कार शुरू करके विभिन्न स्टेक–होल्डरों को कौशल विकास में अनुकरणीय निष्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाना।

1.3.3 अपरिहार्य होने पर प्रवास की पीड़ा को कम करना

कौशल विकास और रोजगार के कई मामलों में युवाओं को अपने निवास स्थान से दूर अपने जिलों में या जिलों के बाहर और कई बार राज्य के भी बाहर स्थित शहरों में जाना पड़ता है। अपने घरों से दूर जाने वाले ग्रामीण युवाओं को आवास, भोजन, अकेलेपन, कामकाजी संस्कृति और सामाजिक मानकों जैसी कई समस्याओं से जूझना पड़ता है और वे कई बार खराब स्वास्थ्य, नशे की लत, अनैतिक व्यापार और शोषण के शिकार हो बैठते हैं। उन्हें औपचारिक क्षेत्र की कामकाजी व्यवस्था के अनुसार ढलने में भी समय लगता है। आजीविका कौशल के तहत तीन तरीकों से इस पीड़ा को कम करने में मदद की जाती है:

- प्रत्याशियों को उनकी अरूचि के अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पूरी जानकारी देकर पाठ्यक्रमों के चुनाव में उनकी मदद करना।
- घर से दूर रोजगार शुरू करने के लिए प्रशिक्षुओं को तैयार करना।
- एक वर्ष तक परामर्श और सहायता सेवाएं प्रदान करना।

आजीविका कौशल के तहत माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर (एमएससी) अनुमेय कार्यकलाप है। दो प्रकार के एमएससी होते हैं। राज्य के भीतर स्थित एमएससी कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की जरूरतों की पूर्ति करेंगे। राज्य के बाहर वाले एमएससी उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे, जहां बड़ी संख्या में आजीविका कौशल प्रशिक्षुओं को रोजगार मिला हो। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) को वित्तीय सहायता दी जाती है, जो स्वयं या किसी पीआईए की सहायता से यह कार्यकलाप शुरू कर सकते हैं। एमएससी के अतिरिक्त प्रत्येक पीआईए को एक कॉल सेंटर भी खोलना होता है, जिससे उसके प्रशिक्षु और पूर्व छात्र प्रशिक्षण पूरा होने के बाद एक वर्ष की अवधि तक सहायता मांग सकते हैं।

1.3.4 भागीदारी के विकास का सक्रिय दृष्टिकोण

एसजीएसवाई की विशेष कौशल विकास परियोजनाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से कार्यान्वित की गई थीं। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव से अनेक कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों की क्षमताओं को विकसित करने एवं सुधारने में मदद मिली है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौशल विकास और रोजगार के लिए 50 लाख का लक्ष्य पाने वाले ग्रामीण विकास मंत्रालय के संदर्भ में प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाने तथा इनमें नए भागीदारों को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रचार कार्यक्रमों तथा मौजूदा एवं संभावित कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

1.3.5 इनपुट और आउटपुट की निगरानी

आजीविका कौशल को सफल बनाने के लिए इनपुट और आउटपुट की निगरानी बेहद जरूरी है। अब तक रोजगार अर्थात आउटपुट सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाता रहा है। इन दिशा–निर्देशों के द्वारा प्रशिक्षक और प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और डिजायन, प्रशिक्षण सामग्री, प्रमाणन इत्यादि जैसे विषयों पर ध्यान देकर इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है।

1.3.6 परियोजनाओं से बैच तक

आगे चलकर कौशलों के सम्बन्ध में इंटरनेट आधारित और वर्कफ्लो संचालित उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) प्लेटफॉर्म स्थापित हो जाने पर अलग–अलग परियोजनाओं को स्वीकृत करने की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर राज्यों द्वारा परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों का पैनल बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इन एजेंसियों का निरंतर वित्तपोषण किया जाएगा।

1.3.7 मुख्य भागीदार के रूप में राज्य सरकार की एकल राज्य परियोजना (एसएसपी) से वार्षिक कार्य योजना (एएपी) तक

विभिन्न राज्यों में चलाई जाने वाली परियोजनाओं और कुछ राज्य सरकारों द्वारा की गई पहलों से प्राप्त अनुभवों से पता चला है कि आजीविका कौशल की सफलता के लिए इसमें राज्य सरकारों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

कई राज्य सरकारों को तो अी यह पता ही नहीं है कि वे आजीविका कौशल परियोजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। इसका प्रभाव पीआईए भागीदारों के अवप्रेरण, संवर्द्धन, जवाबदेही, विभिन्न व्यवसायों की मांग और इनके प्रासंगिक मिश्रण एवं आपूर्ति सम्बन्धी

बदलावों के प्रति संवेदनशीलता पर पड़ता है। यह भी देखा गया है कि जब राज्य सरकारों ने समर्पित व्यवस्था वाले अपने ऐसे कौशल विकास कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें प्रशिक्षण का रिकॉर्ड रखा जाता हो और निगरानी की जाती हो, तब प्रशिक्षण, रोजगार, निरंतरता और करियर के संवर्द्धन जैसे गुणवत्ता सम्बन्धी बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। ये राज्य बेहतर तरीके से पात्र गरीब प्रत्याशियों का निर्धारण, स्थानीय कौशल सम्बन्धी कमियों का आकलन, उपयुक्त कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रस्ताव करने, प्रशिक्षण एवं रोजगार की निगरानी करने तथा सर्वाधिक कमजोर स्थिति वाले प्रशिक्षुओं हेतु अर्थात पहले 6 महीनों में सहायता जुटाने की स्थिति में हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास मंत्रालय की आजीविका कौशल सम्बन्धी कार्यनीति का उद्देश्य प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के स्थान पर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की क्षमताओं के विकास को बढ़ावा देना तथा केंद्रीय स्तर पर कौशल विकास प्रक्रिया के डिजायन और सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है। इस प्रयोजनार्थ राज्यों को अपनी समग्र एनआरएलएम वार्षिक कार्ययोजना के पृथक घटक के रूप में कौशल विकास और रोजगार की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करनी होगी। कौशल सम्बन्धी राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) के फ्रेमवर्क के तहत वार्षिक कार्ययोजनाएं तैयार की जाएंगी। वार्षिक कार्ययोजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति का अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर राज्य विशिष्ट परियोजना कार्यान्वयन (परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के माध्यम से) और निगरानी करेंगे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक राज्य की क्षमता के विकास में भागीदारी करेगा और उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें अधिकार एवं दायित्व सौंपेगा। फिलहाल सी राज्यों में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन एक समान नहीं है। राज्य, जिला और उपजिला स्तरों पर कार्यान्वयन तंत्र की उपलब्धता से राज्य संरचनागत और कारगर ढंग से इस चुनौती को पूरा कर पाएंगे। कौशल सम्बन्धी एएपी का दर्जा पाने वाले राज्य तत्काल इन दिशा–निर्देशों के अनुसार अपनी वार्षिक कार्ययोजनाएं तैयार कर सकते हैं। अन्य राज्यों को एएपी का दर्जा पाने से पहले आगे दर्शाई गई तैयारी सम्बन्धी शर्तों कीं पूर्ति करनी होगी।

- एसआरएलएम में अलग से कौशल एवं रोजगार प्रकोष्ठ स्थापित करना
- आजीविका कौशल के लिए पूर्णकालिक मुख्य प्रचालन अधिकारी (सीओओ) / कार्यक्रम प्रबंधक (कौशल) नियुक्त करना
- आजीविका कौशल के लिए जिला और उपजिला स्तरों पर पूर्णकालिक समर्पित कर्मचारी नियुक्त करना
- आजीविका कौशल के लिए प्रभावी मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली शुरू करना
- आजीविका कौशल परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने वाली परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा राज्य के परिसरों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में राज्य नीति प्रकाशित करना

उपर्युक्त कार्य संपन्न होने तक राज्य विशिष्ट परियोजनाओं का प्रस्ताव करने वाली परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को इन दिशा–निर्देशों की एकल राज्य परियोजनाओं (एसएसपी) सम्बन्धी धाराओं के अनुसार ही आजीविका कौशल परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी। राज्यों को एनआरएलएम के तहत सम्बन्धित राज्य के हिस्से की निधियों का प्रावधान करना होगा, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 10 प्रतिशत तथा जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर अन्य राज्यों के लिए 25 प्रतिशत है। जम्मू और कश्मीर में हिमायत के लिए शत–प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण की स्वीकृति दे दी गई है।

1.3.8 कोई बहुराज्य परियोजना नहीं

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य आजीविका कौशल परियोजनाओं का पूर्ण नियंत्रण संभालें, इसलिए किसी अन्य बहुराज्य परियोजना (एमएसपी) पर विचार न करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित राज्य विशिष्ट परियोजनाओं पर ही विचार करेगा। विभिन्न चरणों में कार्यान्वित की जा रही मौजूदा एमएसपी सम्पन्न होने तक जारी रहेंगी। इन परियोजनाओं के व्यवस्थित समापन तक ही इनका वित्तपोषण किया जाएगा।

1.3.9 पूर्वोत्तर को प्राथमिकता

ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना पूर्वोत्तर के राज्यों की विशिष्ट जरूरतों और विशेषताओं के अनुरूप कौशल विकास परियोजनाएं चलाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के सहयोग से आजीविका कौशल के तहत विशेष स्कीम शुरू करने की है। तब तक यही दिशा–निर्देश लागू रहेंगे लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी और इन राज्यों को दिशा–निर्देशों के तहत अधिकतम प्रचालनात्मक छूट दी जाएगी।

1.3.10 परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ावा

प्रशिक्षण भागीदारों की कौशल विकास क्षमता को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा देना होगा। जरूरतमंदों की भौगोलिक पृष्ठभूमि और औपचारिक शिक्षा चाहे जो भी हो, उन सभी तक आजीविका कौशल के लाभ केवल वे ही पहुंचा सकते हैं। नए प्रशिक्षण सेवा प्रदाता तैयार किए जाने और उनकी क्षमता विकसित किए जाने की जरूरत है। इस प्रयोजनार्थ राज्यों को सम्बन्धित प्रशिक्षकों का पूल तैयार करने में मदद करनी होगी, परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को सरकारी अवसंरचना, बैंकों से ऋण प्राप्त करने में मदद करनी होगी तथा नई और पुरानी प्रशिक्षण संस्थाओं को परामर्शी सहायता प्रदान करनी होगी। जो राज्य शीघ्रता और सफलतापूर्वक यह कार्य संपन्न कर लेंगे वे ही आजीविका कौशल का पूर्ण उपयोग कर पाएंगे।

1.3.11 राज्य की सहमति और अंशदान की अनिवार्यता

अब तक राज्यों के पास यह विकल्प था कि वे केंद्रीय वित्तपोषण की कमी पूरा करने का निर्देश परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को दे सकते थे। अब यह विकल्प वापस ले लिया गया है। राज्य के हिस्से की निधियों का पूर्ण योगदान राज्यों को ही करना होगा। तथापि, राज्य विद्यालयों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) इत्यादि जैसी सरकारी बुनियादी सुविधाओं के प्रयोग की अनुमति परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी को देकर अधिकतम 10 प्रतिशत परियोजना लागत का योगदान कर सकते हैं। ऐसा करते हुए लागत का आकलन राज्य सरकार द्वारा परियोजना को अनुशंसित/स्वीकृत करते समय प्रवृत्त दरों के अनुसार किया जाएगा। इसी प्रकार ग्रामीण विकास प्रभारी राज्य विभाग की सिफारिश प्राप्त होने से पहले किसी भी राज्य विशिष्ट परियोजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वीकृति नहीं देगा।

1.4 आजीविका कौशल के विशेष घटक

1.4.1 वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए रोशनी नामक विशेष योजना

वामपंथी उग्रवाद प्रावित जिलों की विशेष स्थिति को ध्यान में रखने वाले पृथक दिशा–निर्देशों वाली रोशनी नामक विशेष योजना चलाई गई है। इस योजना में विशेषकर विभिन्न समयावधियों में प्रशिक्षण कार्य चलाने का प्रावधान किया गया है। फिलहाल इन कार्यक्रमों की अवधि तीन, छः, नौ और बारह महीने है। बारह महीने की अवधि वाले फॉर्मेट में प्रशिक्षुओं को सामान्य कौशलों, सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल प्रशिक्षण के अतिरिक्त औपचारिक स्कूली शिक्षा छोड़ने के उनके स्तर के अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) का प्रमाणपत्र (8वीं या 10वीं) भी प्रदान किया जाता है। ये दिशा–निर्देश एएपी और गैर–एएपी, दोनों प्रकार के राज्यों में चलाई जा रही रोशनी परियोजनाओं पर लागू होंगे। इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की पूर्ति करने तथा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और परम्परागत कौशलों एवं ज्ञान का लाभ उठाने से सम्बन्धित प्रावधान भी रोशनी योजना में शामिल किए जाएंगे।

1.4.2 जम्मू और कश्मीर के लिए हिमायत नामक विशेष योजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय जम्मू और कश्मीर में आजीविका के तहत एक विशेष योजना चला रहा है जिसके लाार्थियों में अन्य आजीविका कौशल कार्यक्रमों से भिन्न शामिल व्यक्ति इस प्रकार हैं:

- शहरी तथा ग्रामीण युवा
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) तथा गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) जीवनयापन करने वाले व्यक्ति
- औपचारिक क्षेत्र में मजदूरी रोजगार तथा स्वरोजगार।

यह राज्य सरकार की मदद से समर्पित हिमायत मिशन प्रबंधन एकक द्वारा चलाई जा रही शत–प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण वाली योजना है। हिमायत मिशन प्रबंधन एकक श्रीनगर और जम्मू दोनों स्थानों पर है। इन दिशा–निर्देशों में उल्लिखित मानक हिमायत पर लागू नहीं होंगे।

1.4.3 एएपी दर्जा पाने में राज्यों की सहायता

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्थायी आजीविकाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार दिलाने की चुनौती पूरी करने की क्षमता फिलहाल अधिकांश राज्यों में नहीं है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) और अन्य निर्धारित संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसी क्षमता विकसित करने में एसआरएलएम की सहायता करेगा। एसआरएलएम के कर्मचारियों की नियुक्ति होते ही अनुरोध प्राप्त होने पर उनके लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाएगा। अन्य बातों के साथ–साथ इन कार्यशालाओं के विषय इस प्रकार होंगे:

- आजीविका कौशल और प्रमुख अनिवार्य मदों का कार्यान्वयन

- एसपीआईपी और एएपी का निरूपण
- एएपी राज्य बनने के लिए आवश्यक तैयारी सम्बन्धी शर्तों को पूरा करने अर्थात आजीविका कौशल परियोजनाओं को स्वीकृत करने एवं उनकी निगरानी की पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त करने में राज्यों की सहायता करना।
- पीआईए के चयन के प्रोटोकॉल
- परियोजनाओं के क्षेत्रीय मूल्यांकन और निगरानी के प्रोटोकॉल
- आजीविका कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के निरीक्षण और श्रेणीकरण के प्रोटोकॉल
- आजीविका कौशल ब्रांड का विकास – प्रशिक्षकों, प्रशिक्षण और आजीविका कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के परिदृश्य एवं अनुभूति की गुणवत्ता का मानकीकरण
- कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) (http://nrlmskills.in) शुरू करना
- निगरानी के प्रोटोकॉल
- मौजूदा एमएसपी के व्यवस्थित समापन के लिए दिशा–निर्देश
- लेखा परीक्षा और पारदर्शिता सम्बन्धी मानदण्ड

1.4.4. संसाधन राज्य

कौशल विकास कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कर रहे राज्यों, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को संसाधन राज्य माना गया है। राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इन संसाधन राज्यों से तकनीकी और कार्यान्वयन सम्बन्धी सहायता मांगें और प्राप्त करें।

B. M. HOSPITAL

2. ग्राम पंचायतों और स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की भूमिका

2.1 ग्राम पंचायतों की भूमिका

आजीविका कौशल के सफल क्रियान्वयन में, विशेषकर अपने अधिकार क्षेत्र में अत्यंत निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचाने में ग्राम पंचायतों की मुख्य भूमिका है। चूंकि आजीविका कौशल में कौशल विकास के लिए ग्रामीण सेचुरेशन एप्रोच अपनायी गयी है इसलिए कार्यक्रम के बारे में जागरुकता फैलाने, जानकारी प्रदान करने के प्रयासों में मदद करने, कौशल विकास की मांग तथा नियोजन के लिए डाटा बेस तैयार करने, जॉब मेलों के आयोजन में मदद करने तथा कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर पीआईए की सहायता करने में ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाती हैं। ग्राम पंचायतों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत होगी कि महिलाओं सहित अत्यंत कमजोर वर्ग कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल हैं। उन्हें संभावित उम्मीदवारों और संभावित उम्मीदवारों के अभिभावकों के साथ एक विशेष काउन्सलिंग सत्र आयोजित करना होगा और कार्यक्रम की संभव्यताओं के बारे में उन्हें जानकारी देनी होगी। जब पीआईए कौशल विकास का प्रशिक्षण देती है तब ग्राम पंचायतें विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें प्राप्त करके तथा प्रशिक्षण पाने वाले उम्मीदवारों के साथ सीधी बातचीत करके कार्यान्वयन पर नजर रख सकती हैं। ग्राम पंचायतें कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे जिला और राज्य मिशन के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकती हैं। ग्राम पंचायतें प्रशिक्षण के पश्चात् उम्मीदवारों को दिए गए काम पर नजर रख सकती हैं, काम के विभिन्न पहलुओं की निगरानी करने के लिए उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों के साथ बातचीत कर सकती हैं और शिकायत निवारण के हिस्से के रूप में कार्य कर सकती हैं।

2.2 स्व-सहायता समूहों की भूमिका

आजीविका कौशल में कौशल विकास के माध्यम से निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है तथा निर्धनों की संस्थाओं की क्षमताओं का इस्तेमाल करके नियोजन के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। निर्धनों की संस्थाएं – एसएचजी, उनके संघ तथा आजीविका क्रियाकलाप – निर्धनों को स्व–सहायता पर आधारित सामूहिक क्रियाकलापों तथा पारस्परिक सहयोग के लिए मंच मुहैया कराती हैं। लक्ष्य में रखे गए लाभार्थियों को एकजुट करने, कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने, लाभार्थियों के निर्धारण में सहायता करने, निर्धारित युवकों के अभिभावकों हेतु काउन्सलिंग सत्रों के आयोजन में मदद करने, पीआईए द्वारा कार्यान्वयन की निगरानी करने इत्यादि सहित विभिन्न क्रियाकलापों में इन संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार पीआईए को अपनी परियोजना के कार्यान्वयन की कार्यनीति तैयार करने में एसएचजी की भूमिका को ध्यान में रखने की जरूरत होती है।

3. पात्रता, घटक और लागत मानदंड

3.1 पात्रता

3.1.1 ग्रामीण युवक जो गरीब हैं

18–35 वर्ष की आयु के निर्धन ग्रामीण युवक आजीविका कौशल के लिए लक्ष्य समूह हैं। विकलांग व्यक्तियों तथा विशेषकर उपेक्षित जनजातीय समूहों (पीटीजी) के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। विशेष समूहों जिनमें विकलांग व्यक्ति, अवैध व्यापार से पीडित़ व्यक्ति, सर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति, किन्नर, पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूर शामिल हैं, को 16 वर्ष से अधिक की आयु में भी नामांकन की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि वे जॉब संबंधी प्रशिक्षण सहित अन्य प्रशिक्षण का कार्य पूरा होने तक 18 वर्ष के हो जाएं।

निर्धनों का भागीदारीपूर्ण निर्धारण (पीआईपी) नामक प्रक्रिया के जरिए निर्धनों का निर्धारण किया जाएगा। यह प्रक्रिया एनआरएलएम कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा पीआईपी के लिए अधिसूचित किए गए प्रोटोकॉलों का अनुपालन किया जाएगा। यह संभावना व्यक्त की जाती है कि पीआईपी से लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्ष्यबद्ध करने में मदद मिलेगी। जब तक पीआईपी के उपयोग से निर्धनों का निर्धारण किया जाता है तब तक आजीविका कौशल के लिए लक्ष्य समूहों के निर्धारण में बीपीएल परिवारों की मौजूदा सूची का इस्तेमाल किया जाएगा।

3.1.2 उपरोक्त के अलावा, ऐसे युवक जो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मनरेगा कार्य स्थलों पर कम से कम 35 दिनों तक श्रमिक के रूप में कार्य कर चुके हैं, बीपीएल सूची में न होने के बावजूद इसके लिए पात्र होंगे। ऐसी आशा जताई गई है कि पीआईपी के दौरान उनका निर्धारण कर लिया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं पर विशेष बल राष्ट्रीय स्तर पर 50 प्रतिशत निधियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित की जाएंगी। इनके बीच निधियों के अनुपात का निर्धारण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय–समय पर किया जाएगा। इसके अलावा 15 प्रतिशत निधियां अल्पसंख्यक समूहों के लाभार्थियों के लिए अलग से रखी जाएंगी। राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम तीन प्रतिशत लाभार्थी अल्पसंख्यक समूहों में से हों। कवर किए गए व्यक्तियों में से एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए। यह निर्धारण केवल न्यूनतम है। तथापि, यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों में से किसी भी श्रेणी में कोई पात्र लाभार्थी नहीं है और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी इसे प्रमाणित कर देती है तब उनके लक्ष्यों को अन्य श्रेणी के लक्ष्यों में बदला जा सकता है।

विकलांग व्यक्तियों के मामले में, अलग से परियोजनाएं[8] प्रस्तुत की जाएंगी। इन परियोजनाओं के लिए अलग प्रशिक्षण केन्द्र होंगे तथा इनकी इकाई लागत इन दिशा–निर्देशों में उल्लिखित इकाई लागतों से अलग होगी।

3.1.2 विशेष समूह

यद्यपि विकलांग व्यक्तियों, अवैध व्यापार से पीडित़ व्यक्तियों, सर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों, किन्नरों, पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूरों जैसे विशेष समूहों तथा अन्य कमजोर समूहों के लिए अलग से कोई लक्ष्य नहीं है फिर भी राज्यों को ऐसे विशेष समूहों जो कि अक्सर छूट जाते हैंए को ला पहुंचाने के लिए विशेष कार्यनीतियां बनाने पड़ती है। इन समूहों की चुनौतियों से निपटने तथा उनकी भागीदारी में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्य के स्वरूप को राज्यों द्वारा प्रस्तावित कौशल कार्य योजना में समाविष्ट किए जाने की जरूरत है। मूक, बधिर, चलने में अक्षम और दृष्टिहीन व्यक्तियों के मामले में संभावित नियोक्ताओं को संवेदनशील बनाए जाने की भी आवश्यकता होगी ताकि उन्हें काम पर रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके। विकलांग व्यक्तियों के नियोजन से जुडे प्रशिक्षण संबंधी नोट http://nrlmskills.in पर उपलब्ध है।

[8] ऐसी विशेष परियोजनाओं के मामले में, 50 प्रतिशत नियोजन की गारंटी दी जाएगी। यद्यपि पीआईए अपनी परियोजनाओं में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने का प्रयास करेंगी फिर भी सभी परियोजनाओं में विशेष श्रेणी के तीन प्रतिशत लाभार्थियों को रखने की अनिवार्यता नहीं है। राज्य स्तर पर समग्र रूप से तीन प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को कवर करने की जरूरत है। राज्यों में स्वीकृत की गई परियोजाएं विकलांग व्यक्तियों के मानदंड को पूरा करें, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एसआरएलएम की होगी।

3.2 घटक और लागत मानदंड

आजीविका कौशल क्रियाकलापों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है:

- एसआरएलएम द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप
- पीआईए द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप

3.2.1. एसआरएलएम द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप और उनके लिए लागत मानदंड

इस खंड में एसआरएलएम द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची तथा उनके लिए लागत मानदंड के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह राज्य नोडल एजेंसियों पर भी लागू होगा जिन्हें राज्य आजीविका कौशल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पदनामित किया गया है।

3.2.1.1 कौशल में कमी का आकलन (एसजीए)

एसजीए का उद्देश्य कौशल और नियोजन के लिए ग्राम पंचायत–वार मांग का पता लगाना तथा नियोजन हेतु विभिन्न कौशल श्रेणी में प्रतिभावान उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हालांकि दस वर्षों में की जाने वाली जनगणना तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कराए गए अध्ययनों से प्राप्त आकड़े प्रारंकि बिंदु हो सकते हैं, फिर भी एसआरएलएम को खुद या पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से ग्राम पंचायत–वार विस्तृत आकलन कराने की जरूरत होगी। एसआरएलएम प्रत्येक ग्राम पंचायत में आजीविका कौशल से लाभ उठाने के लिए इच्छुक एवं सक्षम व्यक्तियों के ब्यौरों के साथ राज्यव्यापी यूथ डाटा बेस भी तैयार कर सकते हैं। राज्य में और उस क्षेत्र के बाहर नौकरियों के लिए कौशल संबंधी जरूरतों का आकलन करने के लिए समय–समय पर श्रम बाजारों का उचित अध्ययन कराए जाने की भी जरूरत है। सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना के जरिए एकत्र किए गए आकड़ों को अपलोड कराना राज्यव्यापी यूथ डाटा बेस तैयार करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। एसईसीसी कराने के लिए राज्य ग्रामीण विकास विभागों को उपलब्ध कराए गए टैबलेट पीसी तथा सॉफ्टवेयर (उचित तरीके से अपग्रेड किया गया) के इस्तेमाल से इस कार्य को किया जा सकता है। आजीविका समुदाय संसाधन व्यक्ति इस सर्वे में मदद कर सकते हैं।

इस कार्य की इसलिए भी जरूरत है ताकि एसआरएलएम लोगों को एकजुट करनेए जॉब मेलों का आयोजन करने, आईईसी इत्यादि के लिए जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत–वार लक्ष्य निर्धारित कर सके और साथ ही पीआईए द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का सही तरीके से आकलन कर सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस कार्य के लिए एसआरएलएम को आजीविका कौशल बजट से एक वर्ष में राज्य में पीआईए को भुगतान की गई कुल परियोजना लागत की एक प्रतिशत तक की दर से निधियां प्रदान करेगा। एसआरएलएम को ब्यौरा (परियोजना के रूप में) प्रस्तुत करना होगा और इस राशि को प्राप्त करने के लिए ईसी का अनुमोदन लेना होगा। यह कौशल की जरूरतों का आकलन करने के समान नहीं है जैसा कि पीआईए को परियोजना के कैचमेंट एरिया में करने की जरूरत होती है।

3.2.1.2 जॉब मेला

एसआरएलएम द्वारा (या तो खुद या पीआईए की मदद से) जॉब मेलों का आयोजन यथासंभव ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाना होता है। इसमें संभावित नियोक्ताओं और स्थानीय युवकों को आमने सामने लाया जाना चाहिए। इन मेलों का आयोजन इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई मानक प्रचालन प्रक्रियाविधियों को विधिवत अपनाते हुए किया जाना चाहिए। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ युवकों के लिए पंजीयन एवं काउन्सलिंग को शामिल किया जाना, नियोक्ताओं के संबंध में पर्याप्त परिश्रम (केवल अच्छे रिकार्ड वाले नियोक्ताओं को ही इसमें ाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए) और एक वर्ष के लिए नियोजन के परिणामों पर निगरानी को शामिल किया जाना चाहिए। इन मेलों का आयोजन मुख्य रूप से ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाना है जिनके पास नौकरी योग्य कौशल तो है, किन्तु उन्होंने आजीविका कौशल के अंतर्गत वित्तपोषित किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया है। तथापि, अपनी जॉब संबंधी योग्यताओं को निखारने के इच्छुक ऐसे लोगों को इन मेलों में भाग लेने से नहीं रोका जाना चाहिए जिन्होंने जॉब मेलों में पहले ही प्रशिक्षण ले लिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आजीविका कौशल बजट से इसके लिए वित्तपोषण ग्राम स्तर पर प्रति जॉब मेला 50 हजार रुपए तक (बशर्ते कि 100 युवकों को काम पर रखा गया हो) और ब्लॉक स्तर पर प्रति मेला एक लाख रुपए तक (बशर्ते कि 200 युवकों को काम पर रखा गया हो) है। इन निधियों का वितरण करने से पहले एसआरएलएम को परियोजना के लिए ईसी का अनुमोदन लेना होगा जिसमें इस राशि का उपयोग किस तरह से किया जाएगा, का ब्यौरा होगा।

3.2.1.3 सूचनाए शिक्षा और संचार

स्थानीय एवं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया का उपयोग करते हुए, रोड शो, नुक्कड़ नाटक इत्यादि का आयोजन करते हुए उचित जागरुकता एवं प्रचार अयिान चलाया जाएगा। राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसका इस्तेमाल लाार्थियों को एकजुट करने तथा उनका चयन करने और साथ ही उम्मीदवारों एवं नियोक्ताओं दोनों में कार्यक्रम

के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। कार्यक्रम वेबसाइट और ट्रैकिंग सिस्टम को भी जारी रखा जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस कार्य के लिए आजीविका कौशल बजट से एक वर्ष में राज्य में पीआईए को भुगतान की गई कुल परियोजना प्रशिक्षण लागत की 1.5 प्रतिशत तक की दर से निधियां प्रदान करेगा। इन निधियों का वितरण करने से पहले एसआरएलएम को परियोजना के लिए ईसी का अनुमोदन लेना होगा जिसमें इस राशि का उपयोग किस तरह से किया जाएगाए का ब्यौरा होगा।

3.2.1.4 माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर्स (एमएससी)

अनेक मामलों में आजीविका कौशल प्रशिक्षण और नियोजन में ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण दिया जाना और उन्हें उनके मूल जिलों या राज्यों से बाहर काम पर रखा जाना शामिल है। इसलिए एसआरएलएम को ऐसे क्षेत्रों में एमएससी खोलने पर विचार करना चाहिए जहां उनके राज्यों में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। काम के लिए पलायन करने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं की सहायता के लिए राज्य में एमएससी भी खोले जाने चाहिए। यह फिनिशिंग एंड वर्क रेडिनेस सेंटरों से अलग है जिसे पीआईए द्वारा संचालित किया जाएगा। यहां भूतपूर्व छात्रों की सहायताए आवास सहायताए परामर्शी सेवा, आवधिक मेल–मिलाप और नियोक्ताओं, स्थानीय समाचार पत्रों के साथ नेटवर्किंग इवेंट, स्थानीय सिविल एवं पुलिस प्रशासन इत्यादि के साथ सहयोग जैसे क्रियाकलाप भी किए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके लिए आजीविका कौशल बजट से प्रति वर्ष प्रति केन्द्र 10 लाख रुपए तक की दर से निधियां प्रदान करता है। केन्द्रों का खोला जाना ग्रामीण विकास मंत्रालय की ईसी द्वारा स्वीकृत एएपी/परियोजना का हिस्सा होगा। एमएससी की स्थापना और इसके प्रबंधन के प्रोटोकॉल की अधिसूचना मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

3.2.1.5 भूतपूर्व छात्र सहायता

प्रत्येक एसआरएलएम में एक स्पष्ट आजीविका कौशल एल्मनाई विकास कार्यनीति होनी चाहिए। इस में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

- ट्रैकिंग के बाद के चरण में अर्थात प्रशिक्षण के एक वर्ष पश्चात् नियोजन के बाद सहायता
- काम पर बने रहने की अवधि को बढ़ाने तथा कॅरियर को आगे बढ़ाने में मददगार कार्यनीति
- नियोक्ताओं के साथ नेटवर्किंग के अवसर
- समाचार पत्रिका
- विचार–विमर्श बोर्ड
- दीर्घावधिक ट्रैकिंग
- वार्षिक समारोह
- इलेक्ट्रॉनिक जॉब मार्केट
- तालमेल के जरिए कौशल विकास मदद करना
- सामाजिक सुरक्षा और अन्य योजनाओं के साथ तालमेल

ग्रामीण विकास मंत्रालय इस कार्य के लिए आजीविका कौशल बजट से एक वर्ष में राज्य में पीआईए को भुगतान की गई कुल परियोजना प्रशिक्षण लागत की 1.5 प्रतिशत तक की दर से निधियां प्रदान करेगा। इन निधियों का वितरण करने से पहले एसआरएलएम को परियोजना के लिए ईसी का अनुमोदन लेना होगा जिसमें इस राशि का उपयोग किस तरह से किया जाएगाए का ब्यौरा होगा।

3.2.1.6 क्षमता निर्माण

क्षमता विकास एवं नियोजन अधिकांश राज्यों के लिए एक नया और उरता हुआ क्षेत्र है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सी स्तरों पर क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त निवेश किए जाएं। इनमें एसआरएलएम स्टाफ, पीआईए स्टाफ तथा प्रशिक्षकों का क्षमता निर्माण शामिल है।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए

जैसे ही राज्य कौशल दल की भर्ती कर ली जाती है, राज्यों द्वारा संवेदनशीलता बढ़ाए जाने से संबंधित कार्यशालाओं तथा प्राथमिक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन शुरू कर दिया जाना चाहिए। एनआईआरडी इन कार्यशालाओं में मदद कर सकता है तथा इनमें अन्य के साथ–साथ निम्न भी शामिल हैं:

- एसपीआईपी और एएपी तैयार करना
- एएपी तैयार करने संबंधी सिथितियां
- निगरानी परियोजनाओं, एएपी, एसएसपी और मौजूदा एमएसपी के लिए प्रोटोकॉल
- कार्यान्वयन तथा प्रमुख गैर–वार्ता योग्य मदों के लिए कार्यनीति
- पीआईए के चयन के लिए प्रोटोकॉल
- मंजूरी से पूर्व क्षेत्र स्तर पर मूल्यांकन के लिए प्रोटोकॉल
- लेखा परीक्षा संबंधी कार्य तथा पारदर्शिता मानदंड
- आजीविका कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की निगरानी एवं जांच के लिए प्रोटोकॉल
- पीआईए खातों की व्यय जांच में निहित चरण
- पीआईए कार्य निष्पादन की पाक्षिक निगरानी हेतु एमआईएस का उपयोग
- सीसीटीवी फुटेज द्वारा क्लास रूप में कराए जाने वाले कार्यकलापों की गुणवत्तापूर्ण लेखा परीक्षा
- आजीविका कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के लुक और फील को उच्च दर्जे का बनाते हुए आजीविका कौशल ब्रांड को बढ़ाना तथा उनमें प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाना
- ग्रा.वि.मंत्रालय के वर्कफ्लो आधारित इंटरनेट समर्थित आजीविका कौशल ईआरपी मंचों का संचालन।

पीआईए के स्टाफ के लिए

पीआईए का वर्तमान और सांवित क्षमता विकास एसआरएलएम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि आवेदन किस प्रकार किया जाएए किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए, किस प्रकार काम पर रखा जाए और किस प्रकार उसके कार्यकाल को जारी रखा जाए इस बात की स्पष्टता होनी चाहिए ताकि आजीविका कौशल प्रोटोकॉल का अनुपालन होता रहे। आजीविका कौशल कार्यनीति सहायक पर्यवेक्षण करने की है और न कि मात्र दोष ढूढंने की। एसआरएलएम को चाहिए कि वह सांवित त्रुटियों का पता लगाए और पहले से ही इन त्रुटियों को दूर करने की कार्यवाही कर ले ताकि आम गलतियों से बचा जा सके। भारत के औपचारिक क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर युवकों को मिलने वाले अवसरों से समझौता नहीं किया जा सकता है। क्षमता निर्माण क्रियाकलापों में न केवल वरिष्ठ प्रबंधन के लिए बल्कि पीआईए स्टॉफ के लिए भी कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए क्योंकि ये स्टाफ ही परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने तथा कक्षाओं में पठन–पाठन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। विद्यालयों में शाम की कक्षा चलाने, आईटीआई इत्यादि जैसी राज्य सरकार की मूभूलूत सुविधाएं भी पीआईए को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

मास्टर ट्रेनरों का प्रमाणन

प्रशिक्षकों की गुणवत्ता आजीविका कौशल कार्यक्रम की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए एसआरएलएम को इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपनी पर्याप्त ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग करना चाहिए कि पीआईए द्वारा तैनात किए गए प्रशिक्षकों में गुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए पर्याप्त जानकारी, कौशल और तत्परता हो ताकि इस प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप योग्य व्यक्तियों को काम पर रखा जा सके और उनकी बहाली की अवधि बनी रहे और उनके कॅरियर में क्रमिक विकास होता रहे। अपने क्यू दलों के हिस्से के रूप में मास्टर ट्रेनरों की भर्ती करके एवं उन्हें तैनात करके पीआईए इस उद्देश्य को पूरा कर सकती हैं। इन मास्टर ट्रेनरों को अनेक प्रशिक्षण केन्द्रों की जिम्मेवारी सौपी जानी चाहिए और ये मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण की गुणवत्ता और उनके प्रशिक्षण केन्द्रों से निकलने वाले प्रशिक्षुओं के नियोजनए उनकी बहाली और कॅरियर को आगे बढ़ाने के प्रति जिम्मेवार होंगे। मास्टर ट्रेनर प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करके, केन्द्रों का दौरा करके, परीक्षण परिणामों की जांच करके तथा प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षुओं की बहाली दर पर ध्यान देते हुए प्रशिक्षण की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर सकते हैं। उन्हें ऐसे प्रशिक्षकों के लिए आवधिक रूप से कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए जिनमें विशिष्ट जानकारी और कौशल की कमी है। इसके लिए प्रत्येक पेशे के प्रशिक्षकों का डाटा बेस बनाने और उनका रख–रखाव करने तथा उनके कार्यनिष्पादन के विभिन्न पहलुओं पर नजर रखने की जरूरत होगी। पीआईए द्वारा भर्ती किए गए मास्टर ट्रेनरों को एनआईआरडी द्वारा खुद से या अपने द्वारा नियुक्त की गई एजेंसियों के माध्यम से चरणबद्ध ढंग से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित किया जाए।

पीआईए का क्षमता विकास

आगामी 10 वर्षों के लिए कौशल विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए असीमित क्षमता विकास की जरूरत होगी। हालांकि मौजूदा पीआईए के विकास और क्षमता विकास से केवल थोड़ा सा ही हिस्सा पूरा होगा, इसलिए ग्रामीण विकास, शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं को प्रोत्साहित करते हुए नई पीआईए तैयार करने और नई या पूरक उद्यम के रूप में कौशल विकास के लिए वृहत नियोक्ताओं को काम पर लगाए जाने पर विशेष बल दिए जाने की जरूरत होगी।

संसाधन संस्थाओं के जरिए क्षमता निर्माण

विभिन्न राज्यों में आजीविका कौशल का अलग–अलग चरणों में कार्यान्वयन हो रहा है। इसलिए यह सलाह दी जा सकती है कि आजीविका कौशल के राज्य एवं राष्ट्रीय संसाधन संस्थाओं के रूप में कुछेक उत्कृष्ट संस्थाओं को पदनामित किया जाए। तब इन संस्थाओं का इस्तेमाल तकनीकी सहायता केन्द्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में किया जा सकता है। भारत सरकार संसाधन संस्थाओं को पदनामित करेगी जिससे एसआरएलएम सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

वित्तपोषण पद्धति

एसआरएलएम को ग्रामीण विकास मंत्रालय के आजीविका कौशल बजट से क्षमता निर्माण संबंधी क्रियाकलापों के लिए आजीविका कौशल की कुल अनुमोदित कार्य योजना/वर्ष कार्यक्रम के तीन प्रतिशत तक की दर से निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। ईसी द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों के आधार पर एसआरएलएम को निधियां रिलीज की जाएंगी।

3.2.1.7 निगरानी एवं मूल्यांकन

निगरानी एवं मूल्यांकन आजीविका कौशल का एक महत्वपूर्ण घटक है। ऐसा मुख्यतः इस वजह से है कि इस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय, एसआरएलएम और प्राईवेट एवं पब्लिक दोनों एजेंसियों के बीच भागीदारी के जरिए चलाया जाता है। इसके दो पहलू हैं। पहला निगरानी तथा दूसरा प्रभाव आकलन एवं मूल्यांकन।

निगरानी

निगरानी प्रगति (गुणवत्ता एवं मात्रा) की एक सतत मापन प्रक्रिया हैए जबकि प्रशिक्षण हमेशा चलते रहने वाली प्रक्रिया है। इसमें प्रगति की जांच करना और उन्हें मापना, स्थिति का विश्लेषण करना और नई घटनाओं, अवसरों और मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया जताना शामिल है। आजीविका कौशल परियोजनाओं की निगरानी पीआईए, एसआरएलएम और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कराए जाने की जरूरत है। एनआईआरडी निगरानी का एक प्रावी फ्रेमवर्क तैयार करेगा तथा आजीविका कौशल की निगरानी प्रणाली को कारगर बनाने के लिए एसआरएलएम, पीआईए और ग्रामीण विकास मंत्रालय को सक्षम बनाएगा। इसमें निम्नलिखित पहले भी शामिल होंगी:

- पीआईए और एसआरएलएम में एक विशिष्ट उच्च स्तरीय गुणवत्ता दल (क्यू दल) की स्थापना करना जो कि किए जाने वाले सी उपायों पर नजर रखेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :
  - लाार्थियों का निर्धारण
  - लार्थियों को एकजुट करके उनका चयन करना
  - प्रशिक्षक
  - प्रशिक्षण
  - प्रमाणन
  - नियोजन
  - बहाली
  - कॅरियर प्रोग्रेशन
  - भूतपूर्व छात्र सहायता
- प्रत्येक प्रक्रिया (एकजुटता, प्रशिक्षण, नियोजन, बहाली से लेकर कॅरियर को आगे बढ़ाने तक) के लिए मुख्य निष्पादक संकेतकों का निर्धारण करना
- किन्हें और किस चीज की निगरानी किए जाने की जरूरत है इस बात को विनिर्दिष्ट करना (पीआईए निष्पादन, कार्यक्रम निष्पादन, आंतरिक प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की गुणवत्ता, निगरानी एजेंसियों का कार्य निष्पादन)

आजीविका कौशल में निम्नलिखित के माध्यम से समवर्ती मूल्यांकन कराया जाता है:

- पीआईए वेबसाइट की 15 दिनों में समीक्षा तथा निष्पादन लक्ष्यों के संबंध में कमियों या विपथन के बारे में एडवाइजरी जारी करना। एसआरएलएम या तकनीकी सहायता एजेंसी ऐसा करेगी। पीआईए यह सुनिश्चित करेगी कि सी साजो–सामान, शिक्षण उपकरणों एवं उपभोज्यों की दैनिक स्थिति के रूप में प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं की जिऑ–टैग्ड टाइम स्टेम्प्ड अटेंडेंस की दैनिक स्थिति उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हो। ली जाने वाली परीक्षाओं और क्विजों के प्रशिक्षु–वार ब्यौरों और उनकी प्रश्नोत्तरी तथा उनके प्राप्तांक वेबसाइट पर जांच के लिए उपलब्ध होने चाहिए।
- पीआईए के क्यू दल द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र की मासिक जांच। इन जांचों के दौरान क्यू दल एनआईआरडी द्वारा इस प्रयोजनार्थ तैयार किए गए प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और साप्ताहिक अपडेट के साथ–साथ इसके परिणामों को अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, जिनका पालन केन्द्रीय प्रबंधन और अलग–अलग प्रशिक्षक करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्यू दल उच्च गुणवत्ता वाले हों और उन्होंने गुणवत्ता जांचकर्ता का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। उन्हें कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक आजीविका कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की प्रयोगशालाओं और कक्षाओं में सीसीटीवी लगा होगा। इन जांचों के दौरान इन सीसीटीवी के फुटेजों की समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कक्षा में पढ़ाई की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की है।
- एसआरएलएम और इसकी तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्रों की दो महीने में एक बार जांच। इन जांचों के दौरान जांच संबंधी टिप्पणी और पीआईए क्यू दल द्वारा उनका अनुपालन किए जाने की स्थिति सहित पीआईए की वेबसाइट पर डाली गई जानकारी की जांच की जाएगी।
- तकनीकी सहायता एजेंसी एनआईआरडी द्वारा अनुमोदित 'लॉट क्वालिटी एश्योरेंस सैम्पलिंग (एलक्यूएएस)'[9] मानकों का इस्तेमाल करते हुए याच्छिक आधार पर चुने गए अनेक प्रशिक्षण केन्द्रों की भी तीन महीने में एक बार जांच करेगी। इन जांचों के दौरान एसआरएलएम या उनकी तकनीकी सहायता एजेंसी और साथ ही पीआईए के क्यू दल द्वारा अपलोड की गई जांच संबंधी टिप्पणियों की यथातथ्यता भी जांची जाएगी। इन जांचों के नतीजे तथा इनके अनुपालन की स्थिति कार्यक्रम की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का आधार बनेगी।
- पीआईए अपनी निधियों का प्रबंधन करने के लिए इंटरनेट आधारित एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगी तथा केवल एसआरएलएम या उसकी तकनीकी सहायता एजेंसी ही इस लेखा प्रणाली को देख सकती है। इसके माध्यम से वाउचर लेवल डाटा भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पीआईए आजीविका कौशल निधियां प्राप्त करने और सभी तरह का ुगतान करने के लिए केवल एक ही नामित बैंक खाते का उपयोग करेगी। इस खाते को केन्द्रीय प्लान योजना निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) में शामिल किया जाएगा और इसे

[9] एलक्यूएएस का इस्तेमाल करना क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2912491/ पर बताया गया है।

देखने का अधिकार केवल एसआरएलएम और उसकी तकनीकी सहायता एजेंसियों को दिया जाएगा। निधियों की रिलीज की तैयारी संबंधी स्थिति का पता लगाने के लिए परियोजनाओं की वित्तीय निगरानी की जरूरत पड़ेगी और यह निगरानी सीपीएसएमएस के बैंक खाते के ब्यौरों और ऑन लाइन सॉफ्टवेयर पर दिए गए एकाउंटिंग ब्यौरों का उपयोग करते हुए की जाएगी। एसआरएलएम और उसकी टीएसए ऑन लाइन खातों की यथातथ्यता की वास्तविक जांच करने के लिए तीन महीने में एक बार उस स्थल का दौरा भी करेंगे। खातों की वास्तविक जांच के दौरान लाार्थियों को दिए गए वित्तीय पासों अर्थात (क) भोजन और यात्रा भत्ता (ख) नियोजन के पश्चात् दिए जाने वाले भत्ते और (ग) प्रशिक्षकों, मास्टर ट्रेनरों और क्यू दल के सदस्यों को किए गए भुगतानों की भी जांच की जाएगी। इससे पीआईए को किए गए लगग 70 प्रतिशत भुगतान की लेखा परीक्षा हो जाने की संावना व्यक्त की गई है। अन्य वाउचरों की जांच नहीं की जाएगी। पीआईए द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र ही पर्याप्त होगा। आजीविका कौशल के ईआरपी में एकाउंटिंग पैकेज भी शामिल होगा जहां पीआईए के पास उनका खुद का खाता होगा। पीआईए अपने खातों के लिए अपनी लेखा प्रणाली बनाएंगी। पीआईए को अपने खातों में अपने वाउचरों को भी अपलोड करना। जब तक ईआरपी प्रणाली चालू रहती है तब तक पीआईए संबंधित टीएसए/एसआरएलएम को ई–मेल के जरिए अपना मासिक वित्तीय स्टेटमेंट भेजेगी। वाउचरों की प्रतियां स्कैन की जाएंगी और परस्पर सहमत सुविधा अर्थात 'ड्रॉप बॉक्स' के जरिए उपलब्ध कराई जाएंगी। टीएसए/एसआरएलएम 15 दिनों के भीतर औचक आधार पर चुने गए वाउचरों के नमूलों की जांच करेगा। यदि पाआईए को 20 दिनों के भीतर ई–मेल पर किसी भूल की जानकारी नहीं मिलती है तो वह यह मान सकती है कि प्रस्तुत किए गए वाउचर और क्रम में हैं। टीएसए/एसआरएलएम इन्हें अपलोड करने की व्यवस्था करेगा तथा इन वाउचरों और एकाउंट स्टेटमेंटों को एक सुरक्षित स्थान पर जमा रखेगा।

प्रभाव आकलन एवं मूल्यांकन

आजीविका कौशल की सफलता प्रत्येक पीआईए को दी जाने वाली सहायता और पर्यवेक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हालांकि ऐसी संावना जताई गई है कि मुद्दों के उर कर सामने आते ही समवर्ती मूल्यांकन से उनका समाधान हो जाएगा फिर भी की जा रही पहलकदमियों के प्राव पर लंबे समय तक नजर रखना भी काफी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र अध्ययनों के माध्यम से ही इस कार्य को बेहतर ढंग से किया जाता है। इसलिए प्राव आकलन और मूल्यांकन को आजीविका कौशल के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में निर्धारित किया गया है। एसआरएलएम से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिष्ठित एजेंसियों/संस्थाओं के जरिए अध्ययन शुरू करवाएंगे और इनके निष्कर्षों पर कार्रवाई करेंगे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के आजीविका कौशल बजट से निगरानी एवं मूल्यांकन क्रियाकलापों के लिए एक वर्ष में राज्य में पीआईए को भुगतान की गई परियोजना प्रशिक्षण लागत की 3.5 प्रतिशत तक की दर से निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इन निधियों को प्राप्त करने के लिए एसआरएलएम को ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकारप्राप्त समिति का अनुमोदन लेना होगा।

3.2.1.8 स्टाफ – ब्लॉक स्तर और उससे नीचे के स्तर पर

ब्लॉक स्तर और इससे नीचे के स्तरों पर पेशेवरों पर आने वाली लागत को प्रशासनिक लागत न मानते हुए कार्यक्रम की लागत समझना आजीविका कौशल (अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं से अलग) की एक नई महत्वपूर्ण विशेषता है। आजीविका कौशल की सफलता के लिए प्रेरित किए गए और सक्षम स्टाफ काफी महत्वपूर्ण है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि इसमें कौशल के लिए एक पूर्णकालिक लगनशील ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी और अनेक सामुदायिक संसाधन व्यक्ति होंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आजीविका कौशल बजट से प्रति ब्लॉक प्रति वर्ष 3.5 लाख रुपए तक की दर से ब्लॉक एवं उससे नीचे के स्तर पर तैनात किए गए पेशेवरों के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इन निधियों को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति का अनुमोदन लेना होगा।

3.2.1.9 प्रशासनिक लागत

ऊपर उल्लिखित क्रियाकलापों और लागत ढांचों के अतिरिक्त राज्य एवं जिला स्तर पर स्टाफ लागत और कार्यालय खर्च सहित कौशल के संबंध में एसआरएलएम के अन्य प्रशासनिक खर्चों कों एनआरएलएम के अंतर्गत राज्य सरकारों को आवंटित 5 प्रतिशत प्रशासनिक लागत से समानुपातिक आधार पर पूरा किया जाएगा। ऐसी संावना जताई गई है कि एसआरएलएम राज्य और जिलों में आजीविका कौशल हेतु एक पूर्णकालिक समर्पित दल को तैनात करने में इन निधियों का उपयोग करेंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में एनआरएलएम द्वारा किए गए कुल खर्च की 25 प्रतिशत राशि आजीविका कौशल पर खर्च की जानी होती है, इसलिए यह अनिवार्य है कि राज्य में कौशल दलों की अगुवाई राज्य मुख्यालयों में तैनात मुख्य प्रचालन अधिकारी (सीओओ) के रैंक और शक्तियों वाले एक पूर्णकालिक व्यक्ति द्वारा की जाए।

सीओओ को निम्नलिखित कार्य करने होंगे। कार्यों को निम्नानुसार बांटने की सिफारिश की गई:

- राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (अवप्रेरण, काउंसलिंग और जॉब मेला)
- राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (पीआईए समन्वय और विकास)
- राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (आईटी और बायोमैट्रिक्स)
- राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (वित्तीय एवं प्रस्तावों की जांच)
- राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (अध्यापन और शिक्षण प्रबंधन)
- राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (एल्मनाई, माइग्रेशन सपोर्ट, नियोजन, बहाली और कॅरियर प्रोग्रेसन पर नजर रखना)
- राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (जांच, गुणवत्ता आश्वासन और ब्रांडिंग)
- राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (राज्य कौशल मिशन और राज्य की अन्य कौशल पहलों के साथ सहयोग)

उपरोक्त पेशेवरों के अलावा, राज्य और जिला स्तरों पर सहायक स्टाफ की भी जरूरत होगी। विभिन पदों के लिए दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन की अधिसूचना मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी की जाएगी।

3.2.2 पीआईए द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप और उनके लिए लागत मानदंड

पीआईए द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

3.2.2.1 अवप्रेरण, काउंसलिंग और चयन

प्रशिक्षण के पहले उम्मीदवारों का अवप्रेरण, उनकी काउंसलिंग तथा उनका चयन किया जाता है। इस स्तर पर किए गए कार्य की गुणवत्ता पर ही प्रशिक्षण के पश्चात् काम पर रखे जाने और उन्हें बहाल रखने की दर निर्भर करती है।

3.2.2.1.1 अवप्रेरण

प्रशिक्षण के दौरान अवप्रेरित किए गए उम्मीदवारों की योग्यता का जॉब में बहाली पर और साथ ही उनके करियर को आगे बढ़ाने पर काफी गहरा प्राव पड़ता है। अवप्रेरण प्रक्रिया की प्राविकता और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से स्थानीय समुदायों और सीएसओ को जागरुक बनाने में एसआरएलएम की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।

निम्नलिखित दृष्टिकोणों में से किसी एक के जरिए अवप्रेरण प्रक्रिया निष्पादित की जा सकती है:

- एसआरएलएम ऐसे क्षेत्र का निर्धारण कर सकता है जहां वह परियोजना को क्रियान्वित करना चाहता है और परियोजना तैयार करने के लिए पीआईए को बुला सकता है। राज्य को योजना के बारे में समुदाय, ग्राम पंचायतों और सिविल सोसाइटी संगठनों को संवेदनशील बनाना होगा। पीआईए के चयन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए मानदंडों पर आधारित होगी जिसके बारे में सभी स्टेकहोल्डरों को पहले ही अवगत करा दिया जाएगा। सभी चरण पारदर्शी होने चाहिए और समुदाय में इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि प्रक्रिया न्यायोचित है।
- पीआईए क्षेत्र का चयन कर सकती है और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राज्य को सुझाव दे सकती है। कार्यक्रम की जरूरत के बारे में राज्य सरकार द्वारा किए गए आकलनों के आधार पर जागरुकता सृजन, समुदाय में अवप्रेरण और लाार्थियों का निर्धारण सहित विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं।
- उपर्युक्त दोनों दृष्टिकोणों से कुछ तत्वों का समावेश करते हुए एक हाईब्रिड दृष्टिकोण भी अपनाया जा सकता है।

एसआरएलएम द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में पीआईए वास्तविक रूप से अवप्रेरित करने का कार्य शुरू करेगी। उन्हें आजीविका के अंतर्गत बनाई गई निर्धनों की संस्थाओं और ग्राम पंचायतों को शामिल करना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने में ग्राम पंचायतों और आजीविका संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है कि सी बसावटों में सी पात्र व्यक्तियों की कौशल नियोजन संबंधी जरूरतों पूरी कर ली गई हैं।

अवप्रेरण के पश्चात् निर्धारित किए गए उम्मीदवारों की प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा का पता लगाना होगा। प्रशिक्षुओं के निर्धारण की चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी तथा यह सी स्टेकहोल्डरों के लिए होगी। उम्मीदवारों के आकांक्षा, पात्रता और अरुचि के बीच एक बेहतर संतुलन बनाए रखना होगा। हालांकि सी निवासियों को यह अधिकार है कि उन पर विचार किया जाएए फिर भी इसका तात्पर्य यह नहीं है कि किसी खास व्यवसाय के लिए ध्यान में रखे गए सभी व्यक्तियों का चयन कर लिया जाए। यह स्वीकार्य है, बशर्ते रखे गए रिकार्ड में यह दर्शाया गया हो कि अरुचि टेस्ट में उम्मीदवार की आकांक्षा और क्षमता में कोई समानता नहीं थी या वह प्रार्थी इस योग्य नहीं था। पीआईए को यह सुनिश्चित करना होगा कि काम पर रखे गए कम से कम 75 प्रतिशत व्यक्ति अवप्रेरित हो चुके हैं, यह तथ्य समावेशन संबंधी गलतियों को कम से कम रखने के लिए पर्याप्त है। ग्राम पंचायतों और आजीविका संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि बहिर्वेशन प्रक्रिया में कम से कम गलतियां हों। उन्हें किए गए नियोजनों की आय संभावनाओं को भी मानक बनाना होगा।

पीआईए इन दिशा–निर्देशों में फोकस/विशेष समूहों के रूप में निर्धारित उम्मीदवारों को अवप्रेरित करने और उनका

चयन करने को प्राथमिकता देगी। उन्हें अवप्रेरण के समय ग्राम पंचायत सेचुरेशन मॉडल अपनाना चाहिए। इससे दो प्रयोजन फलीभूत होते हैं।

- इससे यह सुनिश्चित होता है कि अपने हुनर को निखारने और काम पाने के इच्छुक सभी निवासयों पर विचार किया गया है।
- इसमें प्रशिक्षण और नियोजन के दौरान अविकों और उम्मीदवारों को एक दूसरे की सहायता करने की अनुमति दी जाती है। उनके निवास स्थल से दूर किसी अन्य स्थान पर प्रशिक्षण या काम दिए जाने की स्थिति में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।

3.2.2.1.2 काउंसलिंग

उम्मीदवारों की काउंसलिंग में सांवित प्रशिक्षुओं को क्षेत्र/व्यवसाय में कार्य की किस्म, जॉब की उपलब्धता, नियोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं, हकदारियों, विकास की संभावनाओं और इससे जुड़े जोखिमों की जानकारी दी जानी चाहिए। इसका उद्देश्य उम्मीदवारों और अविकों दोनों को अपनी पसंदों की जानकारी देने और उनकी अरुचियों को उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने में मदद करना है। एसआरएलएम द्वारा बनाए गए फ्रेमवर्क, जिनमें काम के दौरान काउंसलिंग स्रोत बनाना और जॉब मेले का आयोजन करना शामिल हो सकता है, के भीतर ही पीआईए काउंसलिंग का कार्य करेंगी।

3.2.2.1.3 चयन

चयन काउंसलिंग के बाद का चरण है। अरुचि परीक्षण (साइकोमेट्रिक और अन्य) तथा काउंसलिंग (प्रशिक्षित काउंसलरों द्वारा) के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाती है और इसे पदनामित एमआईएस पर अपलोड किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि अवप्रेरित किए गए कुछ ही उम्मीदवार काउंसलिंग में हिस्सा लें और काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले कुछ ही व्यक्तियों का अंतिम रूप से चयन हो। हालांकि इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपने हुनर को निखारने और काम पाने को इच्छुक सी व्यक्तियों पर विचार किया गया है और उनकी काउंसलिंग तथा अरुचि परीक्षण किया गया हैए फिर भी यह संव है कि उस खास पीआईए द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किसी–किसी उम्मीदवार में ही अपेक्षित अरुचि हो। इन मामलों का अलग से निर्धारण किया जाना चाहिए तथा एसआरएलएम द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने के लिए उन्हें राज्य डाटा बेस पर डाला जाना चाहिए ताकि इन व्यक्तियों को भविष्य में कम दूरी पर उसी या किसी अन्य पीआईए के साथ किसी अन्य व्यवसाय में शामिल होने का मौका मिल सके।

3.2.2.2 प्रशिक्षण

प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रशिक्षण केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाओं, प्रशिक्षकों, विषय–वस्तु, प्रशिक्षण पद्धतियों, फिनिशिंग एंड वर्क रेडीनैस संबंधी जानकारियों, आकलन और प्रमाणन की गुणवत्ता से प्रभावित होती है। ऐसे अनेक चरण हैं जिन्हें इनमें से प्रत्येक के संबंध में पीआईए को शुरू करना पड़ता है। इनके बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है।

3.2.2.2.1 आधारूत सुविधा

किसी आजीविका कौशल प्रशिक्षण केन्द्र में आधारभूत सुविधाओं के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है।

आजीविका कौशल प्रशिक्षण केन्द्र में निम्लखित की व्यवस्था होनी चाहिए:

- फर्नीचर, ले–आउट, कलर स्कीम और साइनेज – आजीविका कौशल ब्रांड बनाने के लिए महत्वपूर्ण
- लैब, क्लासरूम और आईटी सुविधाएं
- प्रशिक्षण संबंधी साजो–सामान
- प्रशिक्षक और प्रशिक्षु दोनों के लिए जिऑ टैग्ड टाइम स्टैम्प्ड बायोमैट्रिक अटेंडेंस सुविधा
- अग्निशामक उपकरण
- प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, साफ–सफाई, पेयजल, कैंटीन और वॉशरूम की सुविधा
- सी आईटी उपस्करों पर निर्धारित स्पीड का इंटरनेट और ई–मेल एक्सेस जिसकी मदद से सभी प्रशिक्षु अपने ई–मेल को देख सकते हैं और इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं
- एक्सेस कंट्रोल फैसिलिटी
- पॉवर बैकअप
- प्रोजेक्शन एंड कॉपिंग इक्विपमेंट
- पीआईए की वर्कफ्लो आधारित और इंटरनेट से जुड़ी ईआरपी के लिए हाईस्पीड एक्सेस (और तैयार हो जाने पर एसआरएलएम और ग्रामीण विकास मंत्रालय)
- कक्षाए प्रयोगशालाओं और साझा क्षेत्रों में सीसीटीवी रिकार्डिंग की सुविधाएं।

पीआईए को काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दिए जाने से पूर्व, प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र की जांच की जानी चाहिए और पीआईए के गुणवत्ता दल के पदनामित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उपर्युक्त में से प्रत्येक के अनुपालन का प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए। इस जांच से प्राप्त परिणामों को पदनामित वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए या एसआरएलएम अथवा टीएसए के पदनामित ई–मेल पर`जा जाना चाहिए। एसआरएलएम या उसके द्वारा नियुक्त की गई तकनीकी सहायता एजेंसी को इस रिपोर्ट की जांच करनी चाहिए और

पीआईए की रिपोर्ट मिलने के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर ई–मेल द्वारा अपना उत्तर भेजना चाहिए। यदि एसआरएलएम या पीएसए 7 कैलेंडर दिनों के भीतर जांचों के नतीजों की जानकारी नहीं भेजता है तो पीआईए ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस वस्तुस्थिति से अवगत कराएगी और इसकी एक प्रति एसआरएलएम और उनकी टीएसए को पदनामित वेबसाइट या ई–मेल ऐड्रेस के जरिए भेजी जाएगी। यदि एसआरएलएम की ओर से अगले 7 कैलेंडर दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है तो पीआईए इन केन्द्रों में काउंसलिंग और प्रशिक्षण का कार्य शुरू कर सकती है। एमएसपी के मामले में यह कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पदनामित टीएसए के द्वारा किया जाएगा।

प्रशिक्षण केन्द्रों के संबंध में ध्यान में रखे जाने वाले अन्य पहलू इस प्रकार हैं:

- यदि सी विषयों के संबंध में एक ही केन्द्र में और एक ही लैब में प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव किया जाता है तो प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रत्येक विषय के लिए अलग–अलग स्थान होने चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक केन्द्र में आईटी कौशल के लिए एक कम्प्यूटर लैब होना चाहिए। थ्यौरी रूमों के लिए प्रति प्रशिक्षु कम से कम 10 वर्ग फीट तथा कम्प्यूटर लैब के लिए प्रति प्रशिक्षु 10 वर्ग फीट की दर से स्थान संबंधी जरूरतों की गणना की जाती है।
- प्रशिक्षण संबंधी मूलभूत सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, इन्हें भाड़े पर लिया जा सकता है या ये विशेषाधिकार करार का हिस्सा हो सकती हैं। राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे सरकारी वन उपलब्ध कराएं जिनमें अलग से जगह हो या सामान्य कामकाज के घंटों के बाद जिनका इस्तेमाल किया जा सके। जो भी मामला हो परियोजना प्रस्ताव में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए और अनुमोदन दस्तावेजों के हिस्से के रूप में इसे सावधानीपूर्वक संलग्न किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षण पूरा होने की तारीख से कम से कम तीन माह तक या प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 75 प्रतिशत उम्मीदवारों को काम पर रखे जाने तक (इनमें से जो भी बाद का हो) रहना चाहिए। इस अवधि के दौरान प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षित लाार्थियों और उनके परिवारों के लिए सूचना एवं सुविधा केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे।
- चल केन्द्रों की अनुमति नहीं है।
- गैर–आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षुओं के आवासों के समीप स्थित होने चाहिए। आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र और वर्क रेडीनैस एंड फिनिशिंग सेंटर्स रोजगार की अधिक संभावना वाले क्षेत्रों के समीप अवस्थित होने चाहिए। वर्क रेडीनैस एंड फिनिशिंग सेंटर्स आवासीय पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएंगे।[10]
- जहां आवासीय प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है वहां तय सुविधाओं के साथ अपना या किराए पर लिया गया स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उसे एसआरएलएम या उसकी टीएसए द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- पेशों में हुनर निखारने के मामले में जहां अवसंरचना तैयार करने (अर्थात वेल्डिंग) में काफी अधिक खर्च होता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके लिए पेशेवार लागत की अधिकतम सीमा तय करने के लिए एक लागत समिति का गठन करेगा।

3.2.2.2.2 प्रशिक्षक

इस बात को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रशिक्षकों के रूप में केवल ऐसे व्यक्तियों को तैनात किया जाए जिनके पास सांवित नियोक्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाने की अपेक्षित क्षमता है। उनमें अपने विषय में एक अच्छा प्रशिक्षक बनने के लिए आवश्यक जानकारी, कौशल और अरुचि भी होनी चाहिए। सबसे पहले पीआईए के क्यू टीम द्वारा उनका परीक्षण किया जाना चाहिए और बाद में एसआरएलएम तथा उनकी टीएसए द्वारा इसका सत्यापन कराया जाना चाहिए। लिखित परीक्षा के माध्यम से उनकी जानकारी की जांच की जा सकती है और व्यावहारिक परीक्षणों के माध्यम से उनके कौशल को परखा जा सकता है। तथापि अरुचि की जांच केवल कक्षा के वास्तविक माहौल में ही की जा सकती है। इसी वजह से इस बात को अनिवार्य बना दिया गया है कि सीसीटीवी कैमरा का उपयोग करते हुए कक्षा और प्रयोगशालाओं के सी सत्रों को रिकार्ड किया जाए। सांख्यिकीय रूप से मान्य तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक माह लिए गए फुटेजों के नमूनों की जांच पीआईए के क्यू दल के विषय विशेषज्ञों द्वारा कराई जानी चाहिए और एसआरएलएम तथा इसकी टीएसए द्वारा इस जांच को सत्यापित किया जाना चाहिए। इसी के आधार पर आजीविका कौशल इकोसिस्टम में प्रत्येक प्रशिक्षकों को जानकारी, कौशल और अरुचि के लिए अलग–अलग ग्रेड दिया जाना चाहिए। ऐसे प्रत्येक कार्य के पश्चात् हरेक प्रशिक्षक को किए जाने वाले कार्यों कीं सूची दी जानी चाहिए जिसमें वह एक प्रशिक्षक के रूप में अपने कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने की क्षमता रखता हो। प्रशिक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रत्येक सूची पर की गई कार्रवाई की जांच की जानी चाहिए और

[10] ब्यौरे खंड 3.2.2.2.5 में दिये गये हैं।

इसे दर्ज किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ आजीविका कौशल इकोसिस्टम में सी प्रशिक्षकों का एक डाटाबेस बनाया जाना चाहिए और उनके आजीविका कौशल पंजीयन आईडी का इस्तेमाल करते हुए उनके कार्यनिष्पादन पर नजर रखनी चाहिए तथा पीआईए की ईआरपी एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की आजीविका कौशल ईआरपी शुरू करते समय इसे इनके साथ संबद्ध कर दिया जाना चाहिए। यह डाटा बेस आजीविका कौशल के सी स्टेकहोल्डरों के लिए होगा। प्रशिक्षुओं को भी प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक प्रशिक्षक को अंक देने पड़ते हैं। प्रत्येक सप्ताह के अंत में इसे एकत्र किया जाना चाहिए। इनसे प्राप्त परिणामों में गुणवत्ता परीक्षण के लिए वीडियों फुटेज नमूनों के चयन की जानकारी दी जानी चाहिए। प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के नियोजनए बहाली और कॅरियर प्रोग्रेसन पर प्रत्येक प्रशिक्षक नजर रखेंगे तथा पीआईए के क्यू टीम द्वारा इनकी निगरानी की जाएगी और एसआरएलएम एवं उसकी टीएसए द्वारा इसे सत्यापित किया जाएगा। इसके साथ–साथ लगातार कम काम करने वाले प्रशिक्षकों के लिए सुधारात्मक उपाय भी किए जाने चाहिए और यदि तब भी कोई सुधार नहीं होता है तो उनकी सेवाएं रद्द कर दी जानी चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक सत्र के अंत में प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षुओं की रेटिंग की जानी चाहिए और समय–समय पर परीक्षाओं एवं क्विजों का आयोजन किया जाना चाहिए। इनसे प्राप्त परिणामों और वीडियों फुटेज की निगरानी पीआईए के क्यू दल द्वारा की जानी चाहिए ऐसे प्रशिक्षुओं के लिए सुधारात्मक सत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए जो सही ढंग से नहीं सीख पा रहे हैं और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के मार्ग तलाशे जाने चाहिए। कक्षा में निष्पादन, परीक्षाओं और क्विजों के परिणामों, नियोजन की सफलता, बहाली, करियर प्रोग्रेसन, प्रशिक्षुओं की चयन प्रक्रियाओं तथा प्रशिक्षक की गुणवत्ता को सह–संबद्ध कर दिया जाना चाहिए तथा गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए।

3.2.2.2.3 विषयवस्तु

पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु उद्योग/व्यवसाय की आवश्यकता के अनुकूल होनी चाहिए। यदि प्रशिक्षण आकर्षक रोजगार के लिए है तो इसे नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाए। अन्य सभी मामलों में इस उद्देश्य के लिए इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) अथवा सेक्टर कौशल परिषद (एसएससी) अथवा अन्य किसी एजेंसी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। विशेष मामलों में राष्ट्र स्तर पर प्रोपराइटरी प्रशिक्षण द्वारा स्वीकृत प्रमाणन पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया हो। अन्य महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं:

- प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम की विषयवस्तु गरीब युवा जो अंग्रेजी के संपर्क में नहीं रहा है उसकी शिक्षा को सरल बनाने वाली होनी चाहिए।
- हल्के कार्यों, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक मॉड्यूल्य होने चाहिए।
- मिश्रित मीडिया मॉड्यूल्स, पारस्परिक अध्यापन जिसमें खेलकूद, भूमिका निभाना शामिल होता है उसे उपयोग में लाना चाहिए। पाठ्यक्रम तथा दैनिक सत्र को पीआईए वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए इसे http://nr/mskills.in पर स्थानांतरित कर दिया जाए।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल में जहां भी आवश्यक हो पर्याप्त प्रायोगात्मक और कार्य करते हुए प्रशिक्षण/इंटर्नशिप शामिल की जानी चाहिए।
- पाठ्यक्रम सामग्री और अभ्यास ऑन लाइन उपलब्ध होने चाहिए जिससे कि वे प्रशिक्षु जो इसका उपयोग करके अपने आप में सुधार लाना और उन्नति करना चाहते हैं, ऐसा कर सकें। मोबाइल आधारित शिक्षा अवसरों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन का विकास और परिनियोजन अपेक्षित है।

3.2.2.2.4 प्रशिक्षण प्रणालियां

समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए आजीविका कौशल के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पीआईए को सुनिश्चित करना है कि प्रशिक्षण पर्याप्त श्रव्य दृश्य उपकरणों एवं सहभागिता प्रणालियों के साथ नवाचार और प्रशिक्षु मित्रभाव के ढ़ंग से दिया गया है। प्रशिक्षको को इन घटकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उनकी नियुक्ति बैच के साइज के अनुसार होनी चाहिए।

3.2.2.2.5 फिनिशिंग एंड वर्क रेडीनैस मॉड्यूल

पीआईए के पास अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम के भाग के रूप में एक फिनिशिंग एंड रेडीनैस मॉड्यूल होना चाहिए। रोजगार अवसरों को केंद्रित करते हुए इसे पीआईए द्वारा अनेक स्थानों पर स्थापित फिनिशिंग एंड रेडीनैस केंद्रों पर वरीयता देते हुए किया जाए। इन केंद्रों पर विशेष रूप से प्रशिक्षित उच्च गुणवत्ता वाले ऐसे प्रशिक्षकों को रखा जाए जो इनपुट उपलब्ध कराने में निपुण हो जिससे कि प्लेसमेंट, साक्षात्कार और पोस्ट प्लेसमेंट की सफलता की उच्च दरों को सुनिश्चित किया जा सके। ये केंद्र:

- सात से दस दिन का विशिष्ट लघु आवासीय पाठ्यक्रम चलाया जाए। इस प्रशिक्षण के दौरान भूतपूर्व छात्र वर्तमान बैच से मिलें और प्रेरित करें। अंतिम कुछ दिनों में केंद्रों पर संभावित नियोक्ताओं को कैम्पस भर्ती के लिए बुलाया जाए।
- एक समर्पित टीम जो अभ्यर्थी के लिए समुचित आवास ढूंढ सके और स्वास्थ्य इत्यादि की देखरेख कर सके।

- प्रारंभिक प्लेसमेंट में सफलता न मिलने पर उसकी जगह रोजगारों की तलाश के लिए सहायता उपलब्ध करे।
- वैयक्तिक मामलों में परामर्श और सलाह प्रदान करे।

इन हस्तक्षेपों से अपेक्षित है कि प्रशिक्षु को बनाए रखने और उसके घर से नए कार्य स्थल तक पारगमन में सहायता मिले। एक बार के प्रशिक्षण केंद्र तक के लिए वास्तविक यात्रा व्यय अधिकतम 4500/– रूपए प्रति प्रशिक्षु की अनुमति है।

3.2.2.2.6 मूल्यांकन और प्रमाणन

- सतत् मूल्यांकन–आंतरिक और सतत् मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अभिन्न घटक होने चाहिए। ये घोषित और अघोषित प्रश्नोत्तरी (क्विज), असाइनमेंट एवं अन्य प्रकार की परीक्षाओं के रूप में होने चाहिए। प्रत्येक प्रशिक्षु से पूछे गए प्रश्न, दिए गए उत्तर और प्राप्त अंक पीआईए की वेबसाइट के पासवर्ड संरक्षित क्षेत्र में उपलब्ध होने चाहिए। इसे पीआईए की अपनी स्वतंत्र गुणवत्ता वाली टीम द्वारा किए गए प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र के मासिक दौरे के समय उपयोग में लाया जाएगा। इन दौरों के समय प्रत्येक केंद्र और प्रत्येक प्रशिक्षक को एनआईआरडी द्वारा विकसित एक स्कोरकार्ड के आधार पर अंकित और श्रेणीबद्ध किया जाएगा। इन दिए गए अंको को एसआरएलएम अथवा इसकी टीएसए के साथ साथ एनआईआरडी/नाबार्ड कंसलटेंसी (नैबकौन्स) द्वारा प्रत्येक केंद्र के द्विमासिक निरीक्षण के दौरान सत्यापित किया जाएगा। पीआईए के अपने गुणवत्ता निरीक्षणों के परिणामों को पीआईए की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा जैसाकि यह प्रत्येक दौरे के कार्य बिन्दुओं की सूची और प्रत्येक के लिए अनुपालनार्थ ब्यौरा है।
- पाठ्यक्रम एवं कौशल दोनों के लिए त्रिपक्षीय एजेंसी द्वारा त्रिपक्षीय प्रमाणन–स्वतंत्र प्रमाणन और मूल्यांकनए, प्रत्येक प्रशिक्षु का ज्ञान तथा मनोवृति जो कि उद्योग अथवा नियोक्ता को स्वीकार्य हो, अनिवार्य है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि आजीविका कौशल से उत्तीर्ण हुए उच्च मानक धारक हों और नियोक्ताओं द्वारा उत्साहजनक मांग हो। प्रोजेक्ट प्रस्ताव में प्रमाणपत्रों और मूल्यांकन एजेंसियों के नाम एवं ब्यौरों का उल्लेख किया जाएगा। कौशल और एनआईओएस से संबधित स्कूल ड्रॉपआउटस के लिए स्कूल ब्रिज पाठ्यक्रमों के मामले में उनमें से केवल उन्हीं एजेंसियो को शामिल किया जाना चाहिए जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एनसीवीटी/एसएससी द्वारा पैनल पर हों।
- स्थापित ब्रांडों के मामले में स्वप्रमाणन (स्थापित ब्रांडों के मामले में स्व–प्रमाणन) किया जा सकता है बशर्ते इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पहले से अनुमोदित किया गया हो।

3.2.2.3 प्लेसमेंट

यह सुनिश्चित किए जाने का प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रशिक्षुओं को ऐसा रोजगार मिले जो उनकी आकांक्षा और योग्यता के अनुकूल हो, आजीविका कौशलों में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का कम से कम 75 प्रतिशत[11] नॉन–नेगोशियबल है। आगे यह निश्चित करने हेतु कि क्या विविध व्यवसयों के लिए प्लेसमेंट की कम से कम दरें विभिन्न होनी चाहिए, एक मूल्यांकन किया जाएगा। इस उद्देश्य हेतु कम से कम तीन माह के लिए प्लेसमेंट सतत् रोजगार के रूप में परिभाषित किया गया है। सतत् रोजगार की अवधि पहले नियोक्ता के साथ होना जरूरी नहीं है। यद्यपि प्रशिक्षु ने कार्य किया हो और लगातार तीन माह का भुगतान प्राप्त किया हो, जिसका प्रमाण वेतन स्लिप अथवा प्रमाण–पत्र जिसमें नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित वेतन भुगतान और कार्मिक द्वारा वेतन प्राप्ति दिखाई गई हो और बैंक स्टेटमेंट के साथ दिया गया हो।

आजीविका कौशल निम्नलिखित प्रकार के रोजगारों (प्लेसमेंटस) को मान्यता देता है:

- आकर्षक रोजगार–पीआईए अपनी स्वयं की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देते है और अपने संस्थानों में प्रशिक्षित व्यक्तियों का समावेश करती है। पीआईएस को आकर्षक रोजगार के लिए परियोजनाएं प्रस्तुत करते हुए वर्तमान आवश्यकताओं के वास्तविक अनुमान पर आधारित अपने कामगारों की आवश्यकता का ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरे बैच के प्रशिक्षुओं को आकर्षक रोजगार की अनुमति नहीं होगी, यदि उसी संस्थान में लगे 50 प्रतिशत से अधिक आजीविका कौशल युवा छः माह की अवधि में उसे छोड़ चुके हों। इस पर बल दिया जा रहा है जिससे कि "एट्रीशन आधारित" रोजगार मॉडल के खतरे को कम किया जा सके।
- नियमित मासिक आय अथवा कम से कम मजदूरी से अधिक पर कार्य उपलब्ध कराने वाले रोजगारः नियमित मजदूरी रोजगार का प्रमाण संस्थान के मानव संसाधन विभाग से वेतन स्लिप द्वारा प्रर्शित होता है। संस्थान में मानव संसाधन (एचआर) विभाग नहीं होने की स्थिति में, मजदूरी के भुगतान को दर्शाते हुए नियोक्ता द्वारा जारी और कर्मचारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र एवं उसके साथ यह इंगित करता हुआ बैंक स्टेटमेंट कि मजदूरी

[11] उन व्यवसायों के लिए जिनके लिए पूंजीगत व्यय आवश्यक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय विशिष्ट दरों को अधिसूचित करेगा।

का भुगतान क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट अथवा मनीट्रांस्फर द्वारा कर दिया गया है, नियमित मजदूरी रोजगार के प्रमाण को दर्शाएगा।

- सार्वजनिक सेवा प्रदान करने से संबंधित सरकारी ठेकेदारों के साथ सरकारी संस्थानों में रोजगार–सार्वजनिक सेवा प्रदान करने वाले कार्यक्रमों जैसेकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), मनरेगा आदि एवं अन्य संस्थान जैसेकि पीआरआई आदि को अनुमति है बशर्ते यह सतत् एवं फुल टाइम वाले हों तथा कम से कम देय मजदूरी प्रदान करते हों और रोजगार का प्रमाण उपलब्ध कराते हों।
- विदेशों में रोजगार–कार्य के लिए कम से कम 25000/ रुपए प्रदान करने वाले रोजगारों की अनुमति है। केवल उन्हीं प्रशिक्षणों को जो उपर्युक्त सीमा से अधिक वेतन दिलाने की क्षमता रखता हो को ही अनुमोदित किया जाएगा।

3.2.2.4 ऊपर वर्णित पीआईए की गतिविधियों के लिए मूल्य मानक

आजीविका कौशल निर्धारित मूल्य मॉडल के साथ सभी पीआईए जो आजीविका कौशल मानकों के अनुसार कौशल और रोजगार देने की इच्छुक हैं, का समर्थन करता है बशर्ते कि वे निश्चित पात्रता शर्तों को पूरा करती हो। जब प्रशिक्षण दिए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो, तब परियोजना की स्वीकृति 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर दी जाती है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि पीआईए द्वारा प्रस्तुत परियोजना की तिथि एवं समय के सत्यापन हेतु एक लेखा परीक्षा पथ उपलब्ध हो। ग्रामीण विकास मंत्रालय इंटरनेट आधारित केंद्रीय परियोजना प्रस्तुतीकरण सुविधा स्थापित कर रहा है, जिस पर पीआईए किसी भी राज्य जिसमें परियोजनाएं कार्यान्वित की जानी हैं, के मसौदे प्रस्तुत कर सकती हैं। इसके माध्यम से प्रस्तुतीकरण तभी संभव है जब परियोजना प्रस्तावक द्वारा निश्चित आधारभूत शर्तों को पूरा किया गया हो।

पीआईए की सहायता के लिए मूल्य मानकों का व्यौरा निम्नानुसार है। इसे केवल तीन माह के प्रशिक्षण से संबन्धित 576 घंटे की अवधि के पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किया गया है। मूल्य मानक प्रतिदिन कम से कम आठ घंटे की अवधि के साथ सप्ताह में छः दिन के आधार पर (प्रत्येक माह में दो छुट्टियों का प्रावधान किया गया है) तैयार किए गए हैं। अतः तीन महीने, छः महीने, नौ महीने और बारह महीने का पाठ्यक्रम क्रमशः 576 घंटे, 1152 घंटे, 1728 घंटे और 2304 घंटे का होगा। आजीविका कौशल इससे कम अवधि के पाठ्यक्रमों में सहायता नही करता है। फिर भी प्रशिक्षण के आयोजन में विशेष लचीलापन दिया गया हैए जो निम्न के लिए हो सकता हैः

- लगातार अवधि (छः दिन प्रति सप्ताह)
- सप्ताहांत (उनके लिए जिनके पास कुछ रोजगार है जिसमें अकुशल रोजगार शामिल है)
- अंशकालीन (उनके लिए जो सामान्य कार्य समय के अलावा प्रशिक्षण पाना चाहते हैं)

कौशल पाठ्यक्रमों में सेवाकालीन प्रशिक्षण (ओजेटी) प्रदान करने के लिए प्रावधान हो सकते हैं। ओ जे टी के लिए अधिकतम अनुज्ञेय दिन, तीन महीने के पाठ्यक्रम के लिए 30 दिन, छः महीने के पाठ्यक्रम के लिए 60 दिन और नौ महीने के पाठ्यक्रम के लिए 90 दिन होंगे।

सारणी 1: विविध अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए आजीविका कौशल के अन्तर्गत आधारभूत उप-घटकों के प्रशिक्षण की लागत

क्रमांक	मद	3 माह	6 माह	9 माह	12 माह
1	प्रशिक्षण की लागत (₹)	13696.00	19152.00	23562.00	26602.00
2	भोजन एवं आवास व्यवस्था (आवासीय प्रशिक्षण के लिए यूनिट लागत/दिन)				
a	राज्य मुख्यालयों में ₹ 166/– प्रतिदिन	14940.00	29880.00	44820.00	59760.00
b	जिला मुख्यालयों में ₹ 120/– प्रतिदिन	10800.00	21600.00	32400.00	43200.00
c	ऊपर दिए गए (क) और (ख) के अलावा अन्य सभी स्थानों पर ₹ 75/– दिन	6750.00	13500.00	20250.00	27000.00
3	खाना एवं आने और जाने का प्रतिभार	9000.00	18000.00	270000.00	36000.00
4	रोजगार के बाद सहायता				
a	अधिवासीय जिले के अंदर रोजगार (दो माह के लिए ₹ 1000/– प्रतिमाह)	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
b	अधिवासीय राज्य के अंदर रोजगार (तीन माह के लिए ₹ 1000/– प्रतिमाह)	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
c	अधिवासीय राज्य के बाहर रोजगार (छः माह के लिए ₹ 1000/– प्रतिमाह)	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
5	यूनीफार्म की लागत (एक जोड़ी की कीमत ₹ 1000/– है, 9 महीने और 12 महीने के पाठ्यक्रम के लिए 2 जोड़ी प्रदान की जाती हैं)	1000.00	1000.00	2000.00	2000.00
6	भारत में रोजगार के लिए कम से कम मजदूरी (प्रतिमाह) – कंपनी लागत (सीटीसी) अथवा कम से कम मजदूरी जो भी अधिक हो	6000.00	8000.00	12000.00	15000.00
7	विदेशों में रोजगार के लिए कम से कम मजदूरी	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00

नोटः एक पीआईए परियोजना का लागत निर्धारण करते समय क्रमांक 2 अथवा 3 में से केवल एक लागत का ही दावा करे।

प्रशिक्षण लागत में शामिल हैं:

- प्रशिक्षण लागत, लाभार्थियों को इकट्ठा करना, पाठ्यचर्या, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, व्यवहार्यताएं, आधारभूत संरचना, उपकरण, अध्यापन सहायक सामग्री, कच्चा माल आदि।
- मूल्यांकन एवं प्रमाणन
- रोजगार की कडियां (लिंकेज)
- एमआईएस और ट्रैकिंग, मॉनीटरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण

दी गई यूनिटों की राशि अधिकतम है, वास्तविक राशि प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के अनुसार होगी और परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार होगी। तीन, छः, नौ और बारह महीने की मानक अवधि के अलावा, तीन और नौ महीने के बीच की अवधि वाले पाठ्यक्रमों के मामले में प्रशिक्षण लागत के हिसाब के लिए घंटों की दरें प्रयुक्त की जाएंगी।

उपकरणों की लागत पर व्यय स्वीकार्य नहीं है जब तक कि स्वीकृति पत्र में विशेष उल्लेख न हो। उपकरण पर पूंजीगत व्यय के मामले में, पीआईएः

- पीएसी के पूर्व अनुमोदन से उपकरणों की खरीद कर सकता है। ऐसे मामलों में, परियोजना पूरी होने के बाद, पीआईए के साथ अंतिम समायोजन के समय उपकरण की शेष कीमत को समायोजित कर लिया जाएगा।

- अपनी स्वयं की लागत से उपकरण खरीद सकती है और इसे परियोजना में आंतरिक किराए/लीज के रूप में ले सकती है।

आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के मामले में प्रशिक्षण केंद्र तक एक बार के लिए यात्रा व्यय की अनुमति, वास्तविक आधार पर अधिकतम 4500.00 रूपए की होगी।

टीएसए[12] की मॉनीटरिंग लागतए पीआईए को स्वीकृत कुल परियोजना लागत की 1.5 प्रतिशत की दर से होगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त पीआईए को निम्नलिखित सहायक गतिविधियां चलानी होंगी जिनके लिए वे नीचे दर्शाई गई अतिरिक्त सहायता की हकदार होंगी।

3.2.2.5 टेबलेट कम्प्यूटर्स

प्रशिक्षुओं को सिखाए जा रहे कौशलों को आत्मसात् करने के लिए सूचना के आदान–प्रदान के माध्यम उपलब्ध कराने से बहुत अधिक लाभ होगा। अतः पाठ्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं को टेबलेट कम्प्यूटर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इससे प्रशिक्षुओं के सीखने के अनुभव को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। वर्ग 'क' और 'ख' की पीआईए को टेबलेट कम्प्यूटर के लिए एक बार 5000/– रुपए प्रति प्रशिक्षु उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्ग 'ग' की पीआईए को यह सुविधा दिए जाने से पूर्व इस दखल के परिणामों का एक वर्ष बाद अध्ययन किया जाएगा।

टेबलेट कम्प्यूटरों की न्यूनतम विशिष्टताएं निम्नानुसार है:

- **प्रोसेसरः** 1 गीगाहार्टस सिंगल–कोर 512 एमबी डीडीआर, 4 जीबी ईएमएमसी
- **डिसप्लेः** 7'' डब्ल्यू वीजीए (800X480)
- **ऑडियोः** स्टीरियो हैंडसैट, माइक, मानो स्पीकर्स
- **कैमराः** वीजीए, फिक्सड फोकस, 15 एफपीएस फ्रंट कैमरा
- **कॉम्म्सः** वाईफाई 802.11 बी/जी
- **एक्सपैंसनः** यूएसबी 2.0 डिवाइस/होस्ट, मेमोरी कार्ड
- **पॉवर/बैटरीः** 3000 एमएएच, 5वीडीसी यूएसबी चार्जर

प्रत्येक केंद्र पर एक टेबलेट कम्प्यूटर प्रति प्रशिक्षु उपलब्ध रहेगा। टेबलेट कम्प्यूटर को केंद्र से बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। सत्र प्लान के आधार पर इंटरएक्टिव लर्निंग मॉड्यूल को टेबलेट कम्प्यूटर में लोड किया जाएगा और प्रत्येक प्रशिक्षु को उपलब्ध कराया जाएगा।

3.2.2.6 कैश वाउचर स्कीम

पीआईए को स्वीकृत परियोजनाओं द्वारा कौशल और रोजगार सेवाएं प्रदान करने पर अभी तक विचार–विमर्श किया गया है। कैश वाउचार स्कीम एक अलग तरह की अप्रोच के साथ विशेष सुविधा प्राप्त उपभोक्ता रूचि के द्वारा अपने आप को अलग करती है। इस स्कीम के अनुसार, यथोचित पारिश्रमिता प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए एसआरएलएम द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने और आजीविका कौशल लाभार्थियों को 100 प्रतिशत रोजगार दिलाने वाले इच्छुक, प्रतिष्ठित कौशल प्रदाताओं को पैनल पर रखा गया है। व्यवसायों (ट्रेड) की सूची जिसके लिए वे अधिकृत है, जिन्होंने इसके लिए अपनी रूचि जाहिर की है, उन्हें उपलब्ध करा दी गई है और काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा उनकी छटनी कर ली गई है। इसके साथ उन एजेंसियों के पास जाते हैं जो पैनल पर है और प्रवेश पाने की कोशिश करते हैं। यदि उन्हें सफलता मिलती है तो कौशल प्रदाताओं को वाउचर दे दिया जाता है जो रोजगार (जैसाकि सफल रोजगार के प्रमाण के तौर पर तीन महीने की वेतन स्लिप के रूप में परिभाषित किया गया है) पूरा होने पर एसआरएलएम से कैश करा सकते हैं।

3.2.2.7 रोजगार के बाद सहायता (पीपीएस)

एसजीएसवाई विशेष परियोजनाओं की मुख्य बातों में से एक थी कि बीपीएल ग्रामीण परिवारों से आने वाले प्रशिक्षुओं को रोजगार के बाद के पहले कुछ महीनों में सहायता की आवश्यकता होती है। प्रत्येक माह के अंत में वेतन स्लिप प्राप्त होने पर कार्यरत युवा के बैंक खाते में पूरे पीपीएस का भुगतान प्रशिक्षु को किया जाए। किसी भी स्थिति में, पीपीएस नकद अथवा वस्तु के रूप में वितरित न किया जाए। पीपीएस की राशि पीआईए को नियमित किश्त के रूप में जारी की जाएगी।

यदि पीआईए को सारणी–1 में निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुसार अभ्यर्थी को रोजगार देने में असमर्थ होता है, तो इस प्रकार के रोजगार को आजीविका कौशल के तहत रोजगार नहीं माना जाएगा और इस प्रकार के मामले में पीपीएस के लिए किसी प्रकार का दावा वांछनीय नहीं होगा।

3.2.2.8 रोजगार जारी रखने में सहायता

ऐसा देखा गया है कि जो एक वर्ष तक कार्य में लगे रहते हैं, परिवर्तन लाने में सफल होते हैं और कभी कभार ही बेरोजगारी के शिकार होते हैं। फिर भी रोजगार जारी रखने की प्रक्रिया के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के लिए

[12] टीएसए को उन्हें जारी की गई निधियों के लिए यूसी/की गई लेखा–परीक्षा के ब्यौरे उपलब्ध कराने होंगे।

अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होती है जो सुनिश्चित करता है:

- उच्च गुणवत्ता प्रबंधन
- पाठ्यक्रम बनाने में नई सोच
- बाजार आवश्यकताओं के साथ प्रशिक्षण की विषयवस्तु का निरन्तर अद्यतन
- भूतपूर्व प्रशिक्षु और नियोक्ता दोनों के दीर्घावधि संबंध
- रोजगार के संबंध में अद्यतन ज्ञान

इसके लिए, 365 दिन के रोजगार को जारी रखने के लिए पीआईए को 3000/– रुपए प्रति व्यक्ति की दर से अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नियोक्ता अनेक हो सकते है परन्तु पहले रोजगार में 365 दिन की अवधि के दौरान बिना कार्य की अवधि 60 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। पीआईए को रोजगार दिए गए व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित वेतन प्राप्ति को अपने वेब प्राप्ति विवरण पर दर्शाने की जरूरत है। उन्हें इस भुगतान के लिए पात्र प्रत्येक व्यक्ति के दिए गए वेतन का ब्यौरा दर्शाते हुए नियोक्ता द्वारा विवरण प्रस्तुत करना होगा।

3.2.2.9 करियर उन्नति के लिए सहायता

आजीविका कौशल की मुख्य चुनौती अनकी सहायता करना है जिन्हें अपने रोजगार करियर में उन्नति करनी है। इसे पीआईए को 5000/– रुपए प्रति व्यक्ति की दर से पीआईए द्वारा प्रशिक्षित उन व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त भुगतान के रूप में दिया जाएगा जिनका वेतन प्रशिक्षण पूरा होने के पहले वर्ष में कम से कम 90 दिन तक 15000/– रुपए प्रतिमाह से अधिक रहा हो। यह ध्यान रखना होगा कि यह तभी संभव होगा जब पीआईए रोजगार के बाद परामर्शी और कौशल उन्नयन कार्यकलापों को प्रतिष्ठित करे। पीआईए इसका प्रस्ताव किस तरह करती है इसे परियोजना प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। इस दखल को परियोजना स्वीकृति के समय अलग से अनुमोदित कराना चाहिए और इसकी देनदारी, जब पीआईए इस संबंध में दावा प्रस्तुत करे।

3.2.2.10 आवासीय प्रशिक्षण/परिवहन और भोजन के लिए बढ़ी हुई सहायता

वर्तमान में प्रत्येक प्रशिक्षु को यदि वह डे स्कॉलर है भोजन और परिवहन के लिए 50/– रुपए प्रतिदिन दिया जाता है, इसे सारणी 1 में दी गई कीमत के अनुसार होस्टल/आवासीय सुविधा के स्थान जैसेकि राज्य मुख्यालय अथवा जिला मुख्यालय अथवा राज्य मुख्यालय अथवा जिला मुख्यालय को छोड़कर कोई अन्य शहर के आधार पर बढ़ाया जाएगा।

3.2.2.11 तत्काल आदान-प्रदान के लिए (लाइव) दूरवर्ती प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहन

पीआईए को यह सुनिश्चित करने के लिए कि मास्टर प्रशिक्षण बहुसंख्य प्रशिक्षुओं को प्रभावित करें, नवाचन प्रशिक्षण प्रणालियां अपनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। यदि तत्काल आदान–प्रदान दूरवर्ती प्रशिक्षण तकनीक अपनाते हुए कम से कम 30 प्रतिशत अध्यापन घंटे लगे हैं तो पीआईए को 500/– रुपए की राशि प्रति अभ्यर्थी के हिसाब से देय होगी।

3.2.2.12 विदेशों में रोजगार में लगे प्रशिक्षुओं के लिए काउंसलिंग

विदेशों में रोजगार प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं के लिए काउंसलिंग सत्र बुलाए जाएंगे। इन सभी का उद्देश्य, गन्तव्य देशों में उनके पारगमन को सहज बनाने के बारे में आधारभूत सूचनाएं उपलब्ध कराना है। इन सूचनाओं में गन्तव्य देशों में श्रम अधिकार, कार्यस्थल सुरक्षा, कोंसूलर सेवाओं हेतु पहुंच, गन्तव्य देशों में सामाजिक मर्यादाएं आदि शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य जांच के साथ चिकित्सीय औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सहायता भी दी जाएगी। इसके लिए पीआईए को 10,000 रुपए की राशि प्रति प्रशिक्षु देय होगी।

4. एएपीए एसएसपी और एमएसपी

एसजीएसवाई विशेष परियोजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सीधे पीआईए के पक्ष में संस्वीकृत की गई। इनमें से कई परियोजनाएं एक से अधिक राज्य से संबंधित थी। कौशल कार्यक्रम राज्यों को सुपुर्द करने के उद्देश्य से बहुल राज्य परियोजनाओं एमएसपी का वित्तपोषण तुरन्त बन्द करने का निर्णय लिया गया है। राज्यों को दो श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया है–एएपी राज्य और गैर एएपी राज्य एएपी और गैर एएपी दोनों ही राज्य एमएसपी और एसएसपी का कार्यान्वयन कर रहे होंगे। एमएसपी क्रियाशील परियोजनाएं हैं जिन्हें पूर्ण करने की अनुमति दी जाएगी। एएपी राज्यों और गैर एएपी राज्यों दोनों को एसएसपी कार्यान्वित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तथापि, परियोजनाओं को संस्वीकृत करने का अधिकार केवल एएपी राज्यों को दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय में ईसी द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार वे ऐसा करेंगे। गैर–एएपी राज्यों के संबंध में इसका समकक्ष वार्षिक कार्यक्रम है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की लोक लेखा समिति एसएसपी परियोजनाओं की संस्वीकृति गैर एएपी राज्यों से करेगी। गैर–एएपी राज्यों को 2014–15 तक एएपी राज्यों का दर्जा प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाएगी।

4.1.1 एएपी

- उन राज्यों को एएपी राज्यों के रूप में नामित किया जाता है जो निम्नलिखित पांच शर्तें पूरी करते हैं।
- जिन के पास कौशल और रोजगार दिलाने के प्रभारी पूर्णकालिक सीओओ/कार्यक्रम प्रबंधक हों।
- जिनके पास सीओओ कौशल को मदद देने के लिए राज्य स्तर पर एक समर्पित कौशल टीम हो।
- जिनके पास सीओओ कौशल को बेहतर बनाने के लिए जिला और उपजिला स्तर पर एक समर्पित कौशल टीम है।
- जिनके पास नई और क्रियाशील परियोजनाओं का मूल्यांकन कैसे करें, इस पर राष्ट्रीय दिशा–निर्देश के साथ संरेखीकरण की एक नीति हो।
- जिनके पास एक ऐसी नीति हो जो इस बात को स्पष्ट करता हो कि कैसे आजीविका कौशल पीआईए सरकारी संस्थाओं और भवनों में अधिशेष क्षमता (मानव और सामग्री) का उपयोग कर सकते हैं।

इन राज्यों के एएपी में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए:

- कार्यान्वयन मशीनरी की भूमिका और कार्य
- कौशल विकास के लिए राज्य विशिष्ट रणनीतियां
- संस्थागत क्षमता निर्माण (मौजूदा और प्रस्तावित)
- एसजीए के लिए विस्तृत प्रस्ताव (जहां आवश्यक हो, अन्य मामले में अन्तराल का विवरण)
- ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास संबंधी विषय परक क्षेत्रों को हाथ में लेना और उसका
- कार्यभार (एसजीए के अनुसार)
- तदनुरूप रोजगार के अवसर और उनकी पहचान करने के साधन
- कार्यान्वयन हेतु चुने गए जिले अथवा ब्लॉक और चयन का तर्काधार
- कार्यप्रवृत्त कार्यनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं
  - संवेदनशील क्षेत्रों और समुदायों के संबंध में प्राथमिकताएं तय करने हेतु कार्यनीतियां।
  - कार्यप्रवृत्त करने में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने की कार्यनीति और पीआईए की तुलना में राज्य की भागीदारी को बढ़ाना।
  - पारिवारिक सदस्यों और अभ्यर्थियों के कैरियर मार्गदर्शन के अतिरिक्त काउंसलिंग हेतु कार्यनीतियां
- कार्यक्रम के अंतर्गत लाए जाने वाले युवाओं की प्रस्तावित संख्या
- नियत लागत मॉडल कैसे लागू किया जाएगा इसके विवरण सहित प्रशिक्षण/कौशल
- विकास हिस्सेदारी के चयन की प्रणाली
- पाठ्यक्रम सामग्री, अवधि, मानव संसाधन आवश्यकता और रोजगार के अवसरों के प्रत्यापन हेतु प्रणाली
- प्रशिक्षकों के प्रत्यापन/पैनलबद्ध करने हेतु प्रणाली
- प्रशिक्षण भागीदारी के क्षमता विकास की योजना
- एलुमनि विकास सहित पोस्ट प्लेसमेंट सुविधा प्रदान करने एवं अवरोधन की कार्यनीतियां
- परियोजना की मॉनिटरिंग की आवश्यकता को समाहित करने हेतु एमआईएस को अपनाने एवं इसे बढ़ाने की योजना निधि प्रबन्ध प्रणाली
- इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीतियां कि पीआईए निगेटिव कैशफ्लो अनुभव न करे उदाहरणार्थ, दावों और प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए सेवा मानक घोषित करना।
- आजीविका कौशल परियोजनाओं के स्वतंत्र आकलन और मूल्यांकन का प्रावधान

[13] North East and UTs are an exception

- एनएसडीए उद्देश्यों के साथ तालमेल और राज्य कौशल मिशनों के साथ सामंजस्य

निम्नलिखित के लिए कार्यनीतियां:

- बाजार की मांग के अनुरूप कार्यक्रम की उपयोगिता को बढ़ाना और लाभार्थी विकल्प को बढ़ाना (जैसे संभावित कौशल प्रापक)
- उद्योग और सीएस के साथ हिस्सेदारी के क्षेत्र को बढ़ाना और संभावित कौशल प्रदाता

एएपी प्रस्तुत करने संबंधी प्रपत्र http://nrlmskills.in से प्राप्त किया जा सकता है।

एएपी राज्य ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ही किसी परियोजना को अनुमोदित कर देते हैं। वे ग्रामीण विकास मंत्रालय की ईसी द्वारा अनुमोदित एएपी की सीमाओं के अधीन इन दिशा–निर्देशों का उपयोग करते हुए ऐसा करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय एनआईआरडी और नैबकोन्स अथवा इस उद्देश्यार्थ नियुक्त कोई अन्य नामित टीएसए की सहायता से इन परियोजनाओं का सहयोगिक पर्यवेक्षण जारी रखेगा। राज्य और पीआईए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। एएपी प्रस्तुत करने का प्रपत्र http://nrlmskills.in से प्राप्त किया जा सकता है। राज्य और पीआईए दोनों के लिए आवश्यक होगा कि वे समय–समय पर पर्यवेक्षण के दौरान जारी एडवाइजरी की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पीआईए के लिए आवश्यक है कि उनके पास एक समर्पित गुणवत्ता टीम (क्यू टीम) हो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय जारी प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए प्रत्येक माह प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण करेगी। इसके अलावा, उनके लिए यह भी आवश्यक है कि वे अपनी वेबसाइट के द्वारा पीआईए की प्लेसमेंट टीम द्वारा रिर्पोट किए गए और आजीविका कौशल डाटाबेस को भेजे गए (तैयार हो जाने के बाद) प्लेसमेंट और अवरोधन रिकॉर्ड की स्वतंत्र रूप से जांच करेंगे। क्यू टीम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा अनुमोदित लॉट क्वॉलिटी एश्योरेंस सैंपलिंग (एलक्यूएएस) मानकों का उपयोग करेगी। इन निरीक्षणों के परिणामों की जांच एसआरएलएम द्वारा क्यू टीम अथवा नामित तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए) का उपयोग करते हुए की जाएगी। पीआईए और एसआरएलएम की क्यू टीमों के कार्य की समीक्षा एनआईआरडी और नैबकोन्स द्वारा भी की जाएगी।

4.1.2 गैर–एएपी

जो राज्य एएपी मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें गैर एएपी राज्यों के रूप में नामित किया जाता है। गैर एएपी राज्यों को अपने एएपी समकक्षों के समान अपने वार्षिक कार्यक्रम का अनुमोदन ग्रामीण विकास मंत्रालय की ईसी द्वारा कराए जाने की जरूरत होती है। यह गैर एएपी राज्यों के लिए एएपी के समकक्ष है। इसके अलावा, उनके लिए वैयक्तिक परियोजनाओं का अनुमोदन ग्रामीण विकास मंत्रालय की परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा कराए जाने की जरूरत होती है जैसा कि मंत्रालय द्वारा अधिसूचना दी गई है। पांच एएपी शर्तें पूरी करते ही कौशल परियोजनाएं राज्यों के सुपुर्द कर दी जाएगी। गैर एएपी राज्यों में परियोजनाओं के मामले में कार्यक्रम प्रशासन और गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सभी अन्य चरण और प्रोटोकॉल एएपी राज्यों के समान ही हैं।

4.1.3 बहुराज्य परियोजनाएं

पारम्परिक रूप से आजीविका कौशल परियोजनाओं और उनके एसजीएसवाई–एसपी पूर्ववर्तियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एमएसपी के रूप में संस्वीकृत किया गया था। इनकी निगरानी भी ग्रामीण विकास मंत्रालय ही टीएसए की सहायता से करता था और इस कार्य में राज्य सरकारों की बहुत कम भागीदारी होती थी। आगे चलकर कोई नई एमएसपी स्वीकृत नहीं की जाएगी लेकिन इन परियोजनाओं के व्यवस्थित समापन में परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों की मदद करना राज्य और केन्द्र सरकारों की साझा जिम्मेदारी है। इस कार्य में इनकी सहायता आजीविका कौशल के लिए पदनामित दो टीएसए अर्थात एनआईआरडी और नैबकोन्स करेंगे। प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इन दोनों में से एक एजेंसी को आवंटित किया गया है। प्रोटोकॉल तैयार करने और परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के कार्यों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी फिलहाल एनआईआरडी को सौंपी गई है। एनआईआरडी और नैबकोन्स को आबंटित राज्यों का ब्यौरा http://nrlmskills.in पर उपलब्ध है।

विभिन्न राज्यों में चलाई जाने वाली आजीविका कौशल परियोजना के प्रबंधन के चरण भी इसी प्रकार हैं:

- परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों से दैनिक रिपोर्टें भेजे जाने सहित कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए वर्कफ्लो आधारित ईआरपी इस्तेमाल की जाएगी।
- ईआरपी के साथ इन्टरफेस के माध्यम से प्रगति की निगरानी की अनुमति टीएसए को देना। ये टीएसए आवश्यकता पड़ने पर पीआईए को 15 दिन में एक बार एडवाइजरी जारी करेंगी।
- पीआईए की क्यू टीमें प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण करेंगी।
- प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण हो जाने और उसे प्रमाणित कर दिए जाने के बाद ही पहला बैच शुरू होगा।

- टीएसए दो महीने में एक बार प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण करके केन्द्र प्रबंधकों और विभिन्न प्रशिक्षकों द्वारा कार्रवाई बिन्दुओं के अनुपालन की निगरानी करेगी।

निधि की रिलीज के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अंक तालिकाओं और बाउंड वोल्यूम का इस्तेमाल।

4.2 आजीविका कौशल के संचालन के लिए एसआरएलएम द्वारा किए जाने वाले उपाय

एसआरएलएम को पिछले अध्याय में वर्णित अनेक कार्यकलाप शुरू करने होते हैं। इस तालिका में इन उपायों की सूची दर्शाई गई और एसएसपी, एमएसपी तथा एएपी परियोजनाओं के संबंध में लागू अलग–अलग उपाय दर्शाए गए हैं।

तालिका 2 : एएपी राज्यों (एसआरएलएम) में आजीविका कौशल परियोजनाओं के संचालन के उपाय

क्रम सं.	कार्यकलाप	अभ्युक्तियां
1.	**टीम की स्थापना** सीओओ/कार्यक्रम प्रबंधक कौशल की अध्यक्षता में राज्य, जिला और उप जिला स्तरों पर समर्पित टीमों की स्थापना	
2.	**पीएसए का पैनल बनाना** प्रस्तुावों का मूल्यांकन करने तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण करने में एसआरएलएम की सहायता करने के लिए टीएसए के संबंध में प्रापण प्रक्रिया और पैनल में शामिल करने की औपचारिकता पूरी करना।	
3.	**सूचना प्रौघोगिकी प्लेटफॉर्म तैयार करना** कौशल एवं रोजगार के संबंध में इन्टरनेट आधारित और वर्कफ्लो संचालित ईआरपी प्लेटफॉर्म की स्थापना करना। यह सुनिश्चित करना कि उक्त प्लेटफॉर्म आजीविका कौशल संबंधी राष्ट्रीय ईआरपी प्लेटफॉर्म से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। (शुरू हो जाने पर)	
4.	**कौशल संबंधी कमी का आंकलन करना** एसजीए और रोजगार की मांग के सर्वेक्षण कराकर एसईसीसी की परिवार आईडी का इस्तेमाल करते हुए युवाओं का राज्य स्तरीय डाटा बेस तैयार करना।	यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। एएपी के लिए इस कार्य के संपन्न होने का इंतजार करना जरूरी नहीं।
5.	**स्टेकहोल्डरों से परामर्श** निजी और सरकारी क्षेत्रों के भावी नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से परामर्श करके 7 वर्षीय एसपीआईपी तैयार करना।	
6.	**परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से परामर्श करना** राज्य में आजीविका कौशल परियोजनाएं कार्यान्वित करने को इच्छुक परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से परामर्श करके वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।	
7.	**एसपीआईपी और एएपी का अनुमोदन** ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति से एसपीआईपी और एएपी का अनुमोदन कराना।	
8.	**परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी और एसआरएलएम का क्षमता विकास** एसआरएलएम टीमों, परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों की तैयारी तथा क्यू टीमों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन	

क्रम सं.	कार्यकलाप	अभ्युक्तियां
9.	**परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करना** पूरे वर्ष चौबीसों घंटे परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों द्वारा इलैक्ट्रानिक माध्यम से प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्ताव डाउनलोड करने और उन पर कार्रवाई करने की व्यवस्था करना। यह सुनिश्चित करना कि सभी चरणों में टाइम स्टैम्प दर्ज करने वाला स्पष्ट लेखा–परीक्षा ब्यौरा मौजूद हो। प्रस्ताव प्रस्तुत करने का फॉर्मेट और जिस यूआरएल पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, उसे ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिसूचित करेगा। यह यूआरएल अधिसूचित होने और ईआरपी प्रणाली स्थापित होने तक ये प्रस्ताव एक साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय और एसआरएलएम की समर्पित आईडी पर भेजे जा सकते हैं।	
10.	**मूल्यांकन** प्रस्ताव का मूल्यांकन प्रणाली द्वारा किया जाएगा और स्कोर स्वतः सृजित होंगे। वे सभी अनुप्रयोग जो न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे पीएसी द्वारा विचार किए जाने के पात्र होंगे। केवल 'सी' श्रेणी के आवेदकों के मामले में संस्थान की फोटो लेकर और प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या का सत्यापन करते हुए पंजीकृत पते पर संस्थान के वास्तुविक अस्तित्व की जांच करने के लिए एक क्षेत्र मूल्यांकन किया जाएगा।	
11.	**पीएसी बैठक आयोजित करना** पिछले महीने के दूसरे मंगलवार तक प्राप्त सभी परियोजनाओं पर विचार करने के लिए प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को पीएसी बैठक आयोजित करें।	
12.	**सहयोगिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना** प्रत्येक पन्द्रह दिन में पीआईए नियमित एमआईएस और ऑनलाइन लेखा एमआईएस की समीक्षा करना और किसी भी प्रकार के विपणन अथवा मासिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता के मामले में एडवाइजरी जारी करना।	
13.	**लक्ष्य प्राप्त करना** एसआरएलएम और ग्रामीण विकास मंत्रालय टीएसए द्वारा जारी पिछली एडवाइजरी का पीआईए द्वारा अनुपालन की समीक्षा करना	
14.	**अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने संबंधी पीआईए के मासिक लक्ष्यों की समीक्षा करना।** पीआईए को आवंटित अभ्यर्थियों (श्रेणी–वार) के प्रशिक्षण संबंधी मासिक लक्ष्यों की समीक्षा करना। कमी के मामले में पीआईए को इस अंतराल को पाटने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वार्षिक लक्ष्य पूरे किए गए हैं। अजा/अजजा, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए परियोजना हेतु लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रत्येक श्रेणी में 5 प्रतिशत तक की कमी के मामले में, पीआईए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा जिसमें पीएसी से रियायत की मांग की जाएगी। यदि रियायत का प्रस्ताव पीएजी द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है तो आवंटित लक्ष्यों में कमी के संबंध में समानुपातिक कटौती बाद में जारी की जाने वाली धनराशि से की जाएगी।	
15.	**गुणवत्ता सुनिश्चित करना** प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र और पूर्व में रिपोर्ट किए गए रोजगार दो माह में एक बार गुणवत्ता लेखा परीक्षा आयोजित करना।	

क्रम सं.	कार्यकलाप	अभ्युक्तियां
16.	**यह सुनिश्चित करना कि पीआईए पात्र होने के 30 दिनों के अंदर किश्तें प्राप्त कर लेते हैं।** ऐसा केवल तब संभव होगा जब पीआईएए टीएसएए और एसआरएलएम के आंतरिक वित्त प्रभाग द्वारा अपनाई गई स्कोरिंग प्रणाली के आधार पर ही धनराशि जारी करने का निर्माण किया जाएगा। एसआरएलएम को उस तारीख को बताने के लिए एमआईएस का उपयोग करना होगा। जब पीआईए धनराशि की किश्तों के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर रहे होंगे और मत सुनिश्चित करना होगा कि वास्तुविक और वित्तीय दोनों ही निगरानी उक्त तारीख तक पूर्ण कर ली जाती है। यह तभी संभव होगा जब पीआईए के पास एक विस्तुत वास्तुविक और वित्तीय एमआईएस और इसे इंटरनेट के माध्यम से टीएसए और एसआरएलएम को भी अवगत कराए।	
17.	**बहाली की निगरानी** आजीविका कौशल ने कौशल विकास कार्यक्रम से रोजगार प्रदान करने तक का सफर तय किया है। बहाली एक नया लक्ष्य है।	
18.	रोजगार मेला आयोजित करना अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाले संभावित नियोक्ताओं और रोजगार योग्य कौशल वाले अथवा नियोक्त की लागत से नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षित किए जा सकने वाले युवाओं को एक मंच पर लाना।	ये मेले एसजीए के निष्कर्षों की जांच करने और एसआरएलएम और अन्य पीआईए का नियोक्ताओं के साथ नेटवर्क के लिए अच्छे अवसर हैं।
19.	**माइग्रेशन सपोर्ट सेन्टर स्थापित करना** औपचारिक क्षेत्र में अनेक रोजगार ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, जहां गरीब लोग रहते हैं। सप्पोर्ट सेन्टर स्थापित करना जहां आजीविका कौशल प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित के संबंध में सहायता दी जाती हो: आवास प्राप्त करना वैकल्पिक/बेहतर वेतन वाले रोजगार प्राप्त करना स्थायी प्रशासन के साथ समस्याओं का समाधान करना पेशेवर काउंसलर तक पहुंच को सुगम बनाते हुए व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना	
20.	**अपने–अपने जिलों से पलायन करने वाले आजीविका कौशल महिला लाभार्थियों के लिए कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के कार्यक्रम में हेल्प लाइन स्थापित करना** महिला लाभार्थियों के मामले में जो जिलों के बाहर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, एक नामित मोबाइल फोन और नोडल अधिकारीगण होने चाहिए जिनसे आकस्मिक स्थिति में मोबाइल फोन अथवा ई–मेल द्वारा संपर्क कर सकें। गृह जिले के कलेक्टर/डी.एम. का यह कर्तव्य होगा कि वे जरूरतमंद महिलाओं की मदद करने के लिए लक्षित जिला कलेक्टर से सीधे अथवा राज्य सरकार के माध्यम से संपर्क करे।	

क्रम सं.	कार्यकलाप	अभ्युक्तियां
21.	**आजीविका कौशल प्रशिक्षु कार्यक्रम आयोजित करना** ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना जिनसे आजीविका कौशल प्रशिक्षुओं का कौशल विकास हो और उनको प्रोत्साहन मिले। न्यूजलैटर, वार्षिक संगोष्ठी, उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों को पहचान प्रदान करना बेहतर वेतन वाले रोजगार प्राप्त करने में सहायता, उच्चतर शिक्षा हेतु अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ अभिसरण ये कुछ कार्यकलाप हैं जो इसके माध्यम से किए जा सकते हैं।	
22.	**कौशल विकास हेतु राज्य मिशनों के साथ अभिसरण** कौशल विकास और विभिन्न विभागों के लिए राज्य मिशनों के साथ अभिसरण अवसरों का पता लगाना। कुछ कार्यक्रमों में आजीविका कौशल के समान ही उद्देश्य और लक्ष्य समूह हैं और सिनर्जी का विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं।	
23.	**रैकिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए मानक निर्धारित करना।** गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए एक रैंकिंग प्रणाली प्रचलित की जाएगी। प्रशिक्षण केन्द्रों को न्यूनतम स्तर, बुनियादी सुविधाएं और तकनीकी विशेषज्ञता बनाए रखनी होती है जैसा कि दिशा–निर्देशों में उल्लेख किया गया है। पीआईए के मध्य प्रतिस्पर्धा की भावना लाने के लिए सर्वसम्मत मानदंडों के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्रों की रैंकिंग हेतु एक प्रणाली लाई जाएगी। उदाहरणार्थः केन्द्रों को एक सितारा, दो सितारा, तीन सितारा इत्यादि के रूप में रैंक दिया जा सकता है। प्रत्येक निरीक्षण के बाद यह रैंकिंग बदल सकती है।	
24.	**कैरियर मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित करना** विभिन्न स्तरों–जिला और ब्लॉक दोनों स्तरों पर कैरियर मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित करना। इससे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अप्रेंटिसशिप और जॉब में आने का अवसर मिलेगा। इन सेवाओं में संभावित अभ्यर्थियों को काउसलिंग, अभ्यर्थियों को सेवा प्रदाताओं से जोड़ना इत्यादि शामिल है।	
25.	**आजीविका कौशल के बारे में सार्वजनिक डोमेन में सूचना प्रदान करना** आजीविका कौशल से संबंधित सभी सूचनाएं उस वेबसाइट का रखरखाव करते हुए सार्वजनिक डोमेन में रखी जाती है। जहां सूचना को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।	
26.	**जीपी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाना** जीपी कार्यकर्ताओं का नियमित प्रशिक्षण ताकि वे आजीविका कौशल से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग ले सकें और अनुकूल भूमिका निभा सकें।	

गैर–एएपी राज्य

सारणी के चरण 2,4,5,18,19 गैर एएपी राज्यों पर लागू नहीं है। चरण 1,3,6,8,9,10,12,17,20–26 उपर्युक्त सारणी में एएपी राज्यों पर लागू चरणों के सदृश हैं। शेष चरणों के लिए निम्नलिखित प्रयोज्य हैं:

चरण 7: वार्षिक कार्यक्रम अनुमोदन गैर एएपी राज्यों के पास अपने–अपने वार्षिक कार्यक्रम ऐसे हैं जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के इसी द्वारा अनुमोदन करना होता है।

चरण 11: ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुाव अग्रेषित करना: प्रत्येक महीने के तीसरे मंगलवार को वे प्रस्ताव एमओआरडी को अग्रेषित करना जिनके लिए:

राज्य सरकार संबंधित राज्य शेयर का पूर्ण हिस्सा देने का इच्छुक हो (25 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत)

- महीने के पहले मंगलवार तक प्राप्ति का रिकार्ड हो
- पीआईए को राज्य सरकार द्वारा कालीसूची में नहीं डाला गया हो
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त टीएसए ने प्रस्तुाव को हर तरह से पूर्ण पाया हो।

ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को पीएसी बैठकें आयोजित करेगा। पीएसी पिछले महीने के तीसरे शुक्रवार तक एमओआरडी में प्राप्त सभी मामलों पर विचार करेगा। इसका अर्थ यह है कि एसआरएलएम में प्रस्तुाव प्राप्त होने के एक माह के अंदर इस पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाएगी। चूँकि टीएसए को एक माह की जरूरत है, आशा की जाती है कि पीआईए अपने प्रस्तुाव को प्रस्तुत करने के 90 दिनों के अंदर इसका परिणाम से अवगत हो जाएगा।

एमएसपी परियोजनाएं

एएपी राज्यों से संबंधित सारणी में चरण 1–11,17–26 एमएसपी परियोजनाओं के लिए लागू नहीं हैं। चरण 12–16 एएपी राज्यों के लिए लागू चरणों के सदृश हैं।

4.3 ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित चरण

आजीविका कौशल केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच एक हिस्सेदारी है और पीआईए द्वारा उन्हें जमीनी स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। इस खंड में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मामलों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यप्रणाली तथा समय–सीमा दी गई है।

सारणी 3 : आजीविका कौशल परियोजनाएं–ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशासन से संबंधित चरण

चरण	एएपी	अभ्युक्तियां
1	**एसआरएलएम क्षमता बनाना** जैसे ही राज्य, जिला और उपजिला कौशल टीमें तैयार हो जाती है, एमओआरडी उनके लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएं चलाने हेतु एसआरएलएम की सहायता करेगा।	
2	**पीआईए क्षमता निर्माण** एनआईआरडी और अन्य एजेंसियों की सहातया से एमओआरडी पीआईए के स्टाफ सदस्यों के लिए आजीविका कौशल के विभिन्न पहलुओं विशेषकर अनुप्रयोग, लेखा और गुणवत्ता प्रक्रियाओं पर आवधिक कार्यशालाएं आयोजित करेगा।	
3	**टीएसए क्षमता निर्माण** आजीविका कौशल के प्रशासन में टीएसए की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये डेस्क और क्षेत्र मूल्यांकन प्रशिक्षण केन्द्र गुणवत्ता लेखा परीक्षा और प्रत्येक परियोजना की वास्तुविक और वित्तीय पैरामीटरों की साथ–साथ निगरानी से संबंधित है। एमओआरडी अन्य एजेंसियों की सहायता से एमओआरडी और एसआरएलएम की सहायता कर रहे टीएसए की क्षमता निर्माण में सहायता करने हेतु आवधिक कार्य शालाएं आयोजित करेगा।	

4	**प्रोटोकॉल को मानकीकृत करना** टीएसए की सहायता से नई परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तुावों के मूल्यांकन हेतु स्कोरिंग शीटस और प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देना और चल रही परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करना। गुणवत्ता आश्वासन प्रोटोकॉल विशेषकर प्रशिक्षण केन्द्र और कार्य स्थल पर अधिसूचित करना।	
5	**एसपीआईपी और एएपी तैयार करना** प्रत्येक वर्ष के 1 दिसम्बर तक कौशल और नियोजन हेतु सात वर्षीय एसपीआईपी और एएपी तैयार करने के लिए सभी एएपी राज्यों में एसआरएलएम की सहायता करना।	
6	**डेस्क मूल्यांकन** प्रत्येक वर्ष के जनवरी तक सभी एसपीआईपी और एएपी का पूर्ण डेस्क मूल्यांकन	
7	**एसपीआईपीए एएपी और एपी अनुमोदन** प्रत्येक वर्ष के 15 जनवरी तक ईसी बैठक बुलाकर सभी एसपीआईपी, एएपी और वाईपी (गैर एएपी राज्यों के लिए) को अनुमोदित करना।	
8	**गुणवत्ता आश्वासन** प्रशिक्षण केन्द्रों और नियोजन दावों के सहायक पर्यवेक्षण के लिए पीआईए क्यू टीमों, एसआरएलएम और टीएसए द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रोटोकॉल और स्कोरिंग शीटस विकसित करना।	
9	**निगरानी सुनिश्चित करना** दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त जारी किए जाने के पहले अनुपालन किए जाने वाले सभी पैरामीटरों की निगरानी पीआईए की एमआईएस और आजीविका वेबसाइट का उपयोग करते हुए टीएसए अथवा एसआरएलएम द्वारा पाक्षिक आधार पर की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना और तैयारी तक पीआईए को पे–आउट के बीच समय की बर्बादी को कम करना है। दूसरी और तीसरी किश्तुों के जारी करने हेतु स्कोर कार्ड और क्लोजर http://nrlmskills.in पर देखे जा सकते हैं।	
10	**पाठ्यक्रम सामग्री और शिक्षण कक्ष ट्रांजेक्शन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना** पाठ्यक्रम सामग्री और शिक्षण कक्ष ट्रांजेक्शन को बेहतर बनाने के लिए पीआईए और मूल्यांकन एजेंसियों और एसएससी के साथ कार्य करना।	
11	**संभावित नियोक्ताओं के साथ नेटवर्क** आजीविका कौशल ब्रांड का निर्माण करने और आजीविका कौशलयुक्त व्यक्तियों को उनके कार्यस्थल पर समानता का दर्जा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संभावित नियोक्ताओं के साथ काम करना।	
12	**संभावित पीआईए के साथ नेटवर्क और उनमें से अधिक से अधिक सरकार को आजीविका कौशल तंत्र में शामिल करना।** पीआईए के प्रति वर्तमान और संभावित आउटरीच बढ़ाई जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परियोजना अनुमोदनों में काफी ज्यादा वृद्धि की गई है।	
13	**प्रशिक्षकों का राष्ट्रीय डाटाबेस** एमओआरडी प्रशिक्षकों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करेगा और इसका रखरखाव करेगा तथा स्पष्ट रूप से पारिभाषिक मानदंडों पर उनकी रैंकिंग करेगा।	

गैर – एएपी राज्य

उपरोक्त तालिका का पहला चरण गैर–एएपी राज्यों के लिए लागू नहीं है। 2–6, 8–13 तक के चरण उसी प्रकार हैं जैसा एएपी राज्यों के लिए लागू हैं। शेष चरणों के लिए, निम्न लागू होता है:

चरण 6: डेस्क मूल्यांकन: प्रस्तुावों की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर सभी 'ग' श्रेणी के पीआईए का पूर्ण वास्तुविक सत्यापन।

चरण 7: परियोजना का अनुमोदन: सभी प्रस्तुावों पर विचार करने हेतु प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को पीएसी की बैठक आयोजित की जानी चाहिएए जिन्हें

- टीएसए से पिछले माह के तीसरे मंगलवार तक प्राप्त किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा पिछले माह के अंतिम बृहस्पतिवार तक अग्रेषित किया गया है और जिनमें राज्य सरकार के आजीविका कौशलों की हिस्सेदारी की धनराशि के सह–वित्तपोषण का आश्वासन दिया गया है।

एमएसपी परियोजनाएं

उपरोक्त तालिका के 1–18, 11 तथा 12 के चरण, जो एएपी राज्यों के लिए हैं, एमएसपी परियोजनाओं के लिए लागू नहीं हैं। चरण 10, 13 उसी प्रकार हैं जैसा एएपी राज्यों के लिए लागू हैं। शेष चरणों के लिए, निम्न लागू होता है:

चरण 9: निगरानी की सुनिश्चितता दूसरी, तीसरी तथा चौथी किस्तु जारी करने से पहले पूर्ति किए जाने वाले सभी पैरामीटरों की टीएसए या एसआरएलएम द्वारा पाक्षिक रूप से निगरानी की जानी चाहिए, जिसके लिए पीआईए और आजीविका वेबसाइट का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका अभिप्राय है गुणवत्ता में सुधार लाना तथा अटेनमेंट ऑफ रेडिनस कंडीशन्स और पीआईए के भुगतान के बीच बर्बाद हुए समय को कम करना है।

परियोजना अवधि का विस्तुार: प्रत्येक पीआईए से अनुमोदित अवधि के भीतर परियोजना पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। तथापि, परियोजना की अवधि को प्रत्येक मामले की स्थिति के अनुसार निम्न रूप से बढ़ाया जा सकता है:

- यदि परियोजना अवधि तीन महीनों से कम समय के लिए बढ़ाई जाती है, तो समेकित वित्त अनुभाग (आईएफडी) की सहमति से संयुक्त सचिव के स्तर पर उसका अनुमोदन किया जा सकता है।

- यदि परियोजना अवधि तीन से अधिक तथा छः माह तक के लिए बढ़ाई जाती है तो समेकित वित्त अनुभाग (आईएफडी) की सहमति से सचिव (ग्रामीण विकास) स्तर पर उसका अनुमोदन किया जा सकता है।

- यदि परियोजना अवधि छः माह से अधिक समय के लिए बढ़ाई जानी है तो पीएसी द्वारा उसका अनुमोदन किया जा सकता है।

4.4 राष्ट्रीय स्तर पर सहायता सुविधाएं

4.4.1 राष्ट्रीय सलाहकार समूह

आजीविका कौशलों की गुणवत्ता और स्वरूप में सुधार लाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय को इनपुट (सूचनाओं), प्रतिक्रिया तथा सुझावों से सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समूह (एनएजी) का गठन किया जाएगा। नीति–निर्माताओं, अन्य केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य सरकारों, उद्योग, शिक्षकों, सिविल सोसाइटी, उद्योग संगठनों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के व्यक्तियों को शामिल कर एनएजी का गठन किया जाएगा। एनएजी के क्रियाकलाप निम्न हैं:

राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर आजीविका कौशलों से संबंधित नीति एवं कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों की पहचान करना, जिसमें प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली, व्यवस्थाएं (सिस्टम) एवं संस्थानों को शामिल किया गया हो।

केन्द्र और राज्य सरकारों के अन्य कौशल विकास पहलों के साथ तालमेल से संबंधित मुद्दों की पहचान करना।

सभी राज्यों में आजीविका कौशलों से संबंधित उत्कृष्ट प्रक्रियाओं की पहचान और प्रसार करना।

4.4.2 अधिकार प्राप्त समिति (ईसी)

एएपी राज्यों के संबंध में एनआरएलएम की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) निम्न क्रियाकलापों का निष्पादन करेगी:

- राज्यों के एसपीआईपीए एएपी और वार्षिक कार्यक्रम का अनुमोदन करना।

- कार्यक्रम की समीक्षा करना, अध्ययन इत्यादि का सुझाव देना।

- यदि राज्य इन दिशानिर्देशों में उल्लेखित मुख्य सिद्धांतों की पूर्ति करते हैं तो उनके अभिनव परियोजना का अनुमोदन करना।

- विशेष समूहों के लिए परियोजना संबंधी प्रस्तुावों का अनुमोदन करना। इन परियोजनाओं के लिए लागत मानदंडों का प्रत्येक मामले की स्थिति के आधार पर अनुमोदन किया जाएगा ताकि इन समूहों की विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति की जा सके।

- राज्यों में एमएससी की स्थापना के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन करना।
- यदि राज्य समग्र कोर सिद्धांतों और दिशानिर्देशों में लागत संबंधी मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं तो राज्य विशिष्ट प्रस्तावों का अनुमोदन करना।

ईसी उन एएपी राज्यों के परियोजना प्रस्तावों पर भी विचार करेगा जो डेस्क तथा फील्ड संवीक्षा में सही पाए गए हैं और जिन्हें संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित राज्य अंश की पूर्ति की प्रतिबद्धता के साथ भेजा गया है।

4.5 आजीविका कौशल संसाधनों की पहुंच

और व्यवस्था करने के लिए पीआईए द्वारा 5 चरणों को लागू किया जाना चाहिए

जो भी पीआईए आजीविका कौशल पीआईए बनना चाहते हैं, उन्हें आजीविका कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और वित्तीय सहायता के लिए उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे। इस खण्ड में उन चरणों का उल्लेख किया गया है जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि परियोजना किसी एएपी राज्य या गैर–एएपी राज्य में कार्यान्वित की जानी है या यह प्रगतिशील एवं चालू एमएसपी के लिए है।

तालिका 4: आजीविका कौशल परियोजनाओं के प्रशासन में उपाय – पीआईए

उपाय	एएपी
1	**कौशल अंतराल विश्लेषण (एसजीए)** यद्यपि राष्ट्रीय स्तर के कौशल अंतराल मूल्यांकन तथा ग्राम पंचायत स्तर के युवाओं के डाटाबेस उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन पीआईए को अपना स्वयं का मूल्यांकन करवाना चाहिए और उन्हें इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए क्योंकि परियोजना को मंजूरी मिलने के पश्चात लक्ष्यों में कोई भी परिवर्तन सामान्यतः संभव नहीं होगा।
2	**संभाविक नियोक्ताओं की पहचान करना** एसजीए के समक्ष पीआईए को संभाविक नियोक्ताओं के साथ यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्हें प्रत्येक व्यवसाय के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी और वह अपने कर्मियों से किस प्रकार का ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्ति की अपेक्षा करते हैं।
3	**पीआईए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना** एसआरएलएम तथा एनआईआरडी परियोजना की तैयारी तथा गुणवत्ता की निगरानी पर पीआईए स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। पीआईए स्टाफ को इन कार्यक्रमों में यह सुनिश्चित करने के लिए भाग लेना चाहिए कि वह सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में सक्षम हैं और प्रशिक्षण केन्द्रों की गुणवत्ता लेखा परीक्षा तथा कार्य नियोजनों का आयोजन करते हैं।
4	**परियोजना प्रस्तावों का तैयार करना और उन्हें प्रस्तुत करना** आजीविका कौशल प्रारूपों का प्रयोग करते हुए परियोजना संबंधी प्रस्तावों को तैयार किया जाना चाहिए और एसआरएलएम को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए प्रारूपों को http://nrlmskill.in से डाउनलोड किया जा सकता है। परियोजनाओं को प्रस्तुत करते समय पीआईए को निम्न उप शीर्ष के अंतर्गत अपनी परियोजना के संबंध में लागत आकलनों को स्पष्ट रूप से उपलब्ध करना होगाः क. आवासीय पाठ्यक्रमों के संबंध में भोजन तथा आवास संबंधी खर्चे और गैर–आवासीय पाठ्यक्रमों के संबंध में भोजन तथा आने एवं जाने संबंधी खर्चे। ख. नियोजन के पश्चात सहायता ग. पीसी टेबलेट घ. वर्दी ड. दूरस्थ शिक्षा (ii) प्रशिक्षकों के संबंध में प्रोदभूत लागतें क. क्यू टीम के लिए वेतन ख. प्रशिक्षकों के लिए वेतन

उपाय	एएपी
5	**प्रश्नों का जवाब** एसआरएलएम के संभावित प्रश्नों का शीघ्र जवाब देना। ऑनलाइन प्रणाली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, तब तक ई–मेलों का प्रयोग किया जा सकता है।
6	**एमओयू की विषय–वस्तु** एसआरएलएम के ईसी द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करने के बादए पीआईए को एसआरएलएम के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसकी विषय–वस्तु पर ईसी की बैठक में सहमति की जानी चाहिए ताकि ईसी बैठक के कार्यवृत्तों को जारी करने के 48 घंटों के भीतर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर उसे कार्यान्वित किया जा सके। समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन में स्टांप कागज की लागत पीआईए द्वारा वहन की जाएगी। परियोजना प्रस्ताव के भाग के रूप में पीआईए द्वारा एक माह–वार योजना उपलब्ध करनी होगी जिसमें परियोजना की पूर्ण अवधि के दौरान प्रशिक्षित किए जाने वाले कुल लोगों की संख्या अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अल्पसंख्यक/महिलाओं सहित श्रेणी–वार ब्यौरा दिया गया हो और यह योजना समझौता ज्ञापन (एमओयू) का भाग होगी।
7	**एमओयू का कार्यान्वयन** पीएसी की बैठकों के कार्यवृत्तों के जारी होने के पश्चात 48 घंटों के भीतर एसआरएलएम और पीआईए के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हो जाने चाहिए। एमओयू का प्रारूप http://nrlmskills.in से लिया जा सकता है।
8	**प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना और एसआरएलएम या टीएसए द्वारा उनका सत्यापन करवाना** च्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र और प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आजीविका कौशल प्रशिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षकों के पास अपेक्षित ज्ञान, कौशल तथा दृष्टिकोण है। अगले चरण में प्रवेश करने से पहले पीआईए की क्यू टीम द्वारा उन प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण एवं सत्यापन किया जाना चाहिए जो एनआईआरडी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रोटोकॉलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां महिला प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहां कम से कम एक महिला प्रबंधक/प्रशिक्षक होना चाहिए।
9	**अवप्रेरण** एक जीपी सेच्युरेशन प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। 18 से 35 वर्ष की आयु के सभी निवासियों को जिन्हें गरीब के रूप में अभिज्ञात किया गया है, काउंसिलिंग सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। पीटीजी के संबंध में, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। विशेष समूहों, जैसे अकुशल अपमार्जक, मानव तस्करी के पीड़ित इत्यादि का पंजीकरण किया जाना चाहिए बशर्ते वह 16 वर्ष की आयु से अधिक के हैं और सेवाकालीन जॉब प्रशिक्षण सहित वह प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर 18 वर्ष के हो गए हैं।
10	**काउंसिलिंग देना और चयन करना** आजीविका कौशल लाभार्थी गरीब परिवारों से आते हैं और प्रायः उन्हें प्रत्येक क्षेत्र के विस्तुार एवं स्वरूप के बारे में कम ज्ञान होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि लाभार्थी तथा उनके अभिभावकों को बेहतर गुणवत्ता की काउंसिलिंग प्रदान की जाती है।

उपाय	एएपी
11	**गुणवत्ता प्रशिक्षण एवं नियोजन की सुनिश्चितता** • प्रत्येक प्रशिक्षण दिवस के प्रारंभ और अंत में जियो–टैग्ड, समय अंकित बायोमैट्रिक हाजिरी का उपयोग किया जाना चाहिए। • प्रशिक्षण केंद्र को खोलने और बंद करने के पश्चात अगले सुबह माल–सूची (इनवेंटरी) की ऑनलाइन जांच की जानी चाहिए। • प्रतिरूपण को रोकने के लिए समय–समय पर प्रश्नोत्तरियों तथा सुरक्षा के साथ जांच की जानी चाहिए। पीआईए एमआईएस में परिणामों को प्रकाशित किया जाना चाहिए और जिनका स्कोर कम रहता है उनके लिए उचित कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। • प्रत्येक कक्षा एवं प्रयोगशाला में वीडियो तथा आडियो रिकॉर्डर स्थापित किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीआईए की क्यू टीम द्वारा प्रत्येक माह इन रिकार्डिंगों की समीक्षा की जाती है तथा प्रत्येक प्रशिक्षक को अंक दिए जाते हैं। प्रशिक्षकों के लिए रेमीडियल कक्षाएं आयोजित करने हेतु इन परिणामों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। • प्रशिक्षकों को दैनिक भोजन, परिवहन/आवास के लिए भत्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। • प्रशिक्षकों के मेहनताना का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। • यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के लिए मासिक तथा परियोजना के अंत में लक्ष्य पूरे किए गए हैं। • यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीआईए द्वारा अपनी स्वयं की क्यू टीमों, एसआरएलएम तथा ग्रामीण विकास विभाग के टीएसए को जारी की गई सलाहों का वैयक्तिक प्रशिक्षकों और प्रशिक्षण केंद्र के प्रबंधको द्वारा संकलन किया जा रहा है। • यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीआईए की वेबसाइट में रिपोर्ट किया गया तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा गया नियोजन संबंधी डाटा सही है। • नियोक्ताओं के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया जाना चाहिए कि जो नियोक्ता आजीविका कौशल के उम्मीदवारों को स्वीकार करते हैं, वह आजीविका कौशल के उम्मीदवारों को देय सभी कानूनी ला उपलब्ध करते हैं। • यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियोजन के कम से कम एक वर्ष तक प्रशिक्षकों पर निगरानी रखी जानी चाहिए। (नियोजन के बाद एक वर्ष तक पीआईए का निष्पादन अनुवर्ती प्रस्तुावों को प्रस्तुत करने के दौरान परिवर्तनीय होगा।
12	**वर्क रेडिनेस एंड इम्लॉयेबिल्ट ट्रैनिंग सेंटर्स** परियोजना राज्य के निवासियों के लिए नियोजन के मुख्य केन्द्रों में वर्क रेडिनेस एंड इम्प्लॉयेबिलिटी ट्रैनिंग देने वाले केन्द्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। संभावित नियोक्ताओं को कैम्पस नियोजन साक्षात्कार तथा परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों को वैकल्पिक जॉबों के लिए आवास एवं अवसरों के संबंध में सहायता दी जानी चाहिए। स्थानीय प्रशासन को संपर्क सेवाएं भी उपलब्ध की जानी चाहिए।
13	**प्रशिक्षकों के लिए नियोजन के पश्चात काउंसिलिंग सत्र का आयोजन करना** अनेक जॉबों पर नियोजित प्रशिक्षित उम्मीदवारों को आमतौर पर कार्य स्थल तथा उससे बाहर नये परिवेश में तालमेल करने में समस्या आएगी। पीआईए द्वारा ऐसे उम्मीदवारों को, विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों को, नये परिवेश से सामंजस्य बिठाने के लिए उन्हें काउंसिलिंग देकर सहायता देनी होगी।

एसएसपी के लिए उपरोक्त सभी बिंदुओं की अपेक्षा की जाती है। तथापि, 1.17 तक के बिंदु एमएसपी के लिए लागू नहीं हैं।

4.6 राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी)

एसपीआईपी को मध्यम अवधि में (सात वर्ष) कौशल संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करना होगा, जिसमें प्रशिक्षित एवं नियोजित किए जाने वाले युवाओं की संख्या, प्रशिक्षण दिए जाने वाले व्यवसायों एवं क्षेत्रों तथा अभिनव और विशेष परियोजनाओं के लिए क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। गरीबों को कौशल प्रदान करने के लिए राज्य के परिवेश की स्थिति का विश्लेषण करने हेतु एसजीए से आधारी सूचना, बाजार सूचना एवं सर्वेक्षण, साहित्य संबंधी समीक्षाओं इत्यादि का परितुलन करने की आवश्यकता होगी। स्थिति विश्लेषण में गरीब युवाओं तथा कौशल–निर्माण कार्यक्रमों में लाए जाने वाले कमजोर लोगों की विभिन्न श्रेणियों को अभिग्रहित करने की अपेक्षा की जाएगी। यह विकास के क्षेत्रों तथा गरीब युवाओं और कमजोर समुदायों की नियोजनीयता को बढ़ाने में राज्य द्वारा महसूस की जा रही चुनौतियों की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। यह संभावित क्षमताओं की पहचान करने, गरीबों को उपयोगी साधन के रूप में विचार करने तथा उपयोगी नियोजन के लिए उनकी क्षमता की पहचान करने में भी सक्षम होना चाहिए। एसपीआईपी द्वारा आकलित आउटपुट प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियां तैयार की जानी चाहिए, जिसमें निम्न को सम्मिलित किया जाना चाहिए:

- कौशल–निर्माण के क्षेत्र में क्षमता विकास और सेवा प्रदाताओं का संवर्धन करना।
- कौशल–निर्माण समाधानों के माध्यम से स्थानीय आर्थिक विकास के लिए तालमेल करना।
- संरक्षित प्रवास और सहायता सेवाओं के लिए तालमेल करना।
- दीर्घकालिक कौशल तालमेलों के लिए प्रणालियों (सिस्टम) का विकास करना।
- व्यापक अवसंरचनात्मक पहुंच/उपलब्धता में तथा अभिनवकारी किराए में हिस्सेदारी करने के लिए सहायता करना।
- गरीबों में अति कमजोर लोगों तक आउटरीच तथा पहुंच बढ़ाना।
- गरीबों के सीबीओ को लंबे समय तक नियुक्त करने वाले क्षेत्रों और उसके लिए उनकी क्षमता पर कार्यनीतियां बनाना।
- गरीबों के तालमेल संबंधी प्लेटफार्मों की भागीदारी में पहचान करने और उनके नियमित सहयोग के साथ–साथ दीर्घकालीन जुटाव करना।
- कौशल संवर्धन एवं पुनः कौशल–निर्माण के लिए नियोक्ता की वचनबद्धता और अवसरों के लिए कार्यनीतियां बनाना।
- ऐसी परियोजनाएं जो अनधिकारक क्षेत्र के रोजगार के नियमों को (भुगतान संबंधी शर्तों, संरक्षण एवं लाभ, कौशल धारण करने की विश्वसनीय खोज) प्रभावित करते हैं।
- पाठ्यक्रमों के सत्यापन सहित गुणवत्ता प्रबंधन, मूल्यांकन और निगरानी करना।
- कौशल की खोज करने तथा उसके धारण की सुनिश्चितता के लिए दीर्घकालीन कार्यनीतियां बनाना।
- स्वयंमेव प्रकटनों सहित पारदर्शिता के लिए सांस्थानिक व्यवस्थाएं करना।
- तकनीकी सहायताए क्षमता निर्माण तथा भूतपूर्व छात्रों के प्रबंधन के लिए सांस्थानिक व्यवस्थाएं/भागीदारियां

एसपीआईपी तैयार करने के लिए टेम्पलेट http://nrlmskills.in से लिया जा सकता है। यह उम्मीद की जाती है कि राज्य एएपी के रूप में पदनामित होने के अगले वर्ष में अपनी एसपीआईपी प्रस्तुत करेंगे।

4.7 पीआईए – श्रेणियां एवं मानदंड

आजीविका कौशल के अंतर्गत पीआईए बनने के लिए निम्नलिखित निकाय आवेदन कर सकते हैं बशर्ते कि वह किसी भी भारतीय न्यास अधिनियमों या कोई राज्य सहकारिता समितियों या बहु–राज्य सहकारिता समितियों या भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत हैं:

- शैक्षणिक संस्थाएं, जिनकी अपनी भूमि और वन हो (20 वर्षों से अधिक अवधि का पट्टा अनुबंध भी स्वीकार्य है)
- कारपोरेट निकाय (स्थानबद्ध नियोजन के लिए)

- ऐसे निकाय जो उन्नत सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के लिए प्रशिक्षण एवं नियोजन प्रदान करते हैं।
- वाणिज्यिक एवं लाभ रहित प्रशिक्षण प्रदाता (जो कहीं भी नियोजन उपलब्ध कराते हैं)
- स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के संघ और सहकारिता समितियां।
- मार्केट लीडर्स, जो निर्धारित शुल्क–आधारित कौशल–निर्माण कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, जिसे गरीब आजीविका कौशलों के अंतर्गत वाउचरों/छात्रवृत्तियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
- राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय श्रेणी के पीआईए के स्तर पर सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत सरकारी संगठन और समानरूपी परियोजना आकार एवं अवधि, जिसके लिए वह आजीविका कौशल के अंतर्गत पात्र होंगेः

तालिका 5 : पीआईए की श्रेणियां

सं.	पीआईए की श्रेणी	पात्रता मानदंड	परियोजना आकार एवं अवधि (रु.)
1	श्रेणी क	आजीविका कौशलों के अंतर्गत तीन या उससे अधिक परियोजनाएं पूरी की हों (या एसजीएसवाई – एसपी) या पिछले 5 वर्षों के दौरान 20000 लाभार्थियों को प्रशिक्षण और 75: प्रशिक्षुओं को नियोजित किया हो।	रु. 50 करोड़ प्रति परियोजना (राज्य के अंश सहित कुल अनुमोदित लागत)। परियोजना की अवधि अधिकतम पांच वर्ष
2	श्रेणी ख	ऐसे पीआईए जिन्?होंने पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक आजीविका कौशल (या एसजीएसवाई–एसपी) परियोजना पूरी की हो तथा परियोजना में निर्धारित सभी शर्तों कों पूरा किया हो, और ऐसे प्रशिक्षण संस्थाएं, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में मंत्रालय की आजीविका कौशल (या एसजीएसवाई–एसपी) परियोजना का कार्यान्वयन नहीं किया है परंतु वह जाने माने कौशल प्रदाता हैं (पांच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत और जिनकी पिछले प्रत्येक तीन वर्ष में रु.15 करोड़ से अधिक का कारोबार हो)। सभी एनएसडीसी भागीदारए जहां एनएसडीसी का इक्विटी या ऋण के माध्यम से स्टेक है, इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे।	रु. 15 करोड़ प्रति परियोजना (राज्य के अंश सहित कुल अनुमोदित लागत)। परियोजना की अवधि अधिकतम तीन वर्ष
3	श्रेणी ग[14]	अन्य सभी पीआईएए जिनके पास कौशल–निर्माण में पहले के कोई अनुभव नहीं है, जो कि उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पीआईए ओरिएन्टेशन पाठ्यक्रम में भाग लिया है।	रु. 5 करोड़ प्रति परियोजना (राज्य के अंश सहित कुल अनुमोदित लागत)। परियोजना की अवधि अधिकतम दो वर्ष

[14] जब संस्थाएं "ग" श्रेणी के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए आवेदन करते हैं, संगठन के पंजीकृत पते पर वास्तुविक स्थापना की जांच के लिए एक फील्ड मूल्यांकन किया जाएगा, संस्था के फोटोग्राफ लिए जाएंगे, मुख्य कार्यालय में कुल कर्मियों की संख्या का सत्यापन किया जाएगा।

उपरोक्त के अलावाए तीनों श्रेणियों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगाः

- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने के समय संस्था तीन वर्ष पुरानी होनी चाहिए।
- संस्था का पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों में नकारात्मक नेटवर्थ नहीं होना चाहिए।
- संस्था का टर्नओवर प्रस्तुावित परियोजना के आकार का कम से कम 25ः होना चाहिए।
- एनएसडीसी के हिस्सेदारों के संबंध में, अर्थात ऐसे निकाय जिनमें एनएसडीसी का इक्विटी स्टेक है या उसने ऋण उपलब्ध किए हैं, कम से कम तीन वर्षों को न्यूनतम अस्तित्व की समयावधि तथा नकारात्मक नेटवर्थ की आवश्यकता में छूट दी जाएगी।
- यदि कन्सॉर्टियम निम्न शर्तों को पूरा करते हैं तो वह भी आवेदन कर सकते हैंः
  - मुख्य कन्सॉर्टियम हिस्सेदार को इन दिशा–निर्देशों में निर्धारित किए गए पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
  - मुख्य हिस्सेदार अन्य हिस्सेदारों की क्षमता विकास के लिए सहमत होना चाहिए।
  - जिम्मेदारियों में स्पष्ट अंतर होना चाहिए।
  - मुख्य हिस्सेदार की निगरानी प्रणाली स्पष्ट और उचित होनी चाहिए।
  - मुख्य हिस्सेदारों को अन्य हिस्सेदारों की ओर से भी पूर्ण जिम्मेदारी लेनी होगी। अतः कनिष्ठ हिस्सेदार भावी परियोजनाओं में वर्गीकरण के लिए कन्सॉर्टियम के अंतर्गत किए गए कार्य के लिए क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।
  - यदि कन्सॉर्टियमहिस्सेदारों में से एक भी हिस्सेदार उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो मुख्य हिस्सेदारों को लिखित में यह देना होगा कि यदि कोई भी कन्सॉर्टियम हिस्सेदार समस्तु सरकारी देयों को भुगतान करने में विफल रहता है तो वह कुल देय का भुगतान करेंगे।
- परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद मुख्य हिस्सेदार पीछे नहीं हट सकते हैं। यदि एक भी हिस्सेदार परियोजना से पीछे हटता है तो मुख्य हिस्सेदार को एमओयू के अनुसार सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा। हिस्सेदारों को जारी की गई किसी भी धनराशि की वसूली के लिए भी, जिसके लिए करार के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया गया हैए मुख्य हिस्सेदार जिम्मेदार रहेगा।
- पीआईए फ्रैंचाइजी/आउटसोर्सिंग व्यवस्था के माध्यम से भी कार्य कर सकता है। यदि परियोजना प्रस्तुावक किसी फ्रैंचाइजी व्यवस्था के माध्यम से केन्द्रों का संचालन करना चाहता है, तो इसका आवेदन तथा परियोजना मंजूरी आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। आजीविका कौशलों के मुख्य घटक हैं प्रशिक्षण और नियोजन। यदि पीआईए परियोजना के मुख्य घटकों के कार्यान्वयन को बाह्य स्रोतों से कराना चाहता है तो उसे परियोजनाओं की प्रस्तुति के दौरान इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। प्रस्तुाव के साथ हिस्सेदार संगठन (जिसके लिए कार्य को बाह्य स्रोतों से कराया जा रहा है) के ब्यौरे में उसका नामए कानूनी स्थिति, परियोजना के मुख्य कार्मिकों का ब्यौरा, टर्नओवर, नेटवर्थ तथा तुलन–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। परियोजना के लिए हिस्सेदारों के बीच वित्तीय व्यवस्था के सभी ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे। हिस्सेदार संगठन बैंक संबंधी विवरण भी उपलब्ध करने होंगे और उन्हें सीपीएसएमएस में पंजीकृत करना होगा।

4.8 आजीविका कौशलों में विभिन्न प्रक्रियाओं एवं कार्यों के लिए प्रोटोकॉल का विकास

एसआरएलएम द्वारा इन दिशानिर्देशों में अधिसूचित अनेक प्रक्रियाओं एवं कार्यों के लिए प्रोटोकॉल तैयार किए जाने चाहिए। प्रोटोकॉल को ग्रामीण विकास मंत्रालय के ई.सी. द्वारा अनुमोदित किया जाना है। मॉडल प्रोटोकॉल विकासित किए गए हैं और राज्यों द्वारा स्वयं के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए उन्हें राज्यों के साथ साझा किया गया है। निम्न प्रक्रियाओं एवं कार्यों के लिए मॉडल प्रोटोकॉल विकासित किए गए हैंः

- प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण
- किसी भी प्रशिक्षण केन्द्र को कार्य शुरू करने से पहले सम्यक् तत्परता की जानी चाहिए
- नियोजन के पश्चात एक वर्ष तक निगरानी
- लेखों का सत्यापन
- ऑनलाइन एमआईएस की पाक्षिक समीक्षा
- आजीविका कौशल परियोजना के लिए आवेदन का फील्ड मूल्यांकन
- अंग्रेजी शिक्षण
- कंम्प्यूटर शिक्षण
- सॉफ्ट स्किल
- प्रशिक्षण केन्द्रों की सुंदरता एवं अनुभूति
- प्रशिक्षण को दिन में खोलना और बंद करना
- मास्टर प्रशिक्षकों के लाइव स्टूडियो आधारित प्रसारणों का इस्तेमाल करते हुए दूरस्थ शिक्षा

- तालमेल
- काउंसिलिंग
- उम्मीदवारों की छान–बीन, योग्यता मूल्यांकन और चयन
- जॉब मेलों का आयोजन
- सेवाकालीन प्रशिक्षण
- नियोजन का सत्यापन
- नियोजन के बाद भुगतान सहायता
- दूसरी, तीसरी तथा चौथी किस्तुों के लिए दावा
- परियोजना मंजूरी के लिए आवेदन प्रपत्र
- तृतीय पक्ष से सत्यापन
- कैरियर प्रोगेसन भुगतान का सत्यापन
- एक वर्ष के धारण भुगतान का सत्यापन
- वर्क रेडिनेस और नियोजनीयता केन्द्र
- प्रवास सहायता केन्द्र
- स्व–सहायता समूह (एसएचजी) की भूमिका
- ग्राम पंचायत की भूमिका
- पीआईए दस्तुावेज

4.9 परिवर्धित आजीविका कौशल दिशानिर्देशों की अनुप्रयोज्यता की तिथि

केन्द्र सरकार ने विगत समय में पीआईए को एसजीएसवाई के अंतर्गत नियोजन आधारित कौशल–निर्माण विशेष परियोजनाओं (जिन्हें बाद में परिशोधित कर वर्ष 2012 में आजीविका के अंतर्गत नियोजन आधारित कौशल–निर्माण परियोजनाओं के रूप में पुनर्गठित किया गया) की मंजूरी दी है। एएपी राज्य भी वर्ष 2012 में दिशानिर्देशों के अनुसार पीआईए को नियोजन आधारित कौशल–निर्माण परियोजनाओं की मंजूरी देती है।

इन दिशानिर्देशों के लागू होने के बाद (2013) चल रही कौशल–निर्माण एवं नियोजन परियोजनाओं से संबंधित कोई भी शेष क्रियाकलाप को नये दिशानिर्देशों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। चल रही परियोजनाओं के संबंध में, जो पीआईए वर्ष 2012 के दिशानिर्देशों से शासित होना चाहते हैं (पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से) को इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित में अपनी मंशा स्पष्ट करनी होगी। यदि पीआईए से 30 दिनों के भीतर कोई भी लिखित सूचना प्राप्त नहीं की जाती है तो, ग्रामीण विकास मंत्रालय शेष क्रियाकलापों तथा उन परियोजनाओं के संबंध में जिनमें पीआईए ने वर्ष 2013 के दिशानिर्देशों के आंशिक कार्यान्वयन के लिए अनुरोध किया था, एक परिवर्धित मंजूरी आदेश जारी करेगा, जिसकी निबंधन एवं शर्तें आपस में तय की जाएंगी। तदनुसार, यथाआवश्यकता, टीएसए परिवर्धित मंजूरी आदेशों के 15 दिनों के भीतर एक परिवर्धित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्तुाक्षर करेगा।

4.10 तालमेल

तालमेल एक सतत प्रक्रिया है और जबकि व्यापक सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है, लकिन यह एसआरएलएम होगा जिसे राज्य एवं जिला स्तर पर वर्तमान कौशल विकास कार्यक्रमों के आधार पर तालमेल करने के लिए मुख्य भूमिका निभानी पड़ेगी। तालमेल के लिए सहयोग और कार्य प्रणाली समस्तु राज्यों एवं जिलों में भिन्न होगी।

राज्य स्तरः अनेक राज्यों ने कौशल विकास के लिए राज्य मिशन स्थापित किए हैं। अधिदेशों के कार्यान्वयन हेतु संस्थानिक कार्यप्रणालियां भी स्थापित की गई हैं। वर्तमान कार्यप्रणालियों के संबंध में, उन्हें अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अन्य राज्यों में, तालमेल संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए एक अंतर विभागीय समन्वयन समिति का गठन किया जा सकता है जिसमें राज्य के मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे और कौशल–निर्माण कार्यक्रमों से जुड़े मुख्य विभागों के प्रधान सचिव सदस्य होंगे। तालमेल कार्यप्रणाली के लिए राज्य स्तर पर कतिपय संभावित क्रियाकलाप निम्न हैंः

- पाठ्यक्रमों का मानकीकरण – पाठ्यक्रमों का विकास
- मूल्यांकन एवं सत्यापन – एनओएस/एनसीवीटी/एमईएस, उद्योग का सत्यापन
- सार्वजनिक अवसंरचना से एक माल–सूची (इनवेंटरी) तैयार करना जिसे या तो प्रशिक्षण केन्द्रों या छात्रावास सुविधा के रूप में आंशिक या पूर्णावधि के आधार पर उपलब्ध कराया जा सकता है।
- आजीविका कौशलों में सुधार लाने हेतु शिक्षाविदों तथा अनुसंधानिक एजेंसियों का सहयोग लेना
- समस्तु कौशल–निर्माण कार्यक्रमों में सहायता के परिमाण से सुसंगत रहना, संस्थानों तथा उपलब्ध कराए गए कौशल–निर्माण की प्रवृत्तियों की पहचान करना।

जिला स्तरः कार्यान्वयन में तालमेल लाने के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मुख्य विभागों के अनुभागाध्यक्षों की समन्वयन समिति संस्थानिक कार्यप्रणाली हो सकती है। समन्वयन समिति का संयोजन जिला परियोजना प्रबंधन इकाई का कार्यक्रम प्रबंधक हो सकता

है। समन्वयक समिति के क्रियाकलाप निम्न होंगे:

- आईईसी और एकत्रीकरण क्रियाकलापों के लिए विभागों की पहुंच (आउटरीच) का उपयोग करना।
- कार्यनीतियां तैयार करने हेतु शिक्षाए पंचायती राज विभाग इत्यादि सहित अनेक विभागों के डाटाबेसों को उपलब्ध कराना।
- जॉब नियोजनों के लिए जिला स्तरीय उद्योग संघों के साथ समन्वयन करना।
- जिला स्तरीय योजना प्रक्रियाओं के भाग के रूप में कौशल–निर्माण का समावेशन।

4.11 परियोजना की पूर्णता

चौथी तथा अंतिम किस्तु जारी करने के लिए एएपी तथा एसएसपी परियोजनाओं के पूर्ण होने की रिपोर्ट को टीएसए द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय कौशल वेबसाइट पर अपनी टिप्पणियों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

5. वित्तीय प्रबंधन

5.1 राज्यों के लिए आवंटन

राज्यों को वार्षिक आवंटन, राज्य निर्धनता अनुपात और राज्य की खपत क्षमता के आधार पर किया जाएगा। कौशल और रोजगार, राज्यों में अनियमित क्षमता के साथ विकसित क्षेत्र है। यद्यपि इस संबंध में राज्यों की क्षमता का निर्माण करने के लिए समस्तु प्रयास किए जाएंगे, फिर भी ऐसा लगता है कि इसमें समय लगेगा। कौशल और रोजगार परियोजनाओं को शुरू होने में काफी समय लगता है जिसके कारण यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले ही व्यय संबंधी निर्णय ले लिए जाएं। वर्ष 2013–14 में, कौशल के लिए केंद्रीय आवंटन में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, जो उपलब्ध संसाधनों का उपयोग राज्यों की क्षमता पर निर्भर करेगा जिससे यह निर्धारित किया जा सकेगा कि 12वीं योजना की अवधि के लिए कितने संसाधन किस राज्य को दिए जाएं।

इसलिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में अनुमानित राज्य–वार आवंटन की घोषणा करेगा। इस घोषणा का उद्देश्य यह है कि राज्य जनवरी में होने वाली ईसी बैठकों में लाए जाने वाले योजना प्रस्तुावों में इसको दर्शा सकें। यदि कोई राज्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में दी गई राशि का उपयोग उस वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक करने में असमर्थ रहता है जिस वित्तीय वर्ष में दी जाने वाली नई निधि पर विचार किया जा रहा है और पिछले वर्ष में किए गए आवंटन की 50 प्रतिशत अप्रयुक्त निधि को दी जाने वाली नई राशि में से काट लिया जाएगा और उन राज्यों को बांट दिया जाएगा, जिन्होंने पिछले वर्ष में आवंटित राशि को पूर्ण रूप से उपयोग किया हो। इस कार्य को 30 सितम्बर तक उपयोग की गई निधियों के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष की 31 अक्तूबर को दोहराया जाएगा और सभी अप्रयुक्त आवंटनों को उन राज्यों को दे दिया जाएगा, जिन्होंने अपनी निधियों का पूर्ण उपयोग किया हो। राज्यों के आवंटन इसे ध्यान में न रखते हुए किया जाएगा कि वे राज्य एएपी के अंतर्गत आते हैं या फिर नहीं, लेकिन प्राथमिकता प्रतिबद्ध देयताओं को दी जाएगी।

केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित 90:10 के अनुपात वाले विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 75:25 है। जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय हिस्सेदारी 100 प्रतिशत है। राज्य सरकार कुल परियोजना लागत में से अपनी हिस्सेदारी की परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तक कौशल विकास और ओजीटी के लिए सुविधाओं के रूप में योगदान दे सकते हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी कम्पनी का निवल मूल्य 500 करोड़ रू. या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ रू. से अधिक या उसका निवल लाभ 500 करोड़ रू. से अधिक है, तो वह एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करे, जो उन क्रियाकलापों की ओर संकेत करें, जिनको कंपनी द्वारा चलाया जाएगा। कौशल सिखाने को स्पष्ट रूप से एक स्वीकार्य सीएसआर क्रियाकलाप माना जाता है। इस बात की बहुत संभावना थी कि कॉरपोरेट इस उद्देश्य के लिए अपना सहयोग देगा। चूंकि कुछ ही कॉरपोरेट के पास अपनी सीएसआर फाउंडेशन है। अधिकांश कॉरपोरेट भौगोलिक परिस्थितियों, कौशलों या निर्मित पीआईए के आधार पर निवेश के अवसर तलाशेंगे। इन क्षमताओं का उपयोग करने के उद्देश्य से एसआरएलएम को उपलब्ध निधियों के कुल कॉर्पस के अंतर्गत सीएसआर फंडिंग से अधिकांश परियोजनाओं को शुरू करने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। सीएसआर निधि के उपयोग के प्रोटोकॉल मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए जाने चाहिए।

5.2 पूर्वोत्तर राज्यों को आवंटन

आजीविका कौशल के लिए कुल आवंटन में से 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों जिनमें सिक्किम भी शामिल है, को दिया जाएगा। केंद्रीय सरकार आवश्यकतानुसार क्षेत्रों में सहायता के विशेष स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपयोजना सूचित कर सकती है। तब तक इन परियोजनाओं का मूल्यांकन इन दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

5.3 हिमायत के लिए आवंटन

वर्ष 2012–13 से जम्मू और कश्मीर में अलग से एक आजीविका कौशल योजना चलाई जा रही है। यह केंद्र द्वारा शत–प्रतिशत वित्तपोषित योजना है। इसका लक्ष्य जम्मू और कश्मीर के 1,00,000 युवाओं को कुशल बनाना है और इनमें से कम से कम 75,000 युवाओं को पांच वर्षों में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार प्रदान करना है।

5.4 रोशनी के लिए आवंटन

ग्रामीण निर्धन युवाओं के लिए वर्ष 2013–14 में 24 वामपंथी उग्रवाद से अत्यंत प्रभावित जिलों में एक अन्य आजीविका कौशल कार्यकलाप शुरू किए गए और 25 जुलाई, 2013 को 27 एलडब्ल्यूई जिलों में इनका विस्तार कर दिया गया है।

5.5 लागत और निधि रिलीज करने के मानदंड

ग्रामीण विकास मंत्रालय में ईसी समय–समय पर लागत मानदंड और निधि रिलीज करने के मानदंडों को संशोधित करेगी। अद्यतन मानदंड वेबसाइट http://nrlmskills. पद पर देखे जा सकते हैं।

5.6 फंड रिलीज – केंद्र से एएपी राज्यों को और एएपी राज्यों में पीआईए को

जनवरी महीने में एएपी का अनुमोदन होने पर प्रत्येक राज्य के लिए निधि निर्धारित की जाती है। पीआईए के लिए निर्धारित निधि सीपीएसएमएस के जरिए एसआरएमएम को रिलीज की जाती है। राज्य का अंश भी राज्य आजीविका योजना बैंक खाते में जमा किया जाना है। एएपी राज्यों में पीआईए को किए जाने वाले सभी भुगतान एसआरएलएम द्वारा किए जाएंगे। एसआरएलएम इसकी जिला और उप जिला इकाइयों द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक निधि का 50 प्रतिशत अग्रिम दिया जाएगा। एसआईएस में दी गई जानकारी के अनुसार कुल उपलब्ध धनराशि का 60 प्रतिशत खर्च हो जाने पर शेष 50 प्रतिशत भाग सीपीएसएमएस के जरिए वितरित किया जाएगा। टीएससी और पीआईए सहित सभी आजीविका कौशल संसाधन प्रयोक्ताओं को अलग से एक कोर बैंकिंग आधारित खाता पंजीकृत कराना होगा क्योंकि समस्तु निधि प्रवाह और लेखांकन सीपीएसएमएस के माध्यम से होगा, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफर का उपयोग किया जाएगा।

5.7 फंड रिलीज – केंद्र से गैर–एएपी राज्यों को और गैर–एएपी राज्यों में पीआईए को

जनवरी महीने में गैर–एएपी राज्यों के वार्षिक कार्यक्रम का अनुमोदन होने पर, निधि गैर–एएपी राज्यों के लिए निर्धारित की जाती है। गैर–एएपी राज्यों के लिए ईसी द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान पीआईए को देय निधि का 50 प्रतिशत और टीएसए की 1.5 प्रतिशत फीस सीपीएसएमएस के माध्यम से टीएसए को दी जाती है। टीएसए[15] को दी गई निधियों में से उसके द्वारा 60 प्रतिशत का वितरण कर लेने के बाद वित्तीय वर्ष के लिए शेष 50 प्रतिशत टीएसए को दे दिया जाएगा। पीआईए को राज्य का अंश टीएसए द्वारा केंद्रीय अंश की रिलीज किए जाने के 10 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए।

5.8 लेखांकन प्रणाली

एनआरएलएम के लिए निधि आवंटन पर मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार कुल बजटीय आवंटन का 25 प्रतिशत कौशल कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए केंद्रीय स्तर से उप जिला स्तर तक आजीविका कौशल कार्यक्रमों के लिए निधि प्राप्त करने के लिए विशेष लेखांकन प्रणाली स्थापित की जानी है। राज्य सरकारों को कौशल कार्यक्रमों के लिए निधि प्रवाह को दर्ज करने के लिए अपनी प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में आवश्यक अनुदेश शामिल करने चाहिए।

5.9 पीआईए को भुगतान

पीआईएए एएपी राज्यों द्वारा एएपी रूट के माध्यम से स्वीकृत परियोजनाओं के लिए एसआरएलएम से भुगतान प्राप्त करेगा। गैर–एएपी राज्यों में परियोजनाओं और दोनों एएपी और गैर–एएपी राज्यों में चल रही बहु–राज्य परियोजनाओं के मामले में, पीआईए को ग्रामीण विकास मंत्रालय के टीएसए द्वारा भुगतान किया जाएगा। समस्तु भुगतान रिलीज की निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

[15] जैसे ही गैर–एएपी राज्य एएपी राज्य का दर्जा हासिल कर लेते हैंए निधि एसआरएलएम के माध्यम से रिलीज की जाएगी।

तालिका 6: पीआईए के लिए रिलीज की शर्तें

किस्तु	एएपी	एसएसपी	एमएसपी	रिलीज की शर्त
1	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत	परियोजना की मंजूरी और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर
2	परियोजना लागत का 50 प्रतिशत	परियोजना लागत का 50 प्रतिशत	परियोजना लागत का 50 प्रतिशत	पहली किस्तु के तौर पर दी गई निधि का 60 प्रतिशत खर्च वेबसाइट पर डाले जाने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए उप–लक्ष्यों सहित 40 प्रतिशत वास्तुविक लक्ष्य प्राप्त करने पर 30 सितंबर के बाद पिछले साल के सभी मामलों के संबंध में पीएंडएल विवरण, तुलन पत्र से लेखा परीक्षित व्यय विवरण जमा कराने पर
3	परियोजना लागत का 15 प्रतिशत	परियोजना लागत का 15 प्रतिशत	परियोजना लागत का 15 प्रतिशत	पहली और दूसरी किस्तु के तौर पर दी गई निधि का 90 प्रतिशत खर्च वेबसाइट पर डाले जाने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए उप–लक्ष्यों सहित 90 प्रतिशत वास्तुविक लक्ष्य प्राप्त करने पर 30 सितंबर के बाद पिछले साल के सभी मामलों के संबंध में पीएंडएल विवरणए तुलन पत्र से लेखा परीक्षित व्यय विवरण जमा कराने पर
4	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत	समस्तु लक्ष्य की प्राप्ति करने और परियोजना समापन दस्तुावेज और हस्तुाक्षरित स्कोर कार्ड जमा करने पर। फिर भी एक साल की अवधि में रिकॉर्ड रखे जाने तक चौथी किस्तु की रिलीज पर रोक नहीं लगाई जाएगी।

सहमति प्राप्त समय सीमा के अनुसार बीजकों के सत्यापन के कारण भुगतान में देरी के मामलों में पीआईए को भुगतान पर कार्रवाई के लिए ये भुगतान लेखे में दर्ज किए जाने चाहिए और बाद में पीआईए को दिए जाने वाले भुगतानों में से इनकी कटौती कर ली जानी चाहिए।

सभी चार चरणों में निधियों की रिलीज की पात्रता की शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध पीआईए के एमआईएस विवरण द्वारा निर्धारित की जाती हैं। एमआईएस विवरणों में वास्तुविक और वित्तीय उपलब्धियां दर्शाई जानी होती हैं। यदि उपलबधियां, प्रत्येक चरण में भुगतान रिलीज की शर्तें पूरी करती हैं तो भुगतान की प्रक्रिया के लिए अनुरोध किया जाएगा और इसे पीआईए और एसआरएलएम को भेज दिया जाएगा।

टीएसए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एमआईएस के अनुसार, पीआईए के पात्र बन जाने के सात दिनों के भीतर सभी तरह की लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। पात्रता निर्धारित करने के लिए इस्तुेमाल किया गया वित्तीय विवरण प्रत्येक किस्तु की संदर्भ अवधि से ही संबंधित होना चाहिए।

यदि सरकार की रिलीज पर कोई उपार्जित ब्याज राशि है तो उसको परियोजना लागत में सरकार के अपने हिस्से की रिलीज में समायोजित किया जाएगा। यदि पीआईए विभिन्न उपश्रेणियों के अंतर्गत लक्ष्य की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है तो रिलीज की गणना यथानुपात आधार पर की जाएगी।

5.10 निधि रिलीज करने की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया

पीआईएए टीएसए और एसआरएलएम से अपेक्षित होगा कि वे सीपीएसएमएस से जुड़ा अलग खाता बनाएंगी। चूंकि समस्तु भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस खाते में तब किया जाएगा, जब सभी रिलीज की शर्तों को पूरा और प्रामाणिक रूप से सही ठहराया जाएगा। डिजिटल हस्ताक्षर उन दस्तुावेजों के मामले में स्वीकार्य होंगे जिनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा।

5.11 ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसकी टीएसए और एसआरएलएम द्वारा सेवा स्तर का आश्वासन

ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसकी टीएसए और एसआरएलएम यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध हैं कि पीआईए को मंजूरी आदेश और किस्तु का भुगतान इस दस्तुावेज में दी गई समय सीमा के अनुरूप मिलते हैं।

5.12 प्रापण प्रक्रिया

आजीविका कौशल, पीआईए से कौशल और रोजगार सेवाएं प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित लागत मॉडल का अनुपालन करता है। इसके अनुसारए जो पात्रता की शर्त पूरी करने वाली पीआईए को एएपी में दिए गए संसाधनों के अनुसार परियोजनाओं की मंजूरी दी जाती है। यदि सभी पीआईए परियोजनाओं को वित्त देने के लिए अनुमोदित योजना में पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है तो जो पहले आएगा, पहले पाएगा के आधार पर राशनिंग प्रोटोकॉल का इस्तुेमाल किया जाएगा। इस प्रक्रिया को इसलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि कौशल और रोजगार एक उच्च कोटि कार्य हैं जिन्हें कम लागत का शिकार नहीं बनाया जा सकता है। आजीविका कौशल में सभी अन्य प्राप्तियों के लिए एनआरएलएम से अनुमोदित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाएगा।

5.13 दिशा-निर्देशों का लागू होना

पीआईएए टीएसएए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच सभी संबंधों के लिए दिशा–निर्देशों का कोई भी खंड तब तक पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होगा, जब तक इसे सभी सम्मिलित पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता।

Content
Hospitality

6. निगरानी और मूल्यांकन

6.1 निगरानी

निगरानी प्रगति के मापन की सतत प्रक्रिया हैए जो तब तक चलती है जब तक परियोजना चल रही है। जिसमें चेकिंग, प्रगति का मापन, स्थिति का विश्लेषण और नई घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना, अवसर और मुद्दे शामिल हैं। आजीविका कौशल में निगरानी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- समस्तु लक्ष्यों के लिए आजीविका कौशल में निष्पादन का रिकॉर्ड रखना (व्यापक पैमाने पर गुणवत्ता और स्थायी कौशल की प्राप्ति करना)
- जानकारी पर आधारित निर्णय सुनिश्चित करने के लिए अर्जित ज्ञान का उपयोग करना
- परिणामों में सुधार करने के लिए राज्य, टीएसएए ग्रामीण विकास मंत्रालय और पीआईए स्तर पर गलतियों को निर्धारित करना
- ग्रामीण विकास मंत्रालय की भावी कार्यनीति, नीति और क्षेत्र संबंधी विकल्पों की सूचना देना
- प्राथमिक रूप से पीआईए और राज्यों की गलती सुधारने के संबंध में सहयोग देना (सुपरिभाषित ट्रिगर के आधार पर)

ग्रामीण विकास मंत्रालय में आजीविका कौशल की टीम एनआईआरडी की सहायता से और अन्य एजेंसियां जानकारी के प्लेटफॉर्म के तौर पर कार्य करते हैं, ताकि प्रभावशाली निगरानी फ्रेमवर्क का विकास और आजीविका कौशल के लिए प्रभावशाली पुनरावलोकन प्रणाली के निर्माण के लिए राज्य को समर्थ बनाया जा सके। इसमें निम्नलिखित बिन्दु शामिल होंगे:

- समस्तु स्तरों पर उच्च निगरानी उद्देश्य स्थापित करना
- प्रत्येक प्रक्रिया के लिए मुख्य निष्पादन संकेतक निर्धारित करना (अवप्रेरण, प्रशिक्षण, रोजगार और रोजगार जारी रखना)
- उन सभी बातों का उल्लेख करना जिनकी निगरानी की जानी है (पीआईए निष्पादन, कार्यक्रम निष्पादन, आंतरिक प्रणाली और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता, टीएसए का निष्पादन)

6.2 एएपी की आवधिक निगरानी

एएपी राज्यों और उन राज्यों में मंजूर परियोजनाओं की केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आवधिक निगरानी कराने की जरूरत है। एक पारिस्थितिक दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा ताकि स्वीकृत लक्ष्यों की प्राप्ति में पीआईए और राज्यों की मदद की जा सके।

6.3 टीएसए की भूमिका

केंद्र और राज्य सरकारें अपनी आजीविका कौशल परियोजना की निगरानी के लिए सक्षम टीएसए की सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं। यदि समवर्ती निगरानी का कार्य आउटसोर्स के माध्यम से कराया जा रहा है तो एमओयू में इसका उल्लेख करने की आवश्यकता होती है। एमओयू में सामाजिक लेखा परीक्षा में सीजीओ को शामिल करने का प्रावधान भी किया जा सकता है। राज्य उनको सौंपी गई जिम्मेदारियां संभालने के लिए उनकी उपस्थिति और क्षमता के स्तर की स्थिति के आधार पर सीबीओ के लिए भूमिका तय कर सकते हैं।

6.4 एएपी और एसएसपी के अंतर्गत निधि की रिलीज के आधार पर पीआईए की समवर्ती निगरानी

इंटरनेट समर्थित ईआरपी तंत्र सभी स्टेक–होल्डरों द्वारा स्वीकृत निष्पादन संकेतकों के आधार पर पीआईए के निष्पादन की निगरानी के कार्य को सं व बनाएगा। फील्ड निरीक्षण यह चेक करने के लिए कराया जाता है कि एमआईएस पर सूचना पूरी तरह से ठीक है और यह एक वास्तुविक तस्वीर दर्शाती है। दर्ज स्तर की जांच पीआईए की क्यू टीम द्वारा की जानी होती है और परिणाम को विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। सभी अन्य निरीक्षणों का लक्ष्य इस बात को सत्यापित करना होगा कि पीआईए की क्यू टीम द्वारा किए गए निरीक्षण से प्रकाशित परिणाम, प्रशिक्षण केंद्र और कार्यस्थल में वास्तुविकता का एक यथार्थ आईना दर्शाते थे।

एसआरएलएम को परियोजना के आउटपुट को समवर्ती रूप से निगरानी करने के लिए स्वतंत्र मॉनीटरों को तैनात करना चाहिए। ये रिपोर्टें विशेष परियोजनाओं और सामान्य कार्यक्रम की गुणवत्ता और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक होंगी और इन्हें अग्रिम योजना और निधि रिलीज निर्णयों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। मॉनीटरिंग रिपोर्टें ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

6.5 समवर्ती निगरानी परिणाम

6.5.1 पीआईए के ऑनलाइन एमआईएस का उपयोग करते हुए पीआईए को मार्गदर्शक नोट तथा इसकी पाक्षिक निगरानी: टीएसए नियमित रूप से ऑनलाइन एमआईएस की निगरानी करेगा और ऑनलाइन एमआईएस के उपयोग और इसके कार्यों में सुधार हेतु तथा इसका अनुपालन न किए जाने की पहचान के लिए पाक्षिक मार्गदर्शक नोटों को जारी/अपलोड करेगा।

6.5.2 मार्गदर्शक नोट में उठाए गए मुद्दों के आधार पर पीआईए द्वारा किए गए अनुपालन की निगरानी: मार्गदर्शक नोट के अपलोड होने के एक सप्ताह के भीतर ही पीआईए को मार्गदर्शक नोट में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

6.5.3 पीआईए की क्यू टीम द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों का मासिक निरीक्षण: पीआईए की क्यू टीम प्रशिक्षण केन्द्रों का मासिक निरीक्षण करेगी। टीम द्वारा किए गए इन दौरों की कार्यवाही, जीपीएस आधारित वीडियो/ऑडियो क्लिप्स के जरिए रिकॉर्ड की जाएगी और प्रशिक्षण केन्द्र के प्रबंधक तथा वर्कफ्लो एमआईएस के प्रशिक्षकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के साथ अनुपालन हेतु इन कार्यनिर्देशों को अपलोड किया जाएगा और इसके अनुपालन की निगरानी की जाएगी।

6.5.4 राज्य टीएसए द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों का द्विमासिक निरीक्षण: एसआरएलएम अधिकारी/राज्य टीएसए प्रशिक्षण केन्द्रों का द्विमासिक निरीक्षण करेंगे। इन दौरों की कार्यवाही को जीपीएस आधारित वीडियो/ऑडियो क्लिप के जरिए रिकॉर्ड किया जाएगा और केन्द्र प्रबंधकों तथा प्रशिक्षकों के अनुपालन हेतु कार्य निर्देशों के साथ–साथ एमआईएस वर्कफ्लो में अपलोड किया जाएगा तथा इनके अनुपालन की निगरानी की जाएगी।

6.5.5 ग्रामीण विकास मंत्रालय के टीएसए द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों का त्रिमासिक निरीक्षण: ग्रामीण विकास मंत्रालय का टीएसए प्रशिक्षण केन्द्रों का त्रिमासिक निरीक्षण करेगा। इन दौरों की कार्यवाही को जीपीएस आधारित वीडियो/ऑडियो क्लिप के जरिए रिकॉर्ड किया जाएगा और केन्द्र प्रबंधकों और प्रशिक्षकों के अनुपालन हेतु कार्यनिर्देशों के साथ–साथ अपलोड किया जाएगा तथा इसके अनुपालन की निगरानी की जाएगी।

6.5.6 प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं की जीपीएस आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति: प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं की उपस्थिति दर्ज करने के लिए और इस ब्यौरे को पीआईए की क्यू टीम के अवलोकनार्थ सेंट्रल सर्वर के वास्तुविक समय में भेजने के लिए जिओ टैग्ड, टाइम स्टैम्प्ड बायोमीट्रिक डिवाइस का स्थापन और राज्य/ग्रामीण विकास मंत्रालय की टीएसए एक प्रशिक्षण केन्द्र की शुरूआत के लिए आवश्यकताओं में से एक पूर्व अपेक्षा होंगे।

6.5.7 परियोजना बैंक खातों को केवल पढ़े जाने की सुविधा: पीआईए को आजीविका कौशल परियोजना के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा और इस खाते के विवरण को सीपीएसएमएस पर दर्ज करना होगा ताकि पीआईए के बैंक खाते टीएसए/एसआरएलएम को रीड ऑनली एक्सेस उपलब्ध हो सके। इसका उपयोग करके टीएसए/एसआरएलएम निम्नलिखित कार्यों की निगरानी करेगा:

- प्रशिक्षकों को समय पर वेतन का भुगतान।
- नियोजित उम्मीदवारों को नियोजन पश्चात मासिक सहायता का भुगतान।
- अनिवासी प्रशिक्षुओं को समय पर मासिक यातायात तथा भोजन सहायता का भुगतान।

6.5.8 प्रशिक्षण केन्द्रों का ऑनलाइन ब्यौरा: प्रशिक्षण केन्द्रों को रोजाना खोलने व बंद करने का विवरण, कक्षा व लैब की जिओ–टैग्ड टाइम स्टैम्प्ड फोटोग्राफ के साथ ऑनलाइन दर्ज होगा।

6.5.9 उपर्युक्त निगरानी के अलावा कोई अन्य निगरानी नहीं होगी: पीआईए अलग से कोई भी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगी। राज्य और एनआरएलएम कौशल के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी मंच को समसामयिक जानकारियों का आदान–प्रदान करते रहना चाहिए क्योंकि ये मंच इंटरनेट आधारित तथा वर्कफ्लो संचालित हैं। इससे सुनिश्चित होगा कि सभी स्टेकहोल्डर प्रत्येक परियोजना के सभी पक्षों की समसामयिक जानकारी रखें। जब तक राज्य और एनआरएलएम कौशल मंचों का पंजीकरण न हो तब तक एनआरएलएम कौशल वैबसाइट पर मासिक रिपोर्ट को अपलोड किया जा सकता है।

6.5.10 मूल्यांकन: आजीविका कौशल परियोजना मूल्यांकन के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, यह कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए प्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार करता है। दूसरा, यह पीआईए सहित स्टेकहोल्डरों के बीच जानकारी का समर्थन करता है तथा इसको प्रोत्साहन देता है। प्रतिष्ठित बाहरी एजेंसियों के द्वारा मूल्यांकन से नए परिप्रेक्ष्य सामने आते हैं और इससे क्षमता व प्रभावकारिता में भी सुधार आता है।

6.5.11 स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययनः आजीविका कौशलों के स्वतंत्र व संतुलित अध्ययन से यह जानकारी मिलती है कि क्या सफल है, क्या सफल नहीं है और ऐसा क्यों है। इस जानकारी से कार्यक्रम की प्रभावकारिता में सुधार होगा और इससे सभी स्टेकहोल्डरों को परिणामों के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा। आजीविका कौशल राज्यों को स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने के लिए अलग से निधि प्रदान करता है।

6.5.12 एएपी का मूल्यांकनः एसआरएलएम द्वारा एएपी का किसी प्रतिष्ठित मूल्यांकन एजेंसी के जरिए या फिर इन–हाउस मूल्यांकन किया जा सकता है। मंत्रालय किसी राज्य या राज्यों के समूह के एएपी का भी मूल्यांकन कर सकता है। ऐसी मूल्यांकन रिपोर्टों की ईसी द्वारा जांच की जाएगी।

6.5.13 आजीविका कौशल कार्यक्रम का मूल्यांकनः 'आजीविका कौशल' का मूल्यांकन ईसी द्वारा अनुमोदित आवर्ती एवं विचारार्थ विषयों के अनुसार किया जाएगा और यह मूल्यांकन आजीविका कौशल की शुरूआत के एक वर्ष बाद लिया जाएगा।

7. एमआईएस

कार्यक्रम की गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए जानकारी/सूचना का लगातार मूल्यांकन एवं संवर्द्धन आवश्यक है। इसे सूचना/जानकारी पर नियमित पकड़ और इसके विस्तार द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। इसे नियमित जांच एवं अनुपालन के जरिए सुनिश्चित किया जा सकता है। अतः इंटरनेट आधारित तथा वर्कफ्लो संचालित एमआईएस स्थापित करना कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली और वैबसाइट www.nrlmskills.in बनाई गई है। इसे इंटरनेट आधारित वर्कफ्लो संचालित ईआरपी प्लेटफॉर्म में बदला गया है ताकि प्रस्तुावों को प्रस्तुत करना, निधियों का आवंटन, प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रबंधन आदि सहित कार्यक्रम के सभी पहलुओं का समाधान किया जा सके। अभी इस वैबसाइट पर कार्यान्वयन के अंतर्गत आजीविका कौशल परियोजना सभी राज्यों और जिलों के बीच प्रत्येक परियोजना की अद्यतन स्थिति, पीआईए के बारे में ब्यौरा, प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि का विवरण दिया गया है।

राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस), कौशल विकास कार्यकलापों के लिए निर्णय सहायक तंत्र (डीएसएस) (राष्ट्रीय एमआईएस के प्रारूप के अंतर्गत) जैसी सेवाओं को प्रदान करने के लिए इस मंच का उपयोग कर सकता है। एनएमएमयू, एमआईएस आधारित ईआरपी के कार्य विस्तार से संबंधित कार्यकलापों और परिणामों के संदर्भ में राज्य मिशन के लिए सहायता देगा।

पीआईए को प्रशिक्षु से संबंधित विशिष्ट सूचना का रखरखाव करना होगा तथा सभी अनुप्रयोग्य रिपोर्टिंग जरूरतों को पूरा करना होगा। सूचना की एंट्री की गुणवत्ता तथा नियमितता का निरीक्षण एसआरएलएम और टीएसए द्वारा किया जाएगा।

7.1 इंटरनेट आधारित वर्कफ्लो संचालित राष्ट्रीय और राज्य मंच (आपसी बातचीत के लिए)

यद्यपि एक राष्ट्रीय कौशल ईआरपी मंच बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी राज्यों को उनके अपने मंच बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वे अपनी दिन–प्रतिदिन की विश्लेषणात्मक और ब्रांडिंग जरूरतों को पूरा कर सकें। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंच से डाटा प्राप्त करने हेतु भी उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। अर्थात पीआईए को केवल एक बार डाटा प्रविष्ट करना होगा। जब तक एमओआरडी वैबसाइट एक वर्कफ्लो संचालित ईआरपी तंत्र नहीं बन जाती, तब तक पीआईए को अपने भीतर ही एक ऐसा प्राधिकरण बनाना होगा जो www.nrlmskills.in वैबसाइट पर जरूरी डाटा को अपडेट करने के लिए उत्तरदायी होगा।

कुछ राज्यों ने पहले से ही स्वतंत्र एमआईएस बना लिया है। हालांकि एमआईएस के कुछ पहलू विभिन्न राज्यों के बीच सामान्य ही होंगे, फिर भी कुछ राज्यों के एएपी में भिन्नता और नवीनता हो सकती है जो केवल उसी राज्य के लिए प्रासांगिक हो। इसमें एक जैसे स्थापित कार्यक्रमों के साथ–साथ सामान्य एमआईएस भी हो सकता है जो राज्यों के लिए विशेष है। स्टेट पोर्टल का एनआरएलएम स्किल और स्किल मिशन डाटा के साथ सम्मिलन एएपी का मुख्य घटक होगा। वार्षिक कार्य योजना के तहत ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत है जिससे राज्य और पीआईए दोबारा बिना डाटा दर्ज किए एक मंच से दूसरे मंच पर जा सकें। इसे राज्य, केन्द्रीय स्किल और आईसीटी टीम के संयुक्त प्रयास के रूप में किया जा सकता है।

7.2 पीआईए के अपने मंच जो राज्य स्तर के मंचों से बातचीत करते हैं या पीआईए राज्य अथवा राष्ट्रीय मंचों का उपयोग कर सकते हैं

वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय के ऑनलाइन रिपोर्टिंग तंत्र पर एमएसपी और एसएसपी के संदर्भ में डाटा को प्रत्येक महीने अपडेट किया जा रहा है। अभी पीआईए के लिए आवश्यक है कि वे अपने द्वारा प्रशिक्षित व नियोजित सभी लाभार्थियों का ब्यौरा मानकीकृत प्रारूप के अनुसार अपनी वैबसाइट पर दें। एमओआरडी ऑनलाइन रिपोर्टिंग तंत्र के उपयोग हेतु पीआईए की वैबसाइट और मार्गदर्शक नोट का पता www.nrlmskills.in/ newsandeventsmord.aspx पर उपलब्ध है। एमओआरडी सभी जिला स्तर के एंकर को http://nrlmskills.in वैबसाइट पर अपनी निगरानी रिपोर्ट को अपलोड करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराता है।

आगे बढ़ते हुए पीआईए अपने आईटी मंचों को केन्द्रीय और राज्य आईटी मंचों के साथ जोड़ पाएंगे। अगर पीआईए के पास इस तरह के मंच नहीं हैं तो उन्हें इनको बनाना चाहिए।

7.3 परियोजना प्रस्तावों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण

आजीविका कौशल राष्ट्रीय ईआरपी मंच तैयार होने के बाद पीआईए और स्किल कार्यक्रम में शामिल सभी स्टेकहोल्डरों के पंजीकरण का एक एकल तथा समेकित तंत्र होगा। सभी पीआईए को अपने नए प्रस्तावों और निधि आंवटन प्रस्तावों को इस मंच के जरिए प्रस्तुत कराना होगा। यह केन्द्रीय आवेदन प्रस्तुतीकरण सुविधा मौजूदा वैबसाइट http://nrlmskills.in पर संचालित होगी। पीआईए इस तंत्र के जरिए स्टेटस का पता लगा सकता है, अपने प्रस्तावों की प्रगति पर नजर रख सकता है तथा प्रश्न कर सकता है और साथ ही प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकता है। जब तक ईआरपी प्लेटफार्म नहीं बनता है तब तक पीआईए आवेदनों को एक मानकीकृत प्रारूप में प्रस्तुत करेगा। ये आवेदन http://nrlmskills.in वैबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिन परियोजना प्रस्तावों को पूरा कर लिया गया है उन्हें आजीविका कौशल प्रभाग और संबंधित एसआरएलएम को ई–मेल किया जाना है।

8. प्रत्येक अध्याय में जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, उन प्रश्नों की सूची

अध्याय 1

आजीविका कौशल क्या है?

कौशल विकास और रोजगार क्या है?

आजीविका कौशल का विकास कैसे हुआ

भारत और ग्रामीण गरीबों के लिए कौशल विकास क्यों आवश्यक है?

भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास की क्या संरचना है?

कौशल विकास और रोजगार के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय का क्या दृष्टिकोण है?

अध्याय 2

आजीविका कौशल में ग्राम पंचायतों की क्या भूमिका है?

आजीविका कौशल में स्व–सहायता की क्या भूमिका है?

अध्याय 3

प्रशिक्षण और रोजगार पाने के लिए कौन पात्र है?

एसआरएलएम और पीआईए को क्या कार्यकलाप करने हैं?

प्रत्येक कार्यकलाप के लागत मानक क्या हैं?

अध्याय 4

एएपीए एसएसपी और बहुराज्य परियोजनाओं का क्या अर्थ है और इनके बीच क्या अंतर है?

राज्यों को एएपी या एसएसपी राज्यों की श्रेणियों में क्यों बांटा गया है?

एएपी राज्य में एसआरएलएम को क्या उपाय करने हैं?

एसएसपी राज्य में एसआरएलएम को क्या उपाय करने हैं?

एएपी राज्य में आजीविका कौशल परियोजनाओं के लिए पीआईए को कैसे आवेदन करना चाहिए?

एसएसपी राज्य में आजीविका कौशल परियोजनाओं के लिए पीआईए को कैसे आवेदन करना चाहिए?

मौजूदा बहुराज्य परियोजनाओं का क्या होगा?

अध्याय 5

राज्यों को लक्ष्यों और निधियों का आवंटन कैसे किया जाता है?

राज्यों को निधियों का वितरण किन मानदंडों के आधार पर किया जाता है?

पीआईए को निधियों का वितरण किन मानदंडों के आधार पर किया जाता है?

आजीविका कौशल संसाधनों के वितरण में सीपीएसएमएस की क्या भूमिका है?

अध्याय 6

आजीविका कौशल के निगरानी फ्रेमवर्क के क्या उद्देश्य हैं?

आजीविका कौशल की निगरानी में टीएसए की क्या भूमिका है?

समवर्ती निगरानी के प्रत्याशित परिणाम क्या हैं?

अध्याय 7

आजीविका कौशल एमआईएस के तहत पीआईए, एसआरएलएम को कौन सी विभिन्न प्रणालियां चलानी हैं?

विभिन्न भागीदारों द्वारा रखे गए अलग–अलग आंकड़ों का समेकन कैसे किया जाएगा?

क्या परियोजनाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति होगी?

आजीविका कौशल

सीखें व कमाएं

सत्यमेव जयते

Aajeevika Skills
Ministry of Rural Development
Government of India
Core 5-A, IInd Floor, India Habitat Center
Lodhi Road, New Delhi - 110003
Website: www.nrlmskills.in